कोशी परियोजना विशेषांक

विचार विमर्श के लिए

प्रारूप

डॉ. ओंकार मित्तल द्वारा संग्रहित

(ग्रीन फीचर्स (सेडेड)

दिसम्बर - 2009

बिहार में बाढ़–सुखाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान
सहरसा संवाद 25–29 दिसम्बर 2009

प्रिय बंधु,

उत्तर बिहार के जिलों में रहने वाले बिहार के वासी बाढ़–सुखाढ़ की दोहरी मार से जूझ रहे हैं। विगत दशकों में जो सरकारी हस्तक्षेप और कार्यक्रम इस समस्या का हल ढूंढने के लिए चलाए गए, उनसे इस समस्या का संतोषजनक और स्थायी समाधान संभव नहीं हुआ है। हममें से कुछ का विचार है कि पिछले छह दशकों में विभिन्न केन्द्रीय सरकारों और बिहार की राज्य सरकारों ने जो पानी प्रबंधन की नीतियां और कार्यक्रम चलाऐ उनसे समस्या का और विस्तार हुआ है तथा समस्या अधिक पेचीदा हो गई है। इस संदर्भ में बिहार में 1960 में कोशी नदी पर बने तटबंधों तथा बाद में अन्य नदियों पर बने तटबंधों का उल्लेख उचित होगा, जो बिहार की जनता पर गहरी विपत्ति का कारण बन गए और इनके द्वारा पैदा हुए दुष्प्रभाव से बिहार की जनता व्यापक पर्यावरणीय आपदा से जूझ रही है (देखें संलग्न ज्ञापन–कोशी वासी)। कोशी परियोजना तथा उत्तर बिहार की नदियों पर इस प्रकार की अन्य परियोजनाओं से बिहार की जनता को बाढ़ की अनिश्चितता से मुक्ति मिलना संभव नहीं हुआ है। इसके विपरीत, इन तटबंधों के बार–बार टूटने से और इस भू–भाग की स्वाभाविक जल निकासी के अवरूद्ध होने से, इस भू–भाग के वासियों पर भयानक विपत्ति का पहाड़ टूट गया है।

पिछले दो दशकों से हम केन्द्र और बिहार सरकार का ध्यान इन समस्याओं की तरफ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सरकारी मशीनरी इस तरफ पूरी तरह उदासीन रही है। इसके द्वारा चलाऐ गए संकट–स्थिति के आपातकालिक समाधान व राहत कार्यक्रम पूर्णतया अक्षम व विफल साबित हुए हैं। समस्या का स्थायी हल ढूंढने के लिए जिस प्रकार के चहुमुखी प्रयासों एवं संवादों की आवश्यकता है, उसका नितांत अभाव रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने में बिहार की जनता ने अद्‌भुत साहस और सहन शीलता का परिचय दिया है और प्रवासी मजदूरी तथा दूसरे तरीकों से अपने जीवनयापन के तरीके ढूंढ़ने का प्रयास किया है। लेकिन इस भीषण दबाव से उनके सामाजिक–सांस्कृतिक ढ़ांचे को गहरी चोट पहुंची है और यह चरमरा रही है। सरकार की गलत नीतियों और अनुपयुक्त हस्तक्षेपों के कारण आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है और नए–नए क्षेत्र इसके घेरे में आते जा रहे हैं। वर्ष 2008 में पूर्वी कोशी तटबंध की कुसहा में टूट होने के बाद यह बात निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी है कि वर्तमान सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों को चुनौती देने की आवश्यकता है तथा नए हलों को ढूंढना है जिनमें जमीन पर रह रही जनता की पूरी भागीदारी हो और उनके ज्ञान, अनुभवों और विवेक का प्रयोग किया जाए।

विगत कुछ माह से हम लोग बिहार में एक संवाद आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें सामाजिक–राजनैतिक सक्रिय कर्मी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, विशेषज्ञ, राज्य जल विभाग के इंजीनियर तथा अफसर एवं राजनैतिक नेतृत्व, सभी एक चौपाल पर साथ बैठकर इन मुद्दों के ऊपर गहराई से चर्चा करें। अब हमने पांच दिवसीय परिसंवाद का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया है। यह संवाद सहरसा में 25–29 सिदम्बर 2009 को आयोजित किया गया है। हम इसके लिए बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों तथा विशेषज्ञों से भी सम्पर्क बना रहे हैं जिससे उनकी भागीदारी भी इस संवाद में हो सके। इसी प्रकार हम संवाद में 29 दिसम्बर को बिहार के विद्यायकों एवं संसद सदस्यों को भी बुलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको भी इस संवाद में हुई चर्चा से

अवगत कराया जाए और उनकी प्रतिक्रिया भी प्राप्त हो सके। अगर ये उच्च स्तरीय नीति निर्माता सहरसा की बैठक में भाग न ले सकें तो हम इसी क्रम में एक बैठक पटना में जनवरी 2010 में आयोजित करेंगे जिसमें इनसे सीधी बातचीत हो सके।

इस परिसंवाद में 50–60 लोगों के भाग लेने की संभावना है। सहरसा संवाद का कार्यक्रम इस प्रकार है

1. पहला दिन (25 दिसम्बर 09) अनुभवों का आदान–प्रदान।
2. दूसरा दिन (26 दिसम्बर 09) आधारभूत संरचना संबंधी मुद्दे।
3. तीसरा दिन (27 दिसम्बर 09) बाढ़ पूर्व तैयारी, एवं राहत कार्यक्रम संबंधी मुद्दे।
4. चौथा दिन (28 दिसम्बर 09) सामाजिक–आर्थिक व राजकाज संबंधी मुद्दे।
5. पांचवा दिन (29 दिसम्बर 09) निष्कर्ष व अनुशंसा

हम इस परिसंवाद को आयोजन करने के लिए सीमित वित्तीय संसाधन जुटा पाऐ हैं। हम आपके रहने, ठहरने व खाने संबंधी मेहमान नवाजी सामूहिक तौर पर विनम्रतापूर्वक करेंगे। यदि आपको अपने लिए किसी विशेष प्रबंध की आवश्यकता हो तो यह आपको सीधे अपनी ओर से करना पड़ेगा। हमारे लिए आपका यात्रा भाड़ा देना भी संभव नहीं होगा और इसकी व्यवस्था भी आपको स्वंय करनी होगी।

मैं आपको अपने सभी साथियों की ओर से इस सहरसा–संवाद में भागीदार होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। कृपया टेलीफोन पर अपनी भागीदारी की सूचना अवश्य दें। संवाद स्थलः– विभाभवन, शंकर चौक, सहरसा।

आपका अनुग्रहीत,

रघुपति– बिहार नदी नीति संवाद, समता ग्राम सेवा संस्थान, बी–2, पंचशील पार्क, किदवईपुरी पटना 800001, फोन–0612–2525926 (कार्यालय), 0612–223024 (निवास)

सहरसा संवाद के लिए ई–मेल– o_mittal@rediffmail.com, "Onkar Mittal" <o_mittal@rediffmail.com>,

संपर्क फोनः

⇒ रघुपति,बिहार नदी नीति संवाद, समता ग्राम सेवा संस्थान, (पटना), फोन–91–9472242484
⇒ डॉ. विजय कुमार, गांधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय (भागलपुर) फोन–91–943185214
⇒ डॉ. ओंकार मित्तल (दिल्ली) बिहार नदी नीति संवादः फोन–91–9818110784
⇒ सत्यनारायण प्रसाद, निर्मली प्रखंड़ स्वराज्य सभा (सुपौल), फोन–91–9431669359
⇒ लक्ष्मेश्वर चौधरी–लोक विकास समिति (सहरसा), फोन–91–9835297757
⇒ ध्रुव कुमार, मानवाधिकार सक्रिय कर्मी (सहरसा), फोन–91–9771708638
⇒ रामदेव शर्मा, कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा (सहरसा), फोन–91–9430452411
⇒ डॉ. हबीबुल्ला अंसारी, साउथ एशियन डॉयलोग्स् ऑन इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी (सैडेड), दिल्ली, फोन–91–9311684798
⇒ घनश्याम, बाढ़ सुखाढ़ मुक्ति आंदोलन,मधुपुर, झारखण्ड, फोन–91–9431101974

अन्य सह आयोजक

प्रभात – किसान विकास ट्रस्ट–खगड़िया

नारायन जी – मिथिला ग्राम विकास परिषद–दरभंगा
अमरनाथ ठाकुर – पराग, पटना
उदयन – एन.ए.पी.एम., पटना
विजय – एन.ए.पी.एम., पटना
प्रदीप प्रियदर्शी – एकता परिषद, बिहार
चंद्रभूषण – अभियान लोकसमिति, पटना
रामउदार झा – मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान, पटना
अरूण कुमार सिंह – भूमिका बिहार, पटना
कामेश्वर गुप्ता – संवाद प्रक्रिया, पटना
आंनद मंड़ल – कोशी आंदोलन, पटना
अनवर आजाद, दीनानाथ पटेल, विद्यानंद मिश्रा, गजेन्द्र प्रसाद यादव,
नारायण प्रसाद यादव –कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा, सहरसा
प्रेमनाथ – सर्व सेवा संघ, सहरसा
तपेश्वर भाई – बिहार सर्वोदय मंड़ल, पटना
त्रिभुवन नारायण सिंह – सर्व सेवा संघ, सहरसा
नीलम प्रकाश – महिला चेतना विकास मंड़ल, सहरसा
यमुना प्रसाद गुप्ता – सहरसा
दीपक कुमार सिंह – कोशी कल्याण समिति, सहरसा
अर्जुन मंड़ल – बलुआ बाजार,
बसंत – जलबिरादरी, बिहार
हरिबल्लभ मुखिया – कोशी लोक मंच, सहरसा
नंद कुमार आजाद – अंत्योदय मंच, मर्हिषी, सहरसा
राजकुमार – सतलोक सेवा आश्रम, मरौना, सुपौल
विजेंद्रशाह – सहरसा
अनिल पासवान – वंचित मुक्ति मोर्चा, कटिहार
दिव्यप्रकाश मंड़ल – वंचित मुक्ति मोर्चा, पूर्णिया
मुनीष – अररिया
रबीन्द्र कुमार – राष्ट्रसेवा दल, बिहपुर, भागलपुर
गोरलाल मनीषी, विनय शर्मा– विज्ञान एवं तकनीकिविद परिषद, पटना
इश्तियाक अहमद – दिल्ली
अनिंदो बेनर्जी – प्रेक्सिस पटना
दिनेश मिश्रा – बाढ़ सुखाड़ मुक्ति अभियान, पटना
थान सिंह जोश – अत्योदय संस्थान, दिल्ली
संजय – आजादी बचाओ आंदोलन
देवनारायण सरस्वती – सकड पहाड़पुर, सहरसा
क्रांति प्रकाश – जैविक खेती अभियान, मुजफ्फर पुर
विद्याभूषण रावत – नेशनल लैंड़ अलायंस

बिहार में बाढ़-सुखाढ़ समस्या का स्थायी समाधान
पांच दिवसीय गोष्ठी

स्थान–विभाभवन, शंकर चौक सहरसा
तिथि–25 दिसम्बर से 29 दिसम्बर 2009

मुख्य उद्देश्य

- तटबंध तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं द्वारा उत्पन्न बाढ़, जलजमाव, बालू जमाव, भूमिकटाव, सूखा व अन्य दुष्प्रभावों से पीड़ित जनता की आवाज को बुलंद करना।
- बाढ़–सुखाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए राज्य की संस्थाओं पर दबाव डालने की साझा रणनीति बनाना।

कार्यक्रम–25 से 29 दिसम्बर 2009

प्रथम दिन 25 दिसम्बर (शुक्रवार)	दूसरा दिन 26 दिसम्बर (शनिवार)	तीसरा दिन 27 दिसम्बर (रविवार)	चौथा दिन 28 दिसम्बर (सोमवार)	पंचवा दिन 29 दिसम्बर (मंगलवार)
आगमन व परिचय प्रथम सत्र समस्या का रूप, स्थानीय तथा क्षेत्रीय अनुभव	द्वितीय सत्र –संरचनात्मक मुद्दे, जल संसाधन संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार व उसका निदान, तटबंध के भीतर गांवों के मानव अधिकार व संघर्ष की भूमिका, एवं तटबंधों के रखरखाव व जल निकासी के प्रबंध की कार्य योजना	तृतीय सत्र– बाढ़ पूर्व तैयारी, कार्यक्रम व प्रशिक्षण तथा पंचायती राज संस्थाओं की जिम्मेदारियां, बाढ़ के समय बचाव व राहत कार्यक्रम में राज्य की संस्थाओं, स्वंयसेवी संस्थाओं व समाज की पूरक भूमिका– सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम।	चर्तुथ सत्र–मुख्य वक्ताओं के लिए विषय बाढ़, सुखाढ़, सामाजिक न्याय, जीविका, पलायन, कृषि–वर्तमान सरकारी कार्यक्रम व विकल्प की तलाश, पनी की पूंजी, राज्य की संस्थाओं की समाज के प्रति जवाबदेही व सत्याग्रह व सत्याग्रह की रणनीति	प्रंचम सत्र–समापना, स्थायी समाधान की परिभाषा, गोष्ठी के अन्य निष्कर्ष व राज्य की संस्थाओं का प्रत्युत्तर एवं प्रस्थान

द्वितीय सत्र		तृतीय सत्र	चतुर्थ सत्र
समूह चर्चा		समूह चर्चा	समूह चर्चा
1.	जल संसाधन संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार व उसका निदान	1. गांव व जिले स्तर पर आपदा प्रबंधन की रणनीति	1. वैकल्पिक कृषि की संभावनाऐं।
2	तटबंध के भीतर गांवों के मानव अधिकार व संघर्ष की भूमिका	2. गांव व जिले की योजना व बजट में आपदा प्रबंधन को शामिल करने की प्रक्रिया	2. पलायन व आजीविका (नरेगा) तथा अन्य कार्यक्रम
3.	तटबंधों के रखरखाव व जल निकासी के प्रबंध की कार्य योजना	3. आपदा प्रबंधन को केन्द्र में रखते हुए बाढ़ की स्थितियों से जूझने की राज्यव्यापी रणनीति। राहत कार्यक्रमों के बेहतर प्रबंधन की रणनीति	3. सत्याग्रह की रणनीति

विषय सूची

1. सम्पादकीय
2. कोशी से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आत्म चितंन
3. विभिन्न मतः–
   - (विकल्प, विकल्प, विकल्प) हेमंत
   - (बाढ़ के साथ सहजीवन) कलानंदमाणी
   - रामदेव शर्मा
   - सत्यनारायण
   - दिनेश मिश्रा
   - दीपक ग्वाली
   - जगन्नाथ मिश्रा

4. राष्ट्रीय बाढ़ आयोग कुछ अंश
5. बिहार सरकार कोशी बांध न्यायिक जाँच आयोग। (आम सूचना)
6. कोशी कटान आयोग के समक्ष जल संसाधन विभाग का ज्ञापन।
7. कोशी कटान आयोग के समक्ष प्रशांत चन्द्र सिंहा का ज्ञापन।
8. कोशी विभाग में भ्रष्टाचार (विनय शर्मा, गोरे लाल मनीषी)
9. तबाही की गवाही
10. विभिन्न घोषणा पत्र
11. कविता

सम्पादकीय

आधुनिक सभ्यता जिसमें हम आज जी रहे हैं उसका उद्‌भव और विकास पश्चिमी देशों में पिछले 300 वर्षों में हुआ। इसके अंतर्गत हुई तकनीकी विकास और उत्पादन वृद्धि से हम सब अभिभूत हैं। इसकी चकाचौंध में हमारी नैतिकता और विवेक कुंठित हो चुका है। कुछ मानवों या अल्पजनों के हितों का बलिदान जायज है, यह आधुनिकता का केन्द्रभूत प्रमेय है। इस प्रमेय को अगर नकार दिया जाए तो आधुनिकता की तकनीक और उत्पादन पद्धति को भी नकारना पड़ेगा। आज की विश्व की ताकतवर राजनैतिक, आर्थिक व बौद्धिक शक्तियां इस प्रमेय में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है।

आधुनिकता को इस खोखली नैतिकता की सर्वमान्यता अनेक झूठों के बल पर खड़ी की गई है। इसमें से एक प्रमुख असत्य है आधुनिकता को वैज्ञानिक चिंतन के नाम पर जायज ठहराना। 'विज्ञान' और 'तकनीक' को परस्पर पर्यायवाची अर्थों में प्रयोग करना एक बहुत बड़ा धोखा है। विज्ञान एक शोध परंपरा है सत्य के एक अंश को ढूंढती हुई उसका खंड़न करते हुए अगले सत्य की और बढ़ती है। इसी क्रम में विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ नई तकनीकों की खोज होती है। इसके आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर वैज्ञानिकों का न तो कोई विचार होता है और न हक! लोभ और मुनाफे के दास बनकर ये वैज्ञानिक अपनी खोजों का इस दिशा में और विकास करते हैं। विज्ञान की अधूरी जानकारी के आधार पर विकसित हुई तकनीक को वैज्ञानिकता के आधार पर जायज ठहराया जाता है।

पंचतंत्र में एक कहानी आती है जिसमें चार ब्राह्मण युवक विदेश से विद्या सीख कर आते हैं। रास्ते में उनको कुछ अस्थियां मिलती हैं। इन अस्थियों को जोड़कर और उसमें मांस इत्यादि भरकर शेर का शरीर तैयार होता है। फिर अपनी विद्या के दंभ में वो उसमें प्राण फूंक देते हैं। शेर जिंदा होकर उन ब्राह्मणयुवकों को ही खा जाता है। जलवायु परिवर्तन के ऊपर विश्व में जो आज शोर मचा हुआ है वो इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार 'वैज्ञानिक सत्य' से जैसे आधुनिकता ने पूर्णमानवता के लिए कब्र तैयार कर ली है।

गांधी जी की पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' के प्रकाशन के शताब्दी वर्ष में उनका संदर्भ देना यहां प्रासंगिक ही होगा। उस समय के देश राजनैतिक नेतृत्व में शायद गांधी जी ही अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 'आधुनिकता' की इस अंधकूप वाली दिशा का पूरा ज्ञान और अहसास था। इसी कारण वो भारत के लिए पश्चिम के रास्ते को अनुचित बताते थे और अपने ही देशज रास्ते पर आगे का मार्ग ढूंढ़ना चाहते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में गांधी जी ने स्पष्ट लिखा कि 150 वर्षों के राज में अंग्रेज ने भारत को नष्ट कर दिया है। अन्होंने यह भी लिखा कि अगर आजाद भारत ने इसी मार्ग का अनुसरण किया तो पचास वर्षों के भीतर अपनी आजादी गंवा देगा। इसके विपरीत पंड़ित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी की सलाह को पूरी तरह से ठुकरा दिया। अपनी पुस्तक 'भारत की खोज' में जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट लिखा कि उनको अंग्रेजों के भारत राज्य से कोई विशेष शिकायत नहीं है। वे अंग्रेज के विज्ञान और अद्योग के पूर्ण समर्थक थे। उनकी शिकायत मात्र यह थी कि अंग्रेज अपने विज्ञान वाद और उद्योगवाद का विस्तार भारत में बहुत धीमा कर रहे थे। (उनका कहना था कि आजाद भारत अंग्रेजों के विज्ञान और उद्योग का देश में द्रुत गति से तो नवनिर्मित किए जा रहे बांधों और उद्योगों को जवाहरलाल नेहरू ने 'आधुनिक भारत के मंदिरों' की संज्ञा दी।)

देश के विभिन्न इलाकों में आने वाली बाढ़ के संदर्भ में भी इसी चेतना की प्रेरणा से यह दावा किया गया कि पांच वर्षों के भीतर देश में बाढ़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा। 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नीति में यह घोषणा स्पष्ट रूप से मिलती है। यद्यपि कुछ ही वर्षों में देश के नियोजकों को

यह अहसास हो गया कि यह दावा खोखला है और उन्होंने अपनी पूर्व घोषणा में परिवर्तन करते हुए माना कि बाढ़ को पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव नहीं है। इसमें यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए दो किस्म के उपाय प्रयोग किए जा रहे थे– तटबंधों का निर्माण अल्पकालिक उपाय था और जलाशयों का निर्माण दीर्घकालिक उपाय था। कोशी की बाढ़ के नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक उपाय को तिलांजली देते हुए अल्पकालिक उपाय यानि तटबंध को चुना गया। पूर्वी और पश्चिमी तटबंध का निर्माण करते हुए, तटबंधों के बीच बढ़ने वाले 300 गांवों के निवासियों के हितों को बलि चढ़ा दिया गया, इस तर्क पर कि व्यापक जनता के हित के लिए कुछ लोगों का बलिदान जायज है। इन लोगों से जो वायदे किए गए थे उनको जल्द ही भुला दिया गया। दुर्भाग्य से जिस कोशी–स्वर्ण युग की कल्पना के आधार पर यह काम किया गया था वह भी मरीचिका ही साबित हुआ। बहुत जल्द ही नियोजकों को अहसास हो गया कि कोशी को बांध कर यद्यपि उसकी चंचलता और फैलाव पर विजय पा ली है लेकिन तटबंधों के साथ लगें भू–भाग पर जलजमाव की भीषण समस्या को जन्म दे दिया है। तो भी देश की हाइड्रोकेसी ने तटबंध के तकनीकि हल का खंड़न नहीं किया और प्रदेश में और अधिक तटबंधों का निर्माण अन्य नदियों पर भी होता रहा, तटबंध प्रभावित तथा जल जमाव प्रभावित आबादी का विस्तार होता रहा ।

यहां हाइड्रोक्रेसी की इस गैर जिम्मेदार मानसिकता को समझना बहुत आवश्यक है। अगर तटबंधों के बीच कुछ लाख लोग फंस गए हैं तो हाइड्रोक्रेसी इसके लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानती। उनके अनुसार अगर विकास का लाभ उठाना है तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। अपने स्थान से हटना होगा और आपके मुआवजे इत्यादि की जिम्मेदारी भी राजनैतिक नेतृत्व की है। अगर तटबंध से जलजभाव पैदा हो गया तो इसकी भी जिम्मेदारी हाइड्रोक्रेसी की नहीं है। वे कहेंगे कि सारे परिणामों का आंकलन पहले से नहीं किया जा सकता या यह दुष्परिणाम जो तकनीकि हल में चुना गया उसमें निहित था और इससे बचना संभव नहीं था। इस पूरी योजना के 'कीमत–लाभ' विश्लेषण की बात की जाए तो यह अर्थशास्त्रियों का विषय है हाइड्रोक्रेसी का नहीं। और इस आंकलन को समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, कृषिशास्त्र मौजूद नहीं हैं समय के साथ बढ़ते व्यापक प्रतिरोध के दबाव में हाईड्रोक्रेसी अब यह स्वीकार करती है कि सभी निर्णयों में जनभागीदारी का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। पर जनभागीदारी के किसी शास्त्र या विद्या से हाईड्रोक्रेसी परिचित नहीं है।

इसके साथ–साथ ही यह कहा जा रहा है कि नदी पर नियंत्रण के लिए तटबंधों की तकनीक की विफलता अब पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है तथा इसके लिए अब एक नयी दृष्टि या पैराड़ाईम की आवश्यकता है। इसको नदीघाटी प्रंबधन का नाम दिया गया है जिसमें नदी की प्रकृति को पहचानते हुए उसके साथ मिलकर चला जाए तथा बानिकी विकास, कृषिविकास, जलसंचयन इत्यादि की नई पद्धतियां विकसित की जाए। साथ ही बाढ़ की अवश्यमविता को स्वीकार करते हुए उसके साथ जीने के नए–नए तरीके विकसित किए जाऐं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बसावट न की जाए। मकानों के स्थान तथा बनावट में परिवर्तन किया जाए तथा सभी जनता को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे बाढ़ आने पर नाव इत्यादि से अपना बचाव कर सकें सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सकें और ऐसे स्थानों पर शुद्ध पेयजल, भोजन इत्यादि की व्यवस्था का प्रबंध पहले से ही कर लिया जाए। इस नयी दृष्टि के चलते आपदा प्रबंधन का नया शास्त्र तेजी से विकसित हो रहा है तथा आपदा प्रबंधन विभाग को विशाल वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस नयी शब्दावली और शास्त्रावली के आंडबर में वर्तमान में जल संसाधन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को पूरी तरह छिपा दिया है। भ्रष्टाचार तथा लापरवाही के कारण जो आपराधिक कृत्य हुए उनके परिणामस्वरूप लाखों लोग बर्बाद हो गए। इसके लिए न किसी की जिम्मेदारी तय की गई है और न किसी को सजा दी गई है।

आधुनिक विज्ञान और तकनीक के तहत जो विकास संभव है उसकी अनिवार्यता तथा मर्यादाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाले विभाजित नतीजों को यदि मान भी लिया जाए तो भी रेशनलिटी के आधार पर यह कर्तव्य बनता है कि अनदेखे, अनबूझे नतीजों के सामने आने पर उनसे सबक लिया जाए और पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हुए लगातार मार्ग को ठीक करने का प्रयास किया जाए। हाईड्रोक्रेसी के अंतर्गत अगर ऐसी विवेकशील रेशनलिटी की बौद्धिक प्रतिभाऐं मौजूद भी हैं तो शासनतंत्र में उनकी कोई आवाज नहीं है। न ही इस प्रकार की बौद्धिक प्रतिभाऐं आमजन के बीच जाकर उनको अपना पक्ष समझाकर, निरंकुश राजसत्ता के विरूद्ध उनकों गोलंबद करना अपना दायित्व मानती हैं। नतीजे के फलस्वरूप निरंकुश राजसत्ता पुरानी गलतियों को स्वीकार करने के स्थान पर नई तकनीकों और नए वित्तीय संसाधनों के नशे में नई गलतियां और बड़ा विध्वंस संसाधनों के नशे में बढ़ती है। राज्यतंत्र में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण एक प्रकार का सिनिसिज्म व्याप्त हो जाता है और किसी प्रकार के विवकेशील रेशनलिज्म या नैतिक चुनौती के लिए कोई स्थान नही बचता। अंतर्राष्ट्रीय राजतंत्र एक नई रेशनलिटी की बात Coping strategies या Adaptation के काम करता है। ऐसी स्थिति में जनता या तो अनाचार का रास्ता अख्तियार करती है या भगवान के भरोंसे अपने को छोड देती है।

मानवनिर्मित पर्यावरणीय आपदा के रूप में जो विपत्ति बिहार की जनता पर ड़ाली गई और आज भी इसके राजनैतिक प्रतिरोध की कोई शक्ति उसके पास नहीं थी। अपनी जिजीविषा और संकल्प से जीवन यापन के नई तरीके ढूंढती हुई और प्रवासी मजदूरों के रूप में पूरे भारत में फैलती हुई बिहार की जनता के लिए 21 वीं सदी के भारत में क्या कोई नया रास्ता बन सकता है? इसी शोध की दिशा में यह लोकायन बुलेटिन का कोशी विशेषांक एक विनम्र प्रयास है।

कोशी परियोजना से जुड़े कुछ विवादित मुद्दे : आत्मचिंतन के रूप में लेख

विभिन्न लेखकों के विचारो से यह संग्रह लिया गया है: डॉ. ओंकार मित्तल

1. तटबंधो से पूर्व कोशी की समस्या पर विभिन्न मत

1.1 कोशी अभिशाप थी–

कोशी की अस्थिरता ने बड़ी तबाही मचाई है। अपने पश्चिम से हटने के क्रम में कोशी परमान से लेकर तिलयुगा चली आई, इतना तो निर्विवाद है, क्योंकि उसके तो रिकार्ड मिलते हैं। अब गांव घर के ऊपर से कोशी जैसी नदी गुजर जाए तो उसका अंजाम क्या होता होगा इसका अंदाजा तो वही लगा सकता है जिसने यह भोगा हो। दूसरे के बस की बात नहीं है वह इस बाढ़, कटाव, भरना, बालू जमाव और उसके द्वारा पैदा होने वाली घर खसीर (घर गिरना), फसलका नुक्सान, भुखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, कर्जखोरी, महाजनों की प्रताड़ना और पलायन जैसी तकलीफों का बयान कर सके''। ''बंगाल की नदियों में कोशी अपने धारा परिवर्तन, धारा के तेज प्रवाह, तलहटी की अनिश्चित और खतरनाक बनावट तथा बाढ़ की तबाही के किस्सों के लिए बदनाम रही है। पहाड़ों से बहती हुई यह नदी अपने साथ बेहतर बालू लाती है जिसे यह नदी अपने पूरे इलाके पर बिखेर देती है जिससे वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है, कुए पट जाते हैं और लोगों को अपना घर छोड़ कर हट जाना पड़ता है ऐसी बालू वाली जमीन में खेती शुरू करने में कम से कम पचास साल का समय लग जाता है।''

''यहां यह ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजों का राज भारत में 18 शताब्दी के मध्य में ही स्थापित हो चुका था। उन्नीसवीं शताब्दी जाते –जाते अंग्रेजों की कुल्हाडियां हमारे उत्तर बिहार के जंगलों को साफ कर चुकी थी। और उनकी लूटपाट का काम पूरा हो चुका था। ''इसके कारण पूर्णिया में बाढ़ों की तीव्रता में बढ़ोत्तरी हुई हैं इधर जंगल का इलाका काफी घना हुआ करता था। अब वहां नंगे खेत हैं जो कि बाढ़ के पानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।'' अब यह पूरा जंगल साफ है।

ध्यान दिया जाए कि देश में बाढ़ की समस्या का उद्‌भव, एक मत के अनुसार अंग्रेजों के जंगल काटने से ही हुआ। अंग्रेजों के भारत में राज को जिसे पैक्स ब्रिटेनिका के रूप में जाना जाता था, कुछ इतिहासकारों ने एक्स–ब्रिटेनिकां और टैक्स–ब्रिटेनिका की संज्ञा दी है। एक्स यानि कुल्हाड़ी से तात्पर्य बहुत विशाल स्तर पर जंगलों को काट देने से है। यह मात्र अकादमिक विषय नहीं है। आधुनिकता का दावा ही पूर्व की स्थितियों को खराब बताकर विकास की मरीचिका पैदा करने से होता है। अपनी एक गलती का इलाज आधुनिकता दूसरी गलती में खोजती है। जंगल काट कर बाढ़ पैदा करना, बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाकर उनके टूटने से जल–प्रलय पैदा करना यही आधुनिकता का तर्क है।

''कोशी की बाढ़ की एक खासियत और थी। लगातार धारा बदलते रहने के कारण यह नदी तीन अलग–2 शालों में देखी जाती थी। एक सूरत तो उन इलाकों की होती थी जहां से कोशी की मुख्य धारा बहती थी और जो सीधे इस बाढ़ की चपेट में आते थे। बाढ़ के इस सीधे हमले से

मुश्किलें सिर्फ पानी के फैलाव और उससे होने वाली असुविधाओं तक ही सीमित नहीं रहती थी वरन् जमीन का कटना, बालू का जमाव, जिसे स्थानीय लोग भरना कहते हैं, जल जमाव, पीने के पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरह से तहस नहस हो जाना, रास्तों का बंद होना या कट जाना, गांवों का पानी से घिर जाना, चेचक, हैजा, मलेरिया, कालाजार, सांप कांटना और चौर तथा दवाओं के अभाव में बड़ी तादाद में जानवरों का मरना आदि सारी तकलीफें समेट कर एक जगह रख दी जाती थी जहां से कोशी गुजरती थी। यदि इन सारी बातों को एक दैवी विपत्ति, आकस्मिक दुर्घटना या दुःस्वप्न मानकर भुला दिया जाए तो भी हालात की अगली मार से बचना मुश्किल होता था।''

''वह इलाके जिनसे होकर कोशी गुजर चुकी होती थी, उनकी हालत कोई बहुत अच्छी रहती हो ऐसा नहीं था मगर इतना जरूर था कि नदी की मुख्य धारा की जगह छोटी–2 धाराऐं बहने लगती थीं, बालू सिल्ट पड़ने के कारण रोड़ भर जाते थे, और झउआ के जंगल उग आते थे। इन जंगलों को काटकर जमीन को फिर खेती लायक बनाना बड़ा कठिन काम था मगर जमीन साफ कर ली जाए तो खेती की कुछ संभावनाऐं बनने लगती थीं। तकलीफें पहले से कम होती थीं फिर भी सामान्य परिस्थिति में लौटने में आठ से दस साल का समय लग जाता था।

जिन इलाकों में कोशी की मुख्य धारा पहुंचने वाली होती थी वहां कुछ वर्ष पहले से कोशी की छोटी–छोटी धाराऐं सक्रिय होने लगती थीं। ऐसी धाराओं में पानी के फैलाव से जमीन को ताजी मिट्टी और काफी मात्रा में पानी मिल जाता था जिससे खरीफ और रब्बी की जबर्दस्त फसल होती थी, मगर यह सब छलावा साबित होता था जब कोशी की मुख्य धारा आकर इस इलाके को पूरी तरह उजाड़ देती थी। यह ध्यान देने की बात हे कि 1923 से 1946 के बीच कोशी क्षेत्र में मलेरिया से 5,10,000, कालाजार से 2,10,000, हैजे से 60,000 तथा चेचक से 3000 मौते (कुल 7,83,000) हुई। (हरिनाथ मिश्रा–The Kosi Problem 1946)

इस संदर्भ में अन्य विद्वानों के विचारों का उल्लेख प्रासांगिक है। श्री एम.नारायण द्वारा लिखित आयोजित सेमीनार में 28 सितम्बर 2008 को पढ़े गए एक लेख से उद्दृत करना उचित होगा :–

''कोशी प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत पूर्वी तटबंध की रचना, बैराज का निर्माण, मिट्टी का तटबंध, एफ्लक्स बांध तथा पूर्वी नहर प्रणाली का विकास किया गया, 25 वर्ष पूर्व पूरा कर लिया गया इन सब वर्षों में नदी को तटबंधों के बीच बांधने में और पूर्वी किनारों पर बहुत बड़ी रेतीली भूमि को सिंचाई की सुविधा देने में जो कि कोशी नदी के द्वारा विध्वंस का शिकार होते थे, कोशी प्रोजेक्ट सफल रहा और इस क्षेत्र के निवासियों को कोशी की विध्वसकारी बांटों से बहुत बढ़ी राहत प्रदान की। कोशी नदी जिसको व्यापक रूप से 'शोक की नदी' कहा जाता था। और लंबे समय से लोगों के लिए एक समस्या तथा इंजीनियर्स के लिए एक चुनौती थी। लगभग 200 वर्षों में 1736–1954 तक यह चौड़ाई में 70 मील पश्चिमी दिशा में अपना रास्ता बदल चुकी थी। इससे नेपाल में 300–500 वर्गमील तथा बिहार में 2000–3000 वर्ग मील उपजाऊ कृषि भूमि मोटी और बारीक बालू के जमा होने से बर्बाद हो चुकी थी। अपना रास्ता बदलने के दौरान कई शहर और गांव इसके ग्रास में समा चुके थे जिससे जान माल की अपार क्षति हुई और इससे पीड़ित जनता कराह रही थी इसलिए समस्या यह थी कि नदी के रास्ते को एक धारा में कैसे समाहित किया जाए और इसको इसी के अंदर कैसे बांधा जाए जिससे यह इस क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित जनता के लिए वरदान बन सके।''

1.2 कोशी अभिशाप नहीं वरदान थी

इसके विपरीत सुपौल के कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा के नेता श्री रामदेव शर्मा के अनुसार–

''कोशी पूर्णिया से दरभंगा के बीच 200 किलोमीटर तक बहती थी। किसान कोशी के पानी का इंतजार करते थे। दो से तीन फीट से अधिक पानी इलाको में नहीं आता था। कोशी के पानी तथा नई मिट्टी से खेतों को उर्वराशक्ति मिलती थी। किसी भी क्षेत्र में कोशी की बाढ़ से जान–माल क्षति नहीं होती थी। मगर सरकार ने तटबंध बनाकर इस सुरक्षा को खतरे में डाल लिया।''

श्री अनुपम मिश्र अपनी पुस्तक ''तैरने वाला समाज टूब रहा है'' में लिखते हैं : '' लोग इस पानी से, इस बाढ़ से खेलना जानते थे। यहां का समाज इस बाढ़ में तैरना जानता था। इस पूरे इलाके में हृद और चौरा या चौर शब्द बड़े तालाबों के लिए है। चौर में बाढ़ का अतिरिक्त पानी रोक लिया जाता था। इस इलाके में पुराने और बढ़े तालाबों का वर्णन खूब मिलता हैं .....उन्नीसवीं शताब्दी तक वहां के बड़े–बड़े तालाबों के बड़े–बड़े किस्से चलते थें दरभंगा का एक तालाब इतना बड़ा था कि उसका वर्णन करने वाले उसे अतिशियोत्ति तक ले गए। परिघरपुर, भरवाहा और आलपुर आदि क्षेत्रों में दो–तीन मील लंबे चौडे तालाब थे।''

''यहां की नदियां एक दूसरे से बहुत मिलती हैं, एक दूसरे का पानी लेती हैं और देती भी हैं। इस आदान प्रदान में जो खेल होता है, उसे हमने एक हद तक बाढ़ में बदल दिया है। नही तो यहां के लोग इस खेल को दूसरे ढ़ंग से देखते थे। वे बाढ़ की प्रतीक्षा करते थे। इन्हीं नदियों के बाढ़ के पानी को रोक कर समाज बड़े–बड़े तालाबों में ड़ालता था और इससे उनकी बाढ़ का बेग कम करता था। एक पुराना पद मिलता है– 'चार कोशी झाड़ी' । इसके बारे में नए लोगों को अब ज्यादा कुछ पता नहीं हैं पुराने लोगों से जानकारी एकत्र कर यहां के इलाके का स्वभाव समझना चाहिए। चार कोशी झाड़ी का कुछ हिस्सा शायद चंपारण में बचा है। ऐसा कहते हैं कि पूरे हिमालय की तराई में चार कोस की चौड़ाई का एक धना जंगल बचा कर रखा गया था। इसकी लंबाई पूरे बिहार में ग्यारह–बारह सौ किमी तक चलती थी। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तक जाता था। चार कोस की चौड़ाई और उसकी लंबाई हिमालय की पूरी तलहटी में थी। आज के खर्चीले अण्यहवादिक तटबंधों के बदले यह विशाल वन–बंध बाढ़ लाने वाली नदियों को छोनने का काम करता था। तब भी बाढ़ आती रही होगी, लेकिन उसकी मारक क्षमता ऐसी नहीं होगी।

इसीक्रम जे–एलबर्ट–रोलाबेकर के लेख में बाढ़ मुक्ति अभियान तथा महानंदा तटबंध विरोधी संघर्ष कमेटी को उद्दृत करते हुए वे कहते हैं कि तटबंध बनने से पहले बाढ़ एक पतली चादर की धार की तरह से आती थी। यह किसानों के लिए एक सिरदर्द तो आवश्य थी पर कम से कम वो इसको समझते थे– यानि बाढ़ के पानी की गहराई को, इसके रूकने के समय इत्यादि को – वे इससे जूझने की तैयारी करते थे और इसका मुकाबला करने में सक्षम थें इससे उनके घर नहीं दहते थे, उनके मवेशी नही डूबते थे और वे बाढ़ का शिकार नहीं बनते थे। यह साधारण तौर से बाढ़ के वार्षिक चक्र का एक हिस्सा थां वास्तव में तटबंधों के निर्माण से पहले मानसून के महीने उत्सव का समय थे। लोगों का नदी ओर बाढ़ के साथ सहजीवन था (यद्यपि यह मात्र अकादमिक बहस लगसकती है तो भी यह एक महत्वपूर्ण बहस है और हमकों इससे भागना नहीं चाहिए।)

2. तटबंध निर्माण से जुड़े विवाद

2.1 तटबंधों के निर्माण के समय के विवाद–

जैसे ही सरकार की और से घोषणा की गई कि कोशी पर बांध बनेगा तब आम आदमी की समझ यही थी कि नदी उत्तर से दक्षिण की और बहती है इसलिए जो कोई भी बांध बनेगा वह नदी के सामने पूरब–पश्चिम दिशा में बनेगा। किसान अपने खेतों में पानी रोकने या उसकी दिशा मोड़ने के लिए यही करता है पानी की धारा और दिशा के सामने मिट्टी ड़ालता है। परियोजना के बारे में हम लोगों की समझ यही थी जब बांध का काम शुरू हुआ तो हम लोगों को लगा कि मिट्टी तो नदी

की धारा की दिशा में ड़ाली जा रही है। यह हमारे लिए बड़ी अजीब चीज थी और तब हमें लगा कि हमारे गांव तो बांध (तटबंध) के बीच फंसने जा रहे हैं। इस घटना ने सबकों होशियार किया और सभी ने संघर्ष करना शुरू किया कि किसी तरह उनका गांव तटबंध के बाहर कट्रींसाईड़ में आ जाए। गांव की स्थिति तो निश्चित थी, उसे तो बदला नहीं जा सकता था मगर बांध (तटबंध) को इधर–उधर किया जा सकता था यहां वही हुआ। हर कोई बांध (तटबंध) के कंट्रीसाईड में जाना चाहता था। जो ताकतवर था वह चला भी गया। उन दिनों कौन ताकतवर था वह तो आप अच्छी तरह जानते हैं। (श्री नारायण प्रसाद यादव)

इस संदर्भ में श्री रामदेव शर्मा (सुपौल) का कहना है कि ''तटबंध की दूरी निर्मली के पास 16 किमी और महिषी के निकट 7 किमी कर दिया जबकि मूल प्रस्ताव में तटबंध की दूरी 28 किमी रखा गया था। ऐसा इसलिए किया गया कि ब्रãण एवं राजपूत समाज के गांवों को तटबंध के बीच आने से बचाया जाए।

2.2–तटबंधों के निर्माण के समय उनका विरोध–

''आज बहुत से लोग यह मानते हैं कि कोशी परियोजना का सारा काम बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ और कहीं किसी प्रकार का विरोध नहीं था। वह यह भी कहते हैं कि अगर किसी को कोशी परियोजना से कोई असहमति थी तो वह अपना विरोध दर्ज कर सकता था। ''योजना जन सहयोग से बनी थी। अगर लाभ नहीं होता तो लोग जमीन पर लेट जाते कि हमारी छाती पर होकर इसे बनाईये''। (गंगाशरण सिंह–गंगा फ्लड़ ट्रोलकमीशन)
सच यह है कि हुआ ऐसा ही था मगर अपनी सुविधा के अनुसार याद रखने वालों और उसी के मुताबिक अनजान बनने वालों से पार पाना मुश्किल है खासकर तब जब ऐसा आदमी हाकिम–हुकुम कक रूतवे से, खबरहाल सरकार को एक विज्ञप्ति के माध्यम से लोगों को खबरदार करना पड़ा कि वह अराजकता या हिंसा से बाज आए।

सरकार स्थानीय लोगों को दो पालियों में बांटने में कामयाब हो गई थी। इनमें से एक तरफ के लोग चाहते थे कि तटबंधों के बीच की दूरी घटाई जाए ताकि उनके गांव कट्रीसाईड में चले जाएं। दूसरी तरफ वह लोग ये जो किसी भी हालत में तटबंधों के अंदर रहने के लिए 'अभिशप्त' थे और चाहते थे कि तटबंधों के बीच की दूरी को यथा–संभव बढ़ाया जाए ताकि उनपर नदी के पानी का कम असर पड़े। लोगों की लड़ाई अब सड़कों पर उतर चुकी थी। और मधेपुर प्रखंड के करहारा गांव में तटबंधों के बीच रहने वालों तथा पश्चिमी तटबंध के बाहर के गांवों के लोग लाठियों के साथ आमने सामने थे जैसे उनके लिए इतना ही काफी नहीं था कि उन लोगों की तरफ से एक और मांग थी। जिनकी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि तटबंध किस तरफ से होकर जाता है और किस तरफ से नहीं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी ही थी कि किसी तरह तटबंधों पर काम शुरू हो ताकि उनको रोजगार मिल सके और ऐसे लोगों की तादाद काफी थी। सरकार ने इन्हीं लोगों का इस्तेमाल यह प्रचार करने के लिए किया कि तटबंधों की मांग कितनी जबरदस्त है। इन सब समूहों के अपने–अपने निहित स्वार्थ थे। और वह बाकी के खिलाफ कमर कस कर खड़े थे। सरकार शायद यही चाहती भी थी कि लोग आपस में लड़े और फिर तकनीकी औचित्य का हवाला देकर वह जो मन में आए सो करें और अपनी राय सब पर थोपें।

एक अलग बात थी कि तकनीकि औचित्य को बहुत पहले ही कूड़े के ढ़ेर पर फेंक दिया गया था। बेहतर यही होता कि तटबंधों की ऊंचाई, चौड़ाई और उनके बीच का फासला इंजीनियर और केवल इंजीनियर तय करते मगर कोशी तटबंधों के मामले मे जो कुछ भी हुआ वह किसी मायने में जनमत संग्रह से अलग नहीं था।

इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, मगर जैसे–तैसे तटबंधों का काम पूरा कर ही लिया गया। इसलिए यह एकदम आश्चर्य जनक नहीं है कि फिलहाल जो कोशी तटबंध बना है वह मूल

डिजाईन का, कोई ऐसी डिजाईन रही हो, तो मखौल भर है। बाढ़ नियंत्रण की तकनीक और तटबंधों का कार्टून देखना है तो कोशी तटंबध जैसी उपयोगी जगह शायद दूसरी कोई न हो।

2.3 –तटबंधों के बीच फंसी जनता से गद्दारी

कोशी परियोजना की चर्चा इतिहास के उस बिंदु से होनी चाहिए जहां आजादी के बाद शीर्ष नेताओं और राज्य ने तटबंधों को कोशी में बाढ़ की समस्या के स्थायी हल के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत किया। नेताओं के इस आश्वासन पर विश्वास करके बिहार की जनता ने कुर्बानी देकर और श्रमदान करके इन तटबंधो के निर्माण करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। दुर्भाग्य से नेताओं, अफसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का यह वायदा दुःस्वपन ही साबित हुआ।

''तटबंध बन जाने के फलस्वरूप सैकड़ों गांव दोनों बांध के बीच पड़ने वाले थे, जिनका भविष्य अंधकारमय होने वाला था। किंतु यह सब जानते हुए भी अधिकांश लोगों के सुख को ख्याल में रख तटबंध से प्रभावित होने वाले लोगों ने राष्ट्र के नेताओं के आह्वान पर जिस तरह शिवजी की भांति गरलपान किया उसका मूल्य कौन चुका सकता है? प्रारम्भ में तो बड़ा ही जबरदस्त विरोध हुआ, सत्याग्रह हुआ और ऐसा लगा कि योजना का कार्य किसी तरह चल नही सकता। हर जगह लोग मर मिटने को तैयार थे– बांध बंधने देना उन्हें मंजूर नहीं था– परन्तु भारत सेवक समाज के अदम्य प्रयास एवं नेताओं के प्रेम ने उन्हें जीत लिया। स्वयं राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद एवं बिहार के मुख्यमंत्री डॉ श्रीकृष्ण सिंह ने कोशी क्षेत्र में आकर लोगों को आश्वस्त किया कि वे बांध बंधने दें। उनके आर्थिक पुनर्वास एवं सर्वागीण विकास का सारा जिम्मा सरकार लेती है और उन्हें कोई भी असुविधा नही होनी दी जाऐगी। हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तो इस दिशा में विशेष चिंता थी ही। उन्होंने भी बारबार लोगों को सांत्वना एवं आश्वासन दिया। फिर तो गांव–गांव से झुड़ के झुड़ लोग आकर दिन रात भूखे प्यासे रहकर उस यज्ञ में आहुति देने लगें कहा जा सकता है कि अपनी कब्र उन्होंने स्वयं खोदी इस आशा में कि उन्हें कब्र से निकालकर सरकार पुनः जीवन प्रदान करेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज दो बूंद आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं है काश आज डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, पंड़ित जवाहर लाल नेहरू एवं डॉ. श्रीकृष्ण सिंह जीवित होते और देख पते कि उन निरीह एवं निस्सहायों के जीवन के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरह नेताओं द्वारा किए गए आश्वासनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। (श्री लहटन चौधरी)

इसके अतिरिक्त तटबंधों के बनने के कारण जलजमाव की समस्या पैदा हुई है। श्री दिनेश मिश्र के अनुसार बिहार में लगभग 9 लाख हैक्टेयर भूमि जलजमाव की समस्या से ग्रसित है जिसका 8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का हिस्सा उत्तर बिहार में एवं 100 लाख हैक्टेयर का क्षेत्र मोकाम टाल में पड़ता है (1999–2000 की बिहार के जलसंसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार) जल जमाव के निराकरण के लिए बनी योजनाओं पर अमल शायद हो भी नहीं सकता क्योंकि पानी की निकासी के लिए नाले बना कर के नदी तक ही तो ले जाऐंगे जबकि तटबंध बन जाने के कारण नदी का तल आसपास की जमीन से ऊपर है और जब तक तटबंध काटा नहीं जाएगा तब तक बाहर अटके पानी की एक बूंद भी नदी में नहीं जाएगी।

हमारे लिए जल जमाव न तो तकनीकि मसला है और न ही इसे राजनीति से जोड कर देखने से हमें कुछ लाभ होने वाला है। यह तो इस क्षेत्र के किसानों के लिए जीवन भरण का प्रश्न है।

जल जमाव सिर्फ खेती का रकबा ही कम नहीं करता, वह छोटे और सीमांत खेतिहरों को भूमिहीन बनाता है और रोटी की तलाश में बाहर भटकने को मजबूर करता है। वह अपनी जरूरत भर अनाज पैदा कर लेने वाले किसानों को मजदूर बनाता है। खेतों को तालाब बनाता है और गेहूं –धान की जगह मछलियां, घोंघे और केकड़े पैदा करता हैं। सड़क पर चलने वाली बस जीप तांगा इक्का या रिक्शा या साईकिल जैसी सवारियों को नाव में तबदील करता है। कालाजार, मलेरिया

और जापानी एसिफे .....ईटिस जैसी जानलेवा बीमारियां जन्म देता है। पति के जिंदा रहते हुए महिलाओं को विधवा की तरह जीने को मजबूर करता है और मासूम बच्चों को पिता के प्यार व अनुशासन से हीन करके उन्हें कालीन बनाने या होटलों में जूठन साफ करने के लिए प्रेरित करता है। जल जमाव पूरी स्थानीय उत्पादन प्रक्रिया चौपट करके इलाके के बाशिंदों को कभी खत्म न होने वाले मनी–आर्डर के इंतजार में ढ़केलता है और बहुत सी सामाजिक विकृतियों और समस्याओं को जन्म देता है। इन हालात से निबटने का कोई बना बनाया हल नहीं है।

बिहार में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के दुष्परिणाम

2.5 तटबंधों के बीच और तटबंध के बाहर की कुल बरवादी

1. तटबंधों के बीच फंसे एवं बगल के जल जमाव ग्रस्त गांव

महानंदा	–	66
कोशी	–	380 (+ 34 नेपाल में)
भुतही बालान	–	52
कमला	–	104
बागमती	–	95
गंड़क	–	400 (लगभग)
	कुल	**1098**

लगभग इतने ही गांव तटबंधों के बाहर हुए जलजमाव से प्रभावित हैं।

इस प्रकार एक मोटे अनुमान से हम कह सकते हैं कि 2000 गांव या 30 लाख आबादी पर तटबंधों के बनने से सीधा विपरीत प्रभाव पड़ा है।

2. जल जमाव की कुल स्थिति

बिहार का कुल क्षेत्रफल 94 लाख हैक्टेयर है। इसमें 68.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। अगर इसमें कुसहा टूट के बाद का प्रभावित 3.68 लाख हैक्टेयर क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो यह कुल क्षेत्र 72.68 लाख है।
इसमें जल जमाव ग्रस्त क्षेत्र की स्थिति इस प्रकार हैः

उत्तर बिहार	–	8.36 लाख हैक्टेयर
दक्षिणी बिहार	–	1.06 लाख हैक्टेयर
कुल	–	9.42 लाख हैक्टेयर

इस प्रकार उत्तर बिहार का लगभग 16 प्रतिशत क्षेत्र जल जमाव से ग्रस्त है या यह कहा जा सकता है कि उत्तर बिहार की 16 प्रतिशत आबादी या लगभग 80 लाख लोग स्थायी रूप से जल जमाव से प्रभावित हैं।
3. राज्य में मार्च 2008 तक लगभग 2000 करोड़ रूपया बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किया गया।

2.6 तटबंधों पर विवाद जारी

जुलाई–अगस्त 2007 में बिहार सरकार ने बढ़ी बाढ़ों और बाढ़ सुरक्षा के लिए बनाए तटबंधों की टूटने से होने वाली बाढ़ की समस्या पर विचार करने के लिए श्री एन.सान्याल की अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी का कठन किया। इस कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस बहुत व्यापक थी जिसमें तटबंधों में होने वाली बडी–बड़ी टूटों पर विचार करना और लंबी दूरी में बाढ़ समस्या का हल सुझाना शामिल था कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2008 में दी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट के पैरा 4:6:1 में बाढ़ प्रबंधन के लिए तटबंधों के निर्माण का समर्थन किया। श्री एम.बी वर्मा विस्तृत अध्ययन करते हुए इसके नतीजों को चुनौती दी है।

विचारणीय बिन्दु

अ. (1955–60 के बीच के इस घटना क्रम में महत्वपूर्ण राजनैतिक दलों की पृष्टभूमि पर अधिक प्रकाश नहीं डाला गया है। कांग्रेसी, समाजवादी और सर्वोदयी मेतृत्व ने इस मुद्दे पर क्या रूख अपनाया यह महत्वपूर्ण शोध का विषय है)

ब. तटबंधों को बनाने, यद्यपि जनता के सामने सर्वश्रेष्ठ हल के रूप में प्रस्तुत किया गया था लेकिन राज्य की संस्थाओं तथा शीर्ष नेताओं में अपने अंदर इस विषय में मतभेद थे। लेकिन इन मतभेदों को जनता के सामने नहीं रखा गया। एक बार तटबंधों के पक्ष में निर्णय ले लिया गया तो विरोधी स्वरों को दबा दिया गया। आज भी कोशी विभाग के अभियंतागण, परस्पर मतभदों के बाबजूद, तटबंधो के निर्माण को महती कार्य मानते हैं शायद जनता के एक बहुत बड़े वर्ग की भी यही मान्यता है। हमारे लिए यह एक विचारणीय बिंदु होना चाहिए। जो साथी तटबंधों को तोड़ने की बात कह रहे हैं वे यह बात स्पष्ट रूप से और मुखर हो कर नहीं कह रहे हैं। इस बारे में जो द्वंद बना हुआ है उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। कुसहा बांध के टूटने के बाद कई साथियों ने उसको फिर से जोड़ने पर प्रश्नचिन्ह उठाए तथा व्यंग भी किया। लेकिन जोड़ने की कार्यवाही का मुखर विरोध नहीं किया हम इन साथियों से स्पष्ट मत प्राप्त कर सकते हैं या इस मत के बारे में अपनी स्पष्टता पैदा कर सकते हैं? बिहार सरकार के द्वारा गठित कोशी आयोग के समक्ष अपनी याचिकाओं में कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा के अनवर आजाद तथा अन्य पक्षों ने कुसहा में टूट को पुनः बांधने के राज्य सरकार के कदम का मुखर विरोध किया है और इस बारे में वैकल्पिक सुझाव दिए हैं। (देखिये वेबसाईट पर कोशी–आयोग से सबंधित दस्तावेज)

स. विगत फरवरी 2008 में मेरी कोशी टूट बंधान कमेटी के सलाहकार से बात हुई उन्होने कहा कि कुसहा टूटको बांधना एक राजनैतिक फैसला है तकनीकी फैसला नहीं, इसका अर्थ शायद यह था कि अन्य विकल्प भी हो सकते हैं लेकिन इसकी विस्तार में चर्चा उन्होंने नहीं की। शायद उनको इस मीटिंग में बुलाकर उनका पक्ष सुनना चाहिए।

इसका आगे विस्तार करना है।

कोशी परियोजना की समस्याऐं

भारत-नेपाल सम्बंध, तकनीक का चुनाव व भ्रष्टाचार

दीपक ग्वाली भूतर्पूव जल संसाधन मंत्री नेपाल

दिनॉकः- 13-16 मार्च 2009

स्थानः— यू.एस.ओ हाउस, नई दिल्ली

दीपक ग्यवाली :— कोशी की त्रासदी को देखकर और उसके बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि इस त्रासदी के बारे में अच्छी तरह से जान लिया जाए क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि ये तीन आचारों के संगम के कारण हुआ है।

1. गलत संस्थाएंः— शीर्ष स्तर की नौकरशाही ने जमीनी स्तर पर काम करने वाले समाज के विचारों को स्वीकार नहीं किया और न ही कोशी के स्थानीय बाजार को ही कोई महत्व दिया गया लेकिन इसका प्रभाव पंप के पानी पर बहुत ही बुरा पड़ा है। सिचांई की नहरें पानी की पूर्ति कर पाने में असमर्थ हैं जिसके कारण कोशी क्षेत्र के लोगों के पास पानी की कमी है और जिसके कारण उन्हें एक घंटे के लिए पंप का पानी खरीदने के लिए 50 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। कोशी और गंडक के दोनों ओर नहरें हैं लेकिन उन नहरों में एक बूंद भी पानी नहीं आता है। मैंने संस्थागत गलतियों की बात की है इससे मेरा अर्थ है सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं में बड़े और छोटे के बीच की स्थिति की बात है। जिसके कारण सब कुछ करने के लिए एक लंबी योजना की जरूरत होती है, जिसके लिए कोशी की प्रत्येक नहर को खोलने के लिए बजट बनाए और पास किये जाते हैं, वहां पर किसानों की आवाज या किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है जबकि उन्हें पानी की जरूरत होती है। सरकारी कार्यालयों में स्थानीय बाबू मौजूद नहीं होते हैं और पानी के बिना किसानों की फसल सूख रही होती है, नहरों में किसानों के खेतों के लिए पानी नहीं होता है जबकि पानी को वहां भेजा जाता है जहां उसकी जरूरत ही नहीं होती है। इस प्रकार नौकरशाही के कारण इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें किसी समस्या के समाधान की बजाय किसी भी चीज पर नियंत्रण जमाने की बात ही होती है। इस प्रकार से नौकरशाही अपनी जरूरत के तकनीकी काम करती है इसलिए वो निमार्ण करती है, वो बांध और तटबंध बनाती है और अनुपात को बिगाड़ देती है। इसके अलावा हम किसी और तकनीकी का भी प्रयोग कर सकते हैं जो बेहतर परिणाम दे सकती है।

गलत संस्थाओं का एक अन्य उदाहरण भारत और नेपाल के बीच की संधि के रूप में सामने आता है। यदि आप 199 साल की संधि के संस्थागत प्रबंधों को देखें तो कोशी बांध और तटबंध के बीच में रूकावट समझी जाती है और इसकी शुरूआत नियंत्रण के विचार से होती है। इसका अर्थ है पिछले 199 साल से नियंत्रण है। अब नेपाली गणतंत्र के अनुसार कुछ निमार्ण की बात हुई है लेकिन उसमें न तो रखरखाव और न ही किसी अन्य रूप में नेपाली गणतंत्र की भागीदारी है। इससे स्पष्ट है कि ये केवल नौकरशाही की ही बात है जिसमें केवल मात्र नियंत्रण की ही बात की जाती है। इसी नियंत्रण के विषय में मैं 2001 और 2002 का एक उदाहरण दे सकता हूं। उस समय तटबंध का निरीक्षण करने की बात हुई तभी वहां नेपाल में कर्फ्यू लग गया। बिहार का दल आया लेकिन उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी गयी। संधि के अनुसार वहां राजनैतिक रूप से नियुक्त एक नेपाली संपर्क अधिकारी आया जो कि सरकार के बदलते ही बदल सकता था लेकिन वो लोगों से अच्छा संपर्क बनाने में सफल नहीं हो पाया। कोशी संधि के अनुसार नेपाली संपर्क अधिकारी को बिहार से वेतन मिलता था और उस संपर्क अधिकारी ने बिहार के दल को वहां जाने ही नहीं दिया जिससे उसे बिहार से वेतन मिलना बंद हो गया। वो वेतन भी नाममात्र का था जो कि लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह था। यदि बिहार यह चाहता कि सिंचाई विभाग का कोई आदमी संपर्क

अधिकारी के रूप में काम करे तो इसके लिए बिहार को संधि में कुछ बदलाव लाने पड़ते लेकिन नेपाल के जल नियंत्रण निदेशक के पास इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं था। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कोषी संधि के अनुसार बिहार के अधिकारी किसी भी समय कोषी का निरीक्षण कर सकते थे लेकिन नेपाल में कर्फ्यू के कारण उनमें से किसी को भी वहां नहीं जाने दिया गया और यदि ऐसे में किसी की जान चली जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता? कर्फ्यू के दौरान कुछ समय के लिए 'पास' प्राप्त हो सकते थे लेकिन फिर उसके लिए नियंत्रण के एक अन्य माध्यम और तरीके से होकर गुजरना पड़ता। कोषी संधि की यही एक समस्या है जिसके आधार पर नेपाल इसमें न तो साधारण परिस्थितियों में और न ही कर्फ्यू जैसी किसी ओर आपातकालीन परिस्थिति में ही दख्ल दे सकता है। जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा जिससे संस्थागत प्रबंध गलत साबित हुए। इससे कई बड़ी–बड़ी समस्याएं खासकर बाढ़ के समय में कई समस्याएं पैदा हुई और कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाए।

2. संस्थागत नियंत्रण के बाद दूसरी समस्या 'तकनीकी' की है।

दुनिया की अन्य नदियों की अपेक्षा कोषी की अलग समस्या है। यह वर्षों से गाद एकत्र करती आ रही है। वास्तव में बंगलादेश और बिहार भी इसी तरह की गाद से बना है क्योंकि ये कंचनचुंगा की बहुत ऊंचाई वाले पर्वतों के अलावा अन्य पर्वतों से गाद एकत्र करके लाती है। वो सारा पानी और गाद एकत्र करती है और बाढ़ के समय वो चत्रा के एक बिंदु से आती है और वहां पर सामान्य परिस्थितियों में भी विस्फोट होता है। जब बड़ी या भयानक बाढ़ आती है तो ये विस्फोट और भी ज्यादा भयानक होते हैं और जब हम इस विस्फोट को तकनीक के माध्यम से जो कि कुछ नहीं होती बल्कि मिट्टी की दीवार होती है के माध्यम से ही नियंत्रण में करने का प्रयास करते हैं। मैं इस तरह की त्रासदी को देखकर बहुत ही हैरान हूं लेकिन इसे 50 साल तक ही नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे अधिक समय के लिए जाना चाहिए क्योंकि ये मिट्टी की दीवार है अब नेपाली पत्रकार ने नेपालियों के बीच में दख्ल दिया है जो सभी तरह की आपदाओं के दौरान काम करते हैं वे वृद्ध लोग हैं जो कोसी परियोजना पर काम करते हैं। जो लोग 1950 के दौरान वहां मजदूरी करने वालों को उस समय की बहुत सी बातें याद हैं। उनमें से एक मजदूर की कहानी भी है जो 1950 के दौरान कोषी परियोजना पर काम करता था उस परियोजना का ठेकेदार बिहार में पटना इलाके का था। अब हम उनकी बातों को कहने का प्रयास करते हैं वहां पहाड़ की क्ले थी जिसमें से पानी नहीं निकल सकता था। वो सब बालू थी जिसके बारे में ठेकेदार ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। एक बार इसे बालू से बना दिया गया जिससे आज कोषी बांध बना हुआ है। आज आप वहां के किसी भी स्थान को थोड़ा सा काटकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि वहां केवल बालू ही है अर्थात तटबंध को किसी मजबूत तरीके से बनाने की अपेक्षा केवल बालू से ही बनाया गया है। (1960 के समय पाप किया गया था।) उस समय गलत तकनीक का प्रयोग हुआ जिससे वो फेल हो गयी। उन्होंने सोचा था कि नदी में केवल पानी ही होगा जिसके कारण उन्होंने ऐसा तटबंध बनाया था लेकिन वहां तो पानी के अलावा गाद भी थी और वास्तव में कोषी प्रत्येक वर्ष 12 करोड़ क्यूबिक मीटर तक गाद लेकर आती है जिससे बाढ़ के दौरान कोषी नदी का तल आसपास की जमीन की अपेक्षा 4–5 मीटर अधिक हो जाता है। इसलिए बाढ़ के दौरान वहां पर दबाब 8 मीटर और हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जिसके माध्यम से वो ये सोचते थे कि इस तरह तटबंध बनाने से किसी भी नदी को 100 प्रतिशत रूप से नियंत्रित किया जा सकता है लेकिन उनका ये अनुमान गलत था। इस तरह हम इस तरह की तकनीक का प्रयोग किन्हीं अन्य स्थानों पर कर सकते हैं जैसे रेलवे की बिल्डिंगों को बचाने के लिए, इसके अलावा यदि कहीं पर छोटे तटबंधों की जरूरत हो तो वहां पर कर सकते हैं लेकिन यदि कोई ये सोचे कि वो इस तकनीकी के प्रयोग से छत्रा से कुर्सेला तक तटबंध बनाकर बाढ़ को रोक सकता है तो वो

बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हमें बाढ़ से बचाव की योजना बनाते समय वास्तुकला के आधार पर योजना बनानी चाहिए। कोषी से जुड़े हर गांव में रबर और अन्य तरह की नावों का इंतजाम होना चाहिए था और बाढ़ से पहले ही लोगों को चेतावनी देने का इंतजाम होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति बाढ़ के समय अपनी रक्षा स्वयं कर सके। हमें इस तरह की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए जो इस तरह के स्कूल और पंचायतों का निमार्ण करे जिसमें लोग बाढ़ के समय शरण लेकर अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। लेकिन इनमें से किसी भी तकनीक पर विचार नहीं किया गया और हमने आंख बंद करके केवल मात्र एक तकनीक पर भरोसा कर लिया जिसके कारण हम बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने में असफल रहे

3. **तीसरी समस्या है भ्रष्टाचार। हम नेपाल के बड़े मुद्दों के बारे में और नेपाल के गुस्से के बड़े मुद्दों को जानते हैं। कोषी परियोजना के लिए नेपाल से मुफ्त में टनों गोल पत्थर आये। अब नेपाल की प्रत्येक पी.वी.सी. और जिला विकास समिति ने जब–जब निमार्ण कार्य के पहाड़ी गोल पत्थर आए तब–तब उन्होंने उससे अपने पैसे बनाये। क्योंकि ये कोषी परियोजना थी और वे इसके लिए पैसा नहीं ले सकते थे। समस्या दो मामलों में आयी – 1. एक तो इसे कहीं से भी लिया जा सकता था जहां** सही पारिस्थितिकीय समझ हो, वहां से लिया जा सकता है। इसलिए हमें गोल पत्थरों को एक ही स्थान से लेना चाहिए उसे जगह–जगह से नहीं लेना चाहिए। 2. कोषी परियोजना में अधिकतर गोल पत्थर कभी भी खत्म नहीं होते हैं। वे मुजफ्फरनगर से सिलिगुरी तक के पराई उद्योगों में प्रयोग होते हैं और उनकी मदद से बहुत सा पैसा बनाया जाता है। इसलिए कोषी तटबंध के लिए बहुत बड़ी मात्रा में गोल पत्थर एकत्र किये गए इस प्रकार से कोषी के तटबंध के लिए एकत्र किये गये गोल पत्थरों को उस काम के लिए प्रयोग नहीं किया गया और इस बात को हर कोई जानता है। और इस बारे में किसी को कुछ नहीं करना है। यह दरार इस समय प्राकृतिक रूप से आई है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जिस स्थान पर 'मुरगा जली' बनाया गया और यह उम्मीद की गई कि वहां पर गोल पत्थर रखने चाहिए लेकिन ऐसा न हो सका।

इसलिए इस तरह पूरी तरह से नियंत्रित तकनीक, पूरी तरह से नियंत्रित व्यवस्था का प्रयोग हमने कोषी जैसी नदी को नियंत्रण में करने के लिए किया। हमेशा अखबार में आता था कि हमने बांध को तोड़ दिया। हमने ऐसा किया लेकिन हमने कोषी के वास्तविक स्थान को ढूंडा। आज कोषी में 10–12 हजार क्यूसेक पानी है और लगातार बढ़ रहा है। यह हमेशा ही अपना रूप बदलता रहता है। इसका पानी पहले की तुलना में 9 लाख अधिक बढ़ गया है। इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इस तरह का कोई लेखा–जोखा भी नहीं है। हमने दिल्ली और पटना के बीच तथा नीतिश कुमार और नेपाल मंत्रालय के बीच लड़ाई की बात सुनी है। सबसे पहले हम केवल इसको देखेंगे और इसके अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोगों की बातों पर अविश्वास कैसे कर सकते हैं या फिर इतने सारे लोगों की बात झूठ कैसे हो सकती है इसलिए अभी हम पूरी स्थिति को केवल मात्र देख रहे हैं। आज कई लोग विस्थापित होकर नेपाल में चले गए हैं। आज नेपाल के 10 शहरों में कई संगठन लगभग 65000 लोगों के राहत कार्यों में लगे हुए हैं। 10 शहरों में कोषी का जल स्तर 4 मीटर और बढ़ गया है। अब मेरा सवाल यह है कि यदि जून में कोषी का स्तर ऊपर आता है तो ये लोग कहां जायेंगे, इसके बारे में हमारे पास कोई योजना नहीं है। और ये विचार के वो अपने पुराने गांवों में वापस लौट जाएं ऐसा तो असंभव है क्योंकि वो तो दो मीटर रेत के नीचे दब गये हैं। मेरे लिए नेपाल और बिहार की तरफ से हैरानी भरी बात है तटबंध बनाने के विषय में कितनी अधिक गैर जिम्मेदारी दिखाई देती है। कि आपने बुलडोजर भेज दिये और सभी तरह की चीजें भेज दी लेकिन लोगों के बारे में तो कुछ भी नहीं सोचा कि आप उन्हें कहां रखेंगे और अपने स्थान को छोड़कर गए 65000 लोगों के लिए कोई रहने की व्यवस्था कैसे करेंगे। मार्च का अंत हो चुका है और जून आने वाला है लेकिन लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं की गई है आखिर ये लोग कहां जायेंगे और 4 क्यूसेक पानी का क्या होगा।

इसलिए इस विचार–विमर्श के बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं :–

हमें पुराने जल विज्ञान पर वापिस लौटना होगा जहां विज्ञान पर सिविल इंजीनियरिंग के आधार पर ही विज्ञान पर आधारित नहीं रहना होगा। हमें एक अलग तरह के विज्ञान की ओर मुड़ना होगा जहां हम हाइड्रोलिक नियंत्रण तकनीक की अपेक्षा अपनी समस्याओं के हल के लिए एक अलग ही तरह की तकनीक का प्रयोग कर सकें। हमें एक अलग तरह के सामाजिक विज्ञान की बात कर सकें जहां हम समाज के लिए किये जाने वाले प्रबंधों की बात कर सकें जिससे पारिस्थितिकीय लोकतंत्र भी संभव हो पाये। हमें एक भिन्न तरीके से बाढ़ पर नियंत्रण करने वाले समुदाय को भिन्न तरीके से सोचना होगा। इस तरह के काम में निर्माता लोग किस तरह की संस्थागत मदद कर सकते हैं। हमारे राजनीतिज्ञ संस्थाओं की तरह की सामाजिक संस्थाओं को भी इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा जिससे वो समय पर लोगों को खतरे की सूचना दे सकें और वो जल्दी ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें। जिस समय बांध या फिर तटबंध टूटते हैं तो उसके 15 या 18 घंटे के बाद बारिश भी आ सकती है तो हमें एक ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें हम सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की बात को वरीयता दें और जो पीछे रह जाएं उनकी सुरक्षा के इंतजाम भी करें। इस तरह से काम करने के लिए क्या–क्या इंतजाम करने चाहिए उनका भी ध्यान रखना होगा। पारिस्थितिकीय लोकतंत्र की बात करते हुए हमें वैकल्पिक तकनीकों, सामाजिक प्रबंधों, वैकल्पिक विज्ञान तथा वैकल्पिक राजनीति के बारे में सोचना होगा।

ओंकार मित्तल और अरूण कुमार पानी बाबा द्वारा लिया गया जी.डी. अग्रवाल का साक्षात्कार

स्थानः– हिन्दू महासभा, मंदिर मार्ग, दिल्ली
तिथिः– 19.01.2009

ओंकार मित्तल और अरूण कुमार पानी बाबा ने जी.डी. अग्रवाल का साक्षात्कार लिया। जिसमें बिहार में कोशी नदी में आई बाढ़ और वहां पर बने तटबंध में आई दरार के विषय में बातचीत की गई जो कि इस प्रकार से हैंः

जी.डी. अग्रवालः– देखिये, मैंने उस क्षेत्र को खासकर दरार वाले भाग को नहीं देखा है और देखे बिना उसके बारे में कोई भी राय देना उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मनुष्य अपने लाभ के लिए बहुत तरह के काम करता रहता है और कुछ समय बाद ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो प्राकृतिक ही हो। जैसे इटली का वेनिश लगून है जिसके अंदर लगभग पूरा शहर है, इसीलिए इसे 'सिटी आन वाटर' कहा जाता है। एक बार मैं वहां गया और उसे देखकर मुझे लगा कि ये तो प्राकृतिक है लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सब मनुष्य ने किया है। इसी तरह से मैंने कई राज्यों में देखा है कि मनुष्य अपने–आपको बचाने के लिए इस तरह की छेड़छाड़ करता है वह तटबंध को थोड़ा सा इधर से और थोड़ा सा उधर से काट ही देता है जिससे वह बढ़ता ही जाता है। इसी तरह से मैंने राजस्थान वाली बाढ़ में भी ऐसी ही स्थिति देखी थी। उसके संदर्भ में भी यही कहा जा सकता है कि उसे किसी उद्देश्य के कारण नहीं बल्कि गलती से कमजोर कर दिया गया, कहीं से काट देता है, जिससे वो दरार बढ़ती जाती है और फिर बरसात आदि समय में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसा कि राजस्थान की बाढ़ में स्पष्ट रूप से देखा गया अब उसे प्राकृतिक, मानवकृत और आपातकालीन भी नहीं कहा जा सकता। यही कहा जा सकता है कि वो मानव की गलतियां थीं और उन गलतियों के कारण यह दुर्घटना हुयी। इस प्रकार की बाढ़ दक्षिण में मुंगेर वगैरह में भी आयी थी और यदि हम ध्यान से देखें तो इस इलाके में कभी भी बाढ़ का इतिहास नहीं रहा है, तो फिर इस इलाके में बाढ़ आने के कारणों का पता करें तो इससे भी यही पता चलता है कि यहां बड़ा बांध था और उसका रख–रखाव सही तरीके से नहीं हुआ, इसके अलावा जिस तरह से गुजरात में समय पर गेट खुले वैसे यहां पर नहीं खुले जिससे कि सब टूट गया जिससे कारण भयंकर बाढ़ आ गई। जिससे बहुत अधिक लोग प्रभावित हुये। इस प्रकार यदि हम पिछले कुछ सालों में हुयी इस तरह की घटनाओं को देखें तो स्पष्ट होता है कि इस तरह की घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं मानव की गलतियां ही छिपी हुयी हैं। लेकिन वो गलतियां जानबूझकर की गई हैं या फिर अपने–आप ही हो गई हैं ये तो जांच का विषय है।

अरूण कुमार पानी बाबाः– कोशी के विषय में पिछले 60 वर्षों से वाद–विवाद चल रहा है।

जी.डी. अग्रवालः– नहीं मुझे तो लगता है कि कोशी का यह वाद–विवाद पिछले 80 सालों से चल रहा है। क्योंकि भारत की स्वतंत्रता से पहले निर्मली कमीशन बैठा जिसमें वर्ष 1946 में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने एक प्रयोग किया गया जिसमें कहा गया कि भारत के आजाद होने के 5 सालों के भीतर–भीतर बाढ़ की समस्या से राहत मिल जाएगी। क्योंकि उस समय उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या थी और उस समय अंग्रजों का राज था लेकिन वो इस समस्या के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे इसलिये यह तय किया गया कि हमें इस समस्या के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा जो कि आजादी के बाद ही किया जा सकता था। लेकिन लगता है जैसे इस विषय पर खास कुछ नहीं किया गया। निर्मली कमीशन की 50 वीं सालगिरह में अर्थात 1996 में दिनेश मिश्रा आदि लोगों ने

इसी विषय पर निर्मली में एक सम्मेलन का आयोजन भी किया। वहां कई लोगों ने आज भी इसी तरह की स्थिति के लिए पुरानी सरकारों और उस समय इस विषय पर काम करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया।

वास्तव में किसी ने भी बिहार की बाढ़ का सही विशलेषण नहीं किया। यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें तो मुझे लगता है कि आज तक हम भी इस विषय को नहीं समझ पाए हैं। मुझे लगता है कि ये समस्या हमारे सड़क बनाने और रेल लाइन बनाने के कारण हुयी क्योंकि स्पष्ट बात है कि यदि आप सड़क या रेल बनाएंगे तो इन नदियों के समान्तर ही बनायेंगे। और समान्तर जैसे कि आपने पुल बनाया तो पुल में नदी को रोक दिया और पुल बनाया तो उसे सीमा में भी बांध दिया। और यदि आपने पैसा बचाने के लिए या फिर किसी और कारण से सीमा कम रखी तो फिर वो पुल दरकने लगता है और अंततः वो बाढ़ का कारण बनता चला जाता है। अब जैसे मुजफ्फरनगर के पास काली नदी पर बने पुल को ही ले लो हमने सुना था कि वो पुल 52 दर्रे का था और वो एक दर्शनीय स्थल था लेकिन आज उसकी जगह जो पुल बना है वो चौड़ाई मे उसका पांचवा भाग भी नहीं है।

जी.डी. अग्रवालः– अब अगर हम यह मान लेते हैं कि दिनेश मिश्रा जी द्वारा किए गए बिहार की बाढ़ के विशलेषणों के आधार पर और खुद हमारी सोच के अनुसार लगता है कि नई बनी हुयी रेलवे लाइनों और सड़कों ने ये समस्या पैदा की है तो क्या इसके लिए हम गंगा एक्सप्रेस हाइवे का उदाहरण दे सकते हैं लेकिन गंगा एक्सप्रेस हाइवे को कभी बिहार की बाढ़ से नहीं जोड़ा जा रहा है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो आज बिहार की समस्या है वो कल उत्तर प्रदेश की हो जाये ? आज हमारे सामने मूल समस्या यह है कि यदि हमारे सामने कोई अनुभव या कोई विशलेषण आता है तो हम उससे कुछ सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि हमने जो कुछ कॉलेज में पढ़ा है वो ही ठीक है लेकिन उसमें इस तरह के अनुभवों के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है। जिससे हमें पूरा ज्ञान नहीं मिल पाता है।

रूढ़की में मेरे गणित के एक प्रोफेसर थे के.वी. मित्तल उन्होंने रिटायर होने के बाद रूढ़की विश्वविद्यालय का इतिहास लिखा, जिसे रूढ़की विश्वविद्यालय ने छापा। उसके पहले भाग में 1946 तक की घटनाओं का वर्णन था, जब वो 1840 से 1860 तक की वस्तुस्थिति का विशलेषण करते हैं तो वो बार–बार ये बताते हैं कि हमारे कौन से अनुभव हैं, हम गंगा के बारे में क्या जानते हैं, हम गंगा नहर के बारे में क्या कर सकते हैं, आदि। अर्थात वे उन बातों को कहते हैं जो वहीं के लोग समझ सकते हैं।

जी.डी. अग्रवालः–यही तो सबसे दुखदायी बात है कि इनका कोई भी अर्थपूर्ण समावेश मौजूद नहीं है। खुद हम भी जब कानपुर आई.आई. टी. में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराते थे तो हम मिट्टी की बात करते थे, भूमि के यंत्र विज्ञान में हम सड़क बनाने के लिए मिट्टी की बात करते थे, बांध बनाने के लिए मिट्टी की बात करते थे, मिट्टी की क्षमता और मिट्टी से नींव बनाने की बात करते थे लेकिन हमने कभी भी मिट्टी की उर्वरता और उसके कटाव को लेकर कोई बात नहीं की। हमने कभी उसके ढांचे की बात को सामने नहीं रखा हम हमेशा उससे निमार्ण करने की बात करते थे लेकिन निमार्ण करने के लिए मिट्टी में क्या गुण होंने चाहिए, यदि उसमें कोई कमी है तो उसे किस तरह से सुधारना है, उसमें कितनी नमी डालनी है और इसके अलावा ऐसा क्या–क्या करना है जिससे उसमी क्षमता बढ़े, आदि। और साल भर इतना अध्ययन करने के बाद हमें लगता कि बस मिट्टी के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया और अब जानने के लिए कुछ बचा ही नहीं।

अरूण कुमार पानी बाबाः– डॉ. साहब मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में काम किया। मैंने वहां देखा कि जो लोग कभी स्कूल भी नहीं गए वे लोग भी भूमि के वर्गीकरण को अच्छी तरह समझते हैं जो कि बहुत सुंदर और व्यापक समझ का काम है।

जी.डी. अग्रवालः– आपने जो बात कही वो सामान्य लोगों की बात है। मैं अधिकारियों और इंजीनियरों की बात कर रहा हूं।

अरूण कुमार पानी बाबाः– हां! मैं तो सामान्य जनता की बात कर रहा हूं।

जी.डी. अग्रवालः– जी हां! ये स्पष्ट है कि जो बातें हमारी सामान्य जनता करती है उसे हम लोग अपनी शिक्षा में नहीं गिनते। देखिए यहां ये बात आती है कि हमारी भूमि और अन्य विषयों पर निर्णय लेने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं उसमें हमारी सामान्य जनता कहीं पर भी शामिल नहीं होती है। इसी विषय पर मेरी कई बार राजेन्द्र सिंह से भी बहस होती रही है कि निर्णय लेने वाले लोग फिर चाहे वो निर्णय खेती के बारे में हों, भूमि के बारे में हों या फिर किसी और विषय में हों वो निर्णय वो लोग लेंगे जिनके पास खेती या भूमि की डिग्री होगी, वो लोग नहीं लेंगे जो पिछले 25 सालों से खेती करते आ रहे हैं।

जी.डी. अग्रवालः– आई.आई.टी. में भी मेरा मूल मतभेद इसी बात से था इसीलिए मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। मैं वहां यही बात कहता था कि यदि हम सिंचाई की प्रक्रियाओं (इरीगेशन इंजीनियरिंग) के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कम से कम हमें खेती और सिंचाई की समझ तो होनी ही चाहिये। मैं तो खेतीहर परिवार से था इसलिए मैं अपने विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान खेती के बारे में अपनी समझ और इंजीनियरिंग के ज्ञान को मिलाकर समझाता था। मुझे लगने लगा था कि मैं सिंचाई विभाग में जीवन भर यही कर सकता हूं। लेकिन जैसे–जैसे हम लोग विकास की ओर बढ़ते गए तब ये समझ आयी कि नहीं हमें आधुनिक ज्ञान के बारे में भी विद्यार्थियों को शिक्षित करना है तो हमने अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से मिट्टी के सिद्धांत, उसके अध्ययन के बारे में जानकारी भी देनी शुरू की।

लेकिन मुझे लगता है कि यदि हम केवल अंग्रेजी पुस्तकों के ज्ञान तक सीमित रहे तो बात नहीं बनेगी। यदि हमें ज्ञान को सम्पूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो हमें किताबों से बाहर का भी ज्ञान प्राप्त करना होगा। आज कई इंजीनियरिंग के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं और काफी अच्छा भी करते हैं लेकिन वे यही मानते हैं कि न्यूटन से पहले तो कोई चीजें थी ही नहीं। वे इंटरनेट के माध्यम से अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक इंटरनेट में वो ज्ञान नहीं है लेकिन आज कुछ लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हम ग्रामीण विज्ञान को भी इंटरनेट में डाल दें। लेकिन मुझे ऐसी स्थिति से डर लगने लगता है कि क्योंकि फिर उसके बाद सभी लोगों को लगने लगेना कि इंटरनेट के बाहर न तो कोई दुनिया है और न ही कोई ज्ञान। जबकि मैंने कई इलाकों में देखा है कि लोगों के पास ऐसा बहुत सा ज्ञान है जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते जैसे बुंदेलखण्ड में ग्रामीण ज्ञान बहुत विस्तृत है वहां के लोगों को बाढ़ के बारे में बहुत ज्ञान है जैसे दिनेश जी ने मुतई बलान आदि का वर्णन किया उसी तरह से वहां के लोगों को बाढ़ के बारे में पूरी समझ है। हमारे यहां दामोदर घाटी परियोजना बनी उसमें ये अनुभव किया गया कि कई चीजों के कारण बाढ़ पैदा होती है और बिहार की बाढ़ के पीछे वही कारण मौजूद थे। लेकिन फिर भी हमने उस बाढ़ से कुछ नहीं सीखा हम आज भी गंगा एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि आज जो बिहार की है स्थिति है कहीं कल वही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी न हो जाए।

जी.डी. अग्रवालः– मुझे लगता है कि भौतिक समृद्धि बढ़ती है। और सारी प्रकृति पर्यावरण के बूते पर ही बढ़ती है। आप बार–बार कहते हैं कि जीवन स्तर सुधरना चाहिए, लेकिन वहीं हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि धोती में ही रहते हैं, जिनके पास केवल दो ही जोड़ी कपड़े हैं। वो किसी भी तरह का प्रोटीन नहीं खाते हैं वो केवल कार्बोहाइड्रेट अर्थात प्याज, रोटी और गुड़ ही खा लेते हैं। वहीं आज कई लोग संतुलित आहार की बात करते हैं लेकिन वहीं कुछ लोग केवल थोड़ा सा खाना और केवल प्याज रोटी खाकर भी स्वस्थ रह सकते हैं।

अरूण कुमार पानी बाबाः– आज विज्ञान दिन–प्रतिदिन विकास करता जा रहा है। जिससे ये बात भी पता चल गई है कि आज मनुष्य बहुत सारी चीजें खाने की बजाय सूखी रोटी खाकर भी ज्यादा स्वस्थ और दीर्घायु रह सकता है इस प्रकार विज्ञान ने ये कह दिया है कि इस तरह का हिन्दुस्तानी तरीका कोई असभ्य तरीका नहीं था।

ओंकार मित्तलः– मैं 2005 में रघुपति जी के साथ सीतामढ़ी गया था। मैं मिश्रा जी से 20 साल से परिचित हूं। मैंने वहां के लोगों से भी बातचीत की उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि बांध को तोड़ दो अर्थात सीतामढ़ी में बने तटबंध को तोड़ दीजिए। इस बारे में, मैंने मिश्रा जी से बात की कि क्या इन तटबंधों को तोड़ देना चाहिए ? मिश्रा जी की किताबों में इनका इतिहास और इसके बारे में तमाम चर्चाएं लिखी हैं लेकिन इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि इन तटबंधों को तोड़ देना चाहिए या नहीं। जब मैंने इस बारे में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसे तोड़ देना चाहिए लेकिन अगर यह टूट जाता है तो फिर इसे जोड़ना है या नहीं जोड़ना है इस बारे में जनता से मिलकर तय करना होगा। या फिर इसको इस तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए जैसे ये पहले जोड़ा जाता रहा है क्योंकि पहले भी इसे दो–तीन बार जोड़ा जा चुका है लेकिन यह बार–बार टूट जाता है। उन्होंने कोशी के विषय में जो किताब निकाली है उसमें भी उन्होंने कहा है कि कई बार इन तटबंधों को जान–बूझकर तोड़ दिया जाता है। इसके अलावा इस दरार को भरने के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट मत नहीं दिया है। इस बारे में उन्होंने थोड़ा सा रूढ़िवादी रुख अपनाया है और इस काम की जिम्मेदारी सरकार को दी है। पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप इसे भरिये। इसलिए इस समय जो स्थिति है उसके अनुसार नदी की धारा बदल चुकी है और दूसरी बात है कि नदी को रास्ता मिलना चाहिये। वो अपना स्पष्ट मत नहीं देते हैं लेकिन जब आमने–सामने की बात हो तो इस पर स्पष्ट मत व्यक्त करना चाहिए।

जी.डी. अग्रवालः– अरूण जी ने आपका परिचय तो कराया था लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। आपकी शिक्षा–दीक्षा किस तरह की है ?

ओंकार मित्तलः– मैंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की है।

जी.डी. अग्रवालः– अच्छा मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की है आपने। इंजीनियरिंग की तो नहीं ?

ओंकार मित्तलः– जी नहीं।

जी.डी. अग्रवालः– इसलिए हमें लगता है कि यदि हम आपके साथ इंजीनियरिंग रूप से चर्चा कर लें तो अच्छा होगा। देखिये परंपरागत ज्ञान अलग बात होती है और गांव वालों की राय अन्य बात है। अगर आज गांव वाले उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने परंपरागत ज्ञान के कारण ऐसा नहीं कह रहे हैं बल्कि ऐसा कहने में उनकी अपनी इच्छा है। और ऐसी बातों में गांव के बूढ़ों की अपेक्षा जवान लोग अधिक हैं जिनके पास न तो कुछ अनुभव हैं और न ही उनके पास कुछ परंपरागत ज्ञान ही है।

मुझे लगता है कि किसी के पास भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम ये मानते हैं कि क्राइस्ट ने बाइबिल का ज्ञान दिया, मोहम्मद साहब ने कुरान बना दी। लेकिन यदि आप हमारे वेदों को देखें तो वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है। उसमें अलग–अलग विषयों के सूक्त हैं। और वेद की बात तो बहुत पुरानी हो गयी यदि आप गुरू ग्रन्थ साहिब को देखें तो आप देखेंगे कि इसका संकलन गुरू गोविन्द सिंह ने किया केवल सिख गुरूओं ने नहीं किया है लेकिन उसमें बहुत से लोगों की वाणी संकलित है। तो इसी तरह से यदि आप बाढ़ के संबध में केवल दिनेश मिश्रा से बात करते के बाद या केवल जी.डी. अग्रवाल से बात करने के बाद यह मान लेते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं तो ये ठीक नहीं है। आप आर्य समाज को ही देख लीजिए वहां केवल दस नियम दिए गए हैं और जो कोई व्यक्ति इन दस नियमों को मानता है वह आर्यसमाजी है। उसमें एक नियम है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, मनुष्य अल्पज्ञ और वो सदा अल्पज्ञ रहेगा। तो उस आधार पर मैं अपने–आपको अल्पज्ञ मानता हूं।

इसलिए मैं खुद को पर्यावरण का विशेषज्ञ भी नहीं मानता। दिनेश मिश्रा जी ने एम.टेक किया है, वे उस आधुनिक इंजीनियरिंग को जानते हैं जो कि उन्होंने पढ़ी है। उन्हें डियाजन करने या मरम्मत करने आदि का भी कोई अनुभव नहीं रहा। उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाया जिसमें वो सरकारी गलतियों को निकालते रहे उन्होंने जो पुस्तकें निकाली हैं उनमें उन्होंने अपने जीवन की तीनों ही चीजें जैसे शिक्षा के आधार पर उन्होंने जो गलत काम हुये उनके बारे में बताया है जिसमें कि किसी भी तरह के परंपरागत ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी वो तो उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति से ही सीखा था। इसके अलावा उनके इधर–उधर से कुछ परंपरागत ज्ञान की प्राप्ति हुयी थी और इसके अलावा उन्होंने लोगों के साथ अधिक से अधिक बात करके जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से उन्होंने सरकारी कामों में गलतियों को निकाला है। लेकिन कहीं पर भी उन्होंने उसके डियाजन के बारे में बात नहीं की कि वो कैसा होना चाहिए। उन्होंने कई बातों के लिए कहा कि ये गलत हुआ है लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इसे किस तरह से ठीक किया जाना चाहिए था।

तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को मिलकर इस विषय पर बात करनी चाहिए क्योंकि ज्यादा लोगों के होने से हम कई लोगों के ज्ञान और अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरकारी पक्ष पांच व्यक्तियों के साथ आयेगा और वो पांच व्यक्ति शीर्ष स्तर के होने चाहिए। और उसके साथ–साथ हमें अपनी तरफ से भी पांच व्यक्ति जुटाने हैं पर ऐसा नहीं कि अकेले दिनेश मिश्रा जैसे कुछ लोग सिर्फ ये बताएं कि इसमें क्या गलती हुयी आदि बल्कि उन्हें गलती को सुधारने के बारे में भी बताना होगा और ऐसा भी नहीं कि उसमें शामिल सभी व्यक्ति आपस में एक–दूसरे के विचारों से सहमत हों उसमें शामिल लोगों के भिन्न मत हो सकते हैं, जिससे उसमें अलग–अलग पक्षों पर बात हो सकती है। इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल होना चाहिए जो पिछली गलतियों को बताने की अपेक्षा इसको सुधारने के बारे में बात करे, उसमें एक मिट्टी का विशेषज्ञ भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हमने अलवर की बाढ़ के संबध में किया था वैसा ही कुछ करना चाहिए। उसमें अकेले एक मिश्रा जी ही नहीं थे, उसमें मैं भी था और तीन और लोग थे जिन्हें अलवर के क्षेत्र में काम का अनुभव था। फिर हमने गांव वालों के साथ चर्चा की।

यदि हम दिनेश मिश्रा जी को पढ़ें जिससे पता चलता है कि पहले की पीढ़ियां बाढ़ के साथ जीती थी। लेकिन वो किस सीमा तक संभव है?

इसके अलावा यदि हम एक और बात देखें कि अरूण जी और मैं लगभग एक ही कस्बे के हैं जो कि ऊंचाई पर हैं फिर चाहे आप कांगडा देखें, बुराहना देखें, कैहराहना देख लें, और उसमें आप ऐसा देखेंगे कि ऊंचा सा टीला है वहां जामा मस्जिद भी है और गुरूद्वारा भी, वहां बाजार भी ऊंचाई पर है और उसके चारों और घाटियां जा रही हैं। वहां जो नालियां हैं, फिर उसमें जोहड़ हैं जो कि एक–दूसरे से मिले हुए हैं जो कि बाढ़ को अवशोषित करने के लिए काफी हैं।

लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज लोग नीची सी नीची जगह का चुनाव करने लगे हैं। उन्होंने नीचे भराव करके पानी के अवशोषण के स्थान को खत्म कर दिया है। वो लोग नीचे के क्षेत्र में इसलिए रहते हैं कि वहां पानी नजदीक से मिल जाता है या फिर उनके यातायात के साधन नीचे को जा रहे हैं उसके घर भी सड़क के किनारे बनाए गए हैं। अब पहाड़ में जब एक तो भागेथी के ऊपर अपने आप एक प्राकृतिक नहर बन गयी है बाद में वो नहर अचानक टूट गयी थी और उससे बाढ़ आयी और उसमें बहुत सारे किनारे बह गये। हम वहां के घरों को दोबारा बनाना चाहते थे जिसके लिए हमने एक टीम भी बनायी जिसका मैं भी सदस्य था। ये उत्तरकाशी के ऊपर का इलाका है वहां पता चला कि उनके सड़क के किनारे के घर पानी में ढ़ह गए। लेकिन जिन लोगों के घर ऊंचाई पर थे वो घर बच गये। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि आज वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके घर ऊंचाई पर न हों। उसके बाद हमें उन लोगों में प्रत्येक के पास

दो–तीन घर होने के बारे में पता चला। वो लोग पहले यहां रहते थे क्योंकि पहले वहां पर सड़क नहीं थी इसलिए वो सड़क के किनारे वाले घरों में रहते थे फिर बाद में उन्होंने देखा कि नीचे का घर तो छोटा है और ऊपर का घर बड़ा लेकिन जब वो नीचे आकर रहने लगे तो उन्होंने अपने ऊपर के घरों में गायों और बकरियों को बांधने लगे। तो फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी को घर के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप हमें जनता विरोधी भी कहें तो कह सकते हैं। क्योंकि लगभग सभी लोगों ने सड़क किनारे अपने घर बना लिये हैं। तो मेरा यह कहना है कि धीरे–धीरे लोगों का जीवन स्तर बदल गया है। पहले लोग एक–एक किलोमीटर तक चलने में भी नहीं घबराते थे लेकिन आज वो अपने घरों को सड़क किनारे ही बनाने लगे हैं ताकि उन्हें आसानी से सभी तरह की सुख–सुविधाएं प्राप्त हो जाएं।

'बिहार बाढ़' समस्या और उसके संभव उपाय

(बैठक में दिनेश मिश्रा के साथ बातचीत के कुछ अंश)

तिथिः 13.10.2008

स्थानः जनता हॉउस, मुनिरका, नई दिल्ली

विजय प्रतापः बिहार में आए पानी के प्रलय से जो विनाश हुआ उसे सिर्फ प्राकृतिक बाढ़ या प्राकृतिक विनाश का नाम नहीं दे सकते इसके लिए प्रकृति की अपेक्षा हमारे समाज की नासमझी ज्यादा जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी हमें हर दुर्घटना के बाद कुछ इसी तरह की टिप्पणियां और आलोचनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इस समस्या के कारणों और उन्हें दूर करने के बारे में हमारे नीति निर्धारक, राजनैतिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता, तकनीकी समझ रखने वाले नेता या अन्य रूपों में काम करने वाले कार्यकर्ता अलग–अलग तरीके से चिंतन–मनन करते हैं लेकिन फिर भी किसी की बात का असर नहीं हो रहा है क्योंकि वो अलग–अलग दिशा में जा रहे हैं। इसलिए हम आज की बातचीत को इन्हीं बिंदुओं पर केन्द्रित करना चाहते हैं।

इसके लिए हम दक्षिण एशियाई समाज में काम करने वाले सभी घटकों के सकारात्मक आयामों के साथ–साथ एक समूह के तौर पर काम करने वाले 'सैडेड' के विचारों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के विचारों के बारे में बात करेंगे। 'सैडेड' अर्थात हमारे और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों की प्रकृति में थोड़ा अंतर है। हम लोग विभिन्न मुद्दों जैसे भौगोलिक और पारिस्थितिकीय गरिमा के सवालों, विकास के सवालों और पूर्ण रोजगार आदि के सवालों को आपस में जोड़ने के सवालो पर बात या फिर संवाद करते हैं और उसे अमल में लाने का प्रयास करते हैं।

दिनेश मिश्रा–

कोषी का तटबंध 1963 में बनकर पूरा हुआ था। जिसे बने हुए लगभग 45 साल हो गये हैं। बैराज 63 में बनकर पूरी हुयी। उस समय सरकार ने पहली बार यह दावा किया था कि अब गांव में किसी को नदी पार नहीं करनी पड़ेगी। अब वहां बैराज है और उसके ऊपर पुल बना है आप उसके ऊपर से आराम से जाइये और अब किसी का जीवन असुरक्षित नहीं है। आज इस दावे को किये हुए 45 साल हो गये लेकिन 45 साल में वह तटबंध 8 बार टूटा, जब वह सबसे पहली बार नेपाल में टूटा था तो उसमें करीब ढ़ाई–तीन सौ लोग प्रभावित हुए थे फिर जब वह 1968 में टूटा तो उसमें करीब 200 गांव प्रभावित हुये थे और उसमें करीब–करीब 50 लाख की आबादी आयी थी जिसमें खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा का कुछ हिस्सा और सहरसा भी शामिल था। इसके अलावा नवगछिया भागलपुर आदि सारे इलाके प्रभावित हुये थे जिसमें करीब 50 लाख लोग प्रभावित हुए थे। लेकिन तब ये पानी केवल कोषी का ही नहीं था उसमें कमला और बाघमती भी मिली हुयी थी। तो इस प्रकार यह 1963 में बना और पहली बार तभी टूट गया उसके बाद दूसरी बार 68 में दरभंगा के जमालपुर में पांच जगह से टूटा था। और वह पानी दरभंगा, सहरसा, समस्ती पुर, खगड़िया, नवगछिया, भागलपुर आदि इलाकों में घुसा और वो डूब गये यदि उसमें आज के नए बने जिले शामिल करें तो उसमें मधुबनी दरभंगा का हिस्सा था। सहरसा जो कि सुफौल का हिस्सा था इस तरह से पानी से बच नहीं सका। इसके बाद यह 1971 में टूटा तब उसमें 9 गांव आये थे उसमें तीस हजार से ज्यादा लोग फंसे होंगे। उन गांवों में जग्गनाथ मिश्रा का मूल गांव और बसावल पट्टी के रहने वाले ललित नारायण मिश्रा का गांव उस तट बंध के ठीक बाहर वाला गांव था। हमने उन गांवों वालों से कई साल पहले बात की तो उन्होंने कहा साहब हम तो अपना गांव छोड़ कर कहीं नहीं जाते बांध बनते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें चारों तरफ बांधों से घेर

दीजिए और वो 9 गांव अंदर रह जायेंगे। उसको मतौनी एप्रोच बन कहते थे, उससे वो सारे के सारे 9 गांवों के बारे में पता चल गया फिर उनको उठकर बाहर जाना पड़ा और उनको बाहर बसाने की बात की गयी। बसाने का अर्थ था उनकी जमीन पर कब्जा करना लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। उनका कहना था कि हमारी कुछ जमीन तटबंध पर चली गयी, कुछ जमीन पुर्नवास में चली गयी, कुछ जमीन के ऊपर से नहर निकाली गयी तो वो चली गयी अब जो बची–खुची जमीन है अगर वो हमारे नये पुर्नवास में चली जाती है तो हम बर्बाद हो जायेंगे हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन वो बात आयी गयी हो गयी।

उसके बाद 1980 में बांध टूटा था वह एक विचित्र घटना थी। हम लोग खगना जिले में हैं जो कि खगड़िया के पास है। वहां नदी के तटबंध ने करीब ढाई किमी. बांध को काटा तथा काट कर उतर गयी। तो जो पानी बाहर जमा था वो अंदर आ गया अंदर का पानी बाहर मिल गया उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ सिवाय इसके कि सरकार को उसकी मरम्मत में पैसा खर्च करना पड़ा।

फिर उसके बाद जब यह टूटा तो यह नहट्टा के सहरसा जिले में टूटा जिससे 90 गांव प्रभावित हुये और सीधे पांच लाख लोग उजड़ कर तटबंध में आ गये। तो वो एक बड़ी घटना हुयी। इसके बाद 1987 में पूरा बिहार पानी में था वो तो अलग चीज है। जमालपुर के रास्ते में तटबंध टूटा। उस साल बिहार में 2 लाख 86 करोड़ लोग बाढ़ में तबाह हुये लेकिन फिर भी उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया गया और आज 45 लाख या 30 लाख विपदा बन जाती है। उसके हिसाब से तो हमारी पिछली जितनी बाढ़ें हैं उनको राष्ट्रीय विपदा घोषित होना चाहिए। मौटे तौर पर हम लोग 30 लाख या 45 लाख लोगों के प्रभावित होने को कुछ होना ही नहीं मानते हैं। इस बार इसे राष्ट्रीय आपदा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें 30 लाख लोगों के ऊपर से पानी गुजरा था जिन्हें इसकी आदत नहीं थी।

इस प्रकार 87 में एक घटना हुयी, 91 में हुयी और 1991 में ठीक वही हुआ जो कि 87 में हुआ और 80 में हुआ था। नदी से बांध कटा और वह वापस चली गयी, बांध तो उड़ा दिया। बांध के मरम्मत में पांच करोड़ 27 लाख रुपये खर्च हुये लेकिन जान–माल का कोई खतरा नहीं हुआ। पानी बाहर गया। यह घटना लालू जी के जमाने में हुयी थी और 91 में बढ़ गयी। 'लालू भैया' बहुत मुखर हैं, उनके जमाने में कुछ नहीं हुआ, कहते हैं उन्होंने नदी को संभाल कर रखा लेकिन उनसे पूछा जाए कि यदि उन्होंने उसे संभाल कर रखा था तो आपके जल संसाधन मंत्री ने इस्तीफा क्यों दे दिया था और 5 करोड़ 27 लाख रुपये किसके लिए खर्च किए गए थे? ये सब बातें उनसे पूछी जानी थी लेकिन नहीं पूछी गयीं।

अब सवाल यह उठता है कि पानी पर इस तटबंध को बने हुए 45 साल हो गए और यह 8 बार टूटा है, यह 37 बार सलामत रहा लेकिन जिस साल सलामत रहा उस साल भी 12 लाख लोगों के ऊपर से पानी गया। 1951 में उनकी आबादी एक लाख 92 हजार थी, और आज 12 लाख है। तो उस समय एक लाख 92 हजार लोगों के ऊपर से पानी जाता था आज 12 लाख के ऊपर से जाता है। लेकिन उसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं पूछा। यहां तक कि इस इलाके में किसी एन.जी.ओ. के लोग, कोई राजनैतिक पार्टी भी नहीं गई। उन लोगों के पास जाकर पूछें तो वो कहते हैं कि हर साल यह पानी हमारे सिर से गुजरता है लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता और आज जब यह पानी बाहर टूटा तब न केवल हमारे देश को बल्कि विदेशों में भी इस बात का पता चल गया और इसे राष्ट्रीय विपदा घोषित कर दिया गया। यदि आप 28 अगस्त के सरकारी आंकड़े देखेंगे तो उनके अनुसार प्रभावित लोगों की संख्या एक लाख आठ हजार के करीब है। ये अलग बात है कि 30 लाख के 30 लाख लोग प्रभावित हुए हों और सरकार को पता न चला हो। पानी को बढे हुए दस दिन हो गये पानी को जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच भी गया लेकिन सरकार को पता ही नहीं कि कितने लोग प्रभावित हुए। आंकडों में देखें तो वो संख्या एक लाख 65 हजार या एक लाख आठ हजार तक कुछ ऐसी ही संख्या है। उस पर वो राष्ट्रीय विपदा की

घोषणा होती है। लेकिन यहां पर हर साल 12 लाख लोग अंदर फंसे ही रहते हैं लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि इस साल बड़ा अच्छा हुआ कि कम से कम बाहर वालों को पता लगा।

हमारी आबादी 12 लाख है और प्रभावित लोगों की आबादी 30 लाख अर्थात हमसे ढ़ाई गुना ज्यादा। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था प्रति व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर रही है तो क्या अगले साल वो हमारे लिये 40 रुपये खर्च करेगी। तब तक वहां पर तटबंध सलामत हैं तब तक वो 15 और 30 की लड़ाई शुरू हो रही है। अंदर वाले कहते हैं कि हम सब कुछ मिलाकर 15 लाख हैं सरकार कहती है बाहर तीस लाख हैं वो जैसे–जैसे बांध पर मिट्टी की एक–एक टोकरी पड़ेगी वैसे–वैसे 12 लाख लोगों की किस्मत पर बोझा बढ़ेगा। जिस दिन वह बांध पूरा हो जायेगा। उस दिन उन लोगों के मरने के लिए एक नुस्खा लिख दिया जायेगा कि तुम लोग अगले साल मरने के लिए तैयार हो जाओ उनके बारे में कभी भी कोई बात नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल है क्या हम उन 12 लाख लोगों के लिए कोई समाधान निकाल सकते हैं जो 12 लाख और 30 लाख लोगों दोनों को ही स्वीकार हो।

जहां तक मेरा ख्याल है सरकार इस बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। उस पर तटबंध के टूटने का दबाव है, उसे बंद किया जाए अगर खुला रहेगा तो अगले साल नेपाल की पांच पंचायतें और प्रभावित होंगी और वो इस पचडे में कभी भी फंसना नहीं चाहेंगे। दूसरी बात, यह बांध नेपाल में बैराज से 13 कि.मी. उत्तर से टूटा है। अगर यही 13 किमी. दक्षिण में टूटा तो आप और हमें मिलकर बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वही 'घर की बात घर में रह गयी'। 'हिन्दुस्तान' का मामला है टूट गया है तो टूट गया। लोग बहते हैं तो बह जायें, बर्बाद होते हैं तो हो जायें इसमें दूसरा कोई शामिल नहीं होता। इस साल की बाढ़ का एक ही दुखद या सुखद पहलू है कि अर्न्तराष्ट्रीय समस्या होने के नाते इस पर सबकी नजर पड़ी। वरना वही मीडिया, वही राजनीति, वही पर्यावरण पर काम करने वाले, वही एन.जी.ओ. जो कभी उस इलाके को घास तक नहीं डालते तो वो इलाका खत्म हो जाएगा। यदि आप वहां के बी.डी.ओ. से ब्लाक के नक्शे मांगेगें तो उसमें जिन ब्लाक के यह गांव बाहर या अंदर पड़ते हैं उन्हें गुलाबी या पीले रंग से रंगा होता है। बाढ़ वाला सफेद रंग से तथा अंदर वाला गुलाबी रंग से रंगा होगा और यदि आप उनसे पूछेंगे कि अंदर वाला क्यों रंगा है तो वो बालेंगे कि यहां पर विकास का कुछ काम नहीं हो सकता ये अंदर वाले हैं। 12 लाख लोगों को किसी भी विकास की जरूरत नहीं है।

राकेश :– वैसे इसमें कुल कितने गांव शामिल हैं ?

दिनेश मिश्राः हमारे 300 गांव और नेपाल के 34 गांव। 414 गांव तटबंध के अंदर है। करीब–करीब इतने ही लोग तटबंध के बाहर जमाव झेलते हैं उनकी जमीन बांध में फंसी होती है उसको भी जोड़ लेते हैं वो हम भी 30 लाख वो भी 30 लाख। जहां बांध टूट कर पानी पहुंचा वह भी 30 लाख जहां कोषी बहती है वह भी तीस लाख। अब आप ही उसका हिसाब निकालिए और उनके लिए कोई सर्वमान्य नुस्खा निकालिये। अवसर्वमान्य न होने का मतलब है कि अंदर के लोग शायद 16 अक्टूबर को वहां जमा होंगे जहां टूटा है हम इसको बंधने नहीं देंगे। और बाहर के तीस लाख लोग 30 अक्टूबर को अपने नुमाइंदों के साथ इसलिए आयेंगे कि इसे बिना बांधे छोडेंगे नहीं। सरकार किसके साथ खड़े हैं और हम आप किसके साथ खड़े हैं ? हम 16 के साथ हैं या कि 30 के साथ, ये निर्णय हम लोगों को भी करना होगा कि इस बारे में एक सर्वमान्य समाधान निकाला जा सके। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो लोग 'समस्या' को टाल रहे हैं। इसका समाधान नेपाल में ही निकलेगा। वो चाहे बांध बनाये या नदी के पानी को विभाजित करें। जो कुछ भी करना चाहे यह नेपाल को ही करना है। नेपाल को इस समस्या से केवल इतना ही मतलब है कि उसके 75 हजार आदमी बचे रहे बाकी उसको किसी भी बात से कोई लेना–देना नहीं।

हर साल नेपाल से कोई आता है इस साल प्रचण्ड आये हैं और कौन वहां से आया या यहां से गया ये तो नवम्बर तक ही पता चलेगा। तीन योजनाओं पर सहमति बनी है यह तीन योजनायें भारत को मिली हैं। और तीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है कि विदेशियों को नहीं मिलना चाहिए। हम विदेशी हैं लेकिन अगर किसी तीसरे को जैसे अमेरिका को मिल जाता है तो कोई हर्जा नहीं है लेकिन भारतीय को नहीं मिलना चाहिए। और वो लोग भारतीय साम्राज्यवाद का विस्तार मानते हैं। वो हमारी बिजली और पानी का प्रयोग करते हैं अभी हिंदुस्तान के साथ संभल कर रहने की जरूरत है। बड़ी विचित्र स्थिति है वहां कुल मिलाकर हम लोगों को लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गये हैं। तटबंधों ने हमारा काम नहीं किया। वो बांध कब बनेगा कब नहीं बनेगा इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं। लोगों का विस्थापन होगा लेकिन लोगों के लिए कुछ किया जायेगा ये भी कोई नहीं जानता। एक साफ रास्ता दिखायी देता है वो ये है कि सरकार के पास जो 10,000 इंजीनियर हैं उनको बुलाकर कहें कि ये दो बाउन्ड्री हैं दो में बनी हुयी हैं। नेपाल के बांध का भरोसा नहीं है। तटबंध काम नहीं करता है। आप कोई समाधान सुझाइये वो दो चार समाधान सुझायेगें। दूसरी बात यह थी कि बाढ़ जिस भी रूप में आती है उसे आने दो उसका मुकाबला स्थानीय तौर पर करें। जिसके लिए हम अभी भी सक्षम हैं।

हमारे यहां 'राहत पुर्नवास मैनेजमैंट' होता था जिसके नाम को 2002 में बदल कर 'आपदा प्रबन्धन' कर दिया। हमारे सिंचाई विभाग का नाम बदलकर 'जल संसाधन विभाग' कर दिया। अगर नाम बदल देने से समस्या का समाधान हो जाता और आपका कृतज्ञ वही रहता है जो पहले वाला है। तब हम समझते हैं कोई समाधान नहीं होने वाला है। आप मुझे दिनेश मिश्रा न कह कर झींगुर मिश्रा कहिये फिर भी मैं वही रहूंगा जो मैं हूं। अगर मेरा नाम बदलने से मेरे चिंतन में कोई बदलाव नहीं होता तो मेरा नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है।

दूसरी बात, हमने आपदा प्रबंधन मंत्री के साथ पटना में पांच जून को एक बैठक के दौरान बातचीत की। जब मुझे बात करने का मौका मिला तो मैंने प्रश्न किया कि आपने आपदा प्रबंधन 'मंत्री' को तो बुला लिया 'आपदा आयेगी तो ये उसे संभालेंगे लेकिन जो आपदा पैदा करने वाला विभाग है 'जल संसाधन' उसके मंत्री कहां हैं? तो 'नीतिश मिश्रा' का कहना था हां उनको होना चाहिये। आयोजकों से पूछा गया कि क्या आपने उन्हें बुलाया था तो पता चला नहीं बुलाया था क्योंकि आपदा प्रबंधन की बात है। आपदा प्रबंधन तो आप करेंगे, जो पैदा करेगा उसको वहां नहीं बुलाया जायेगा। ये दोनों कभी भी साथ नहीं बुलाये जाते हैं जबकि उनको होना चाहिये। जबकि हमारा अपना मानना है कि 'जल संसाधन विभाग' 'आपदा प्रबंधन' के लिये रोजी–रोटी का इंतजाम करता है। उसकी कमजोरी से पानी कम बरसता है तो सूखा पड़ेगा यह भी जल संसाधन का काम है। पानी ज्यादा बरसता है, बाढ़ आती है यह भी जल संसाधन का काम है। दोनों लोगों को साथ होना चाहिये। जब भी जायें तो साथ जायें। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है और यह वही पांच जून का दिन था जब कोषी ने इस को काटना शुरू किया। तो उसके लिये मिश्रा जी ने कहा कि इसके लिए हमने सारी व्यवस्था कर दी है हमने सारे जूनियर इंजीनियर से लेकर सीनियर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के सारे पते लेकर सारे जगह फ्लैश करवा दिये थे। उसके बाद कोई दिक्कत होती है तो इससे संपर्क करिये और वह बांध 18 तारीख को टूट गया। 18 तारीख गया तो नीतिश मिश्रा का गांव 17, 18 किमी. दूर होगा। जहां पर बांध टूटा है। उनके गांव में 8 फुट पानी था हमारे कुछ गणमान्यों को मिश्रा जी ने फोन किया हमारे कुछ लोग फंसे हुए थे। कोई व्यवस्था कीजिये जिससे उन्हें निकाला जाये। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के 37 लोग फंसे हुए हैं हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब हम आपसे क्या कहें? 'आपदा' तो 'प्रबंधन' को बहा कर ले गयी। और सभी विभाग कुछ भी नहीं कर पाये। नीतिश मिश्रा अपने गांव गये कि नहीं ये भी मालूम नहीं। कम से कम महीने भर तक तो नहीं गये अब शायद गये हों।

बीच में पानी का स्तर बढ़ा है वह 168 से 188 तक गया है। लेकिन उसके बाद घटा है। अभी 40 के आस–पास है। अक्टूबर के अंत तक 30,000 तक पहुंचेगा। जैसे–जैसे पहुंच रहा है वैसे–वैसे दोनों ओर से ब्रिट बनने की बात आ रही है। मार्च के महीने में नदी नीचे आ जायेगी। तब इसको पार कर बराबर करेंगे।

आसितः रेत जम गई जिससे खेती आदि के सभी काम बंद हो गए, इस बारे में मुआवजे की कुछ योजना है ?

दिनेश मिश्राः रेत इस साल जमा है। राहत फंड के भी अजीब तरह के नियम हैं। पिछले साल के नियमों के अनुसार यदि किसी परिवार को एक हेक्टेयर जमीन का नुकसान होता है तो उसके लिए 6 हजार रुपये का प्रावधान है। फिलहाल हमने इस साल की नीतियां नहीं देखी हैं। पिछले साल तक 6 हजार हेक्टेयर तक आपको मुआवजा मिलेगा। उससे आप बांध बना लीजिए या कुछ भी करिये। आज मेरे पास 10 हेक्टेयर जमीन है तब एक हेक्टेयर का मुआवजा मिलेगा उससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। बी.पी.एल. वालों की एक स्कीम है यदि आपका घर टूटता है, गिरता हो तो उनके लिए इंदिरा आवास स्कीम के तहत मदद का आश्वासन है। जो पैसा उनको मिलता है वह इन्हें भी मिल जाता है फिर उस पैसे से वो कुछ भी करें। जानवरों के लिए प्रावधान है। अगर कोई गाय, बैल, भैंसा मरता है तो उसके लिये (10,000) दस हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा। छोटे जानवरों के लिये कम मिलेगा बकरियों के लिए 1,000 है। मुर्गियों के 20–30 की राशि होती है। उसमें बर्तन–भांडे का इंतजाम है। अगर आपके घर का कोई आदमी मरता है तो उसकी लाश मिल जाती है उसकी शिनाख्त हो जाती है तब वह डेढ़ लाख रुपये का हकदार हो जाता है। पिछली बार नीतीश कुमार जी की नीति के अनुसार केंद्र सरकार से एक लाख आता है और बाकी का 50,000 उन्होंने दिया। यदि किसी व्यक्ति को अपने रिशतेदार की लाश नहीं मिली तो इसका अर्थ है कि वो मरा ही नहीं है। जब तक लाश की पहचान नहीं हो जाती तब तक आपको मुआवजा नहीं दिया जा सकता। राज्य द्वारा मुख्यमंत्री फंड से पचास हजार रुपये आते हैं बाकी एक लाख सरकार की तरफ से आता है अर्थात पूरे डेढ़ लाख रुपये दिए जाते हैं।

आसितः किसान फसल नहीं उगा पायेगा तो फिर क्या होगा ?

दिनेश मिश्रा : यदि वो फसल नहीं उगा पायेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। अभी तक जमीन पर 6 फिट बालू है तो अगली बार तटबंध टूटने का इंतजार कीजिए हो सकता है कि वो बालू को बहा ले जाये और किसी दूसरी जमीन पर डाल दे। इसके अलावा ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है कि जब बालू वहीं की वहीं रही हो।

सरकार से बातचीत हो रही लेकिन वो हमें पसंद नहीं करती है। हमने कहा जो घर बनाने वाला पैसा है जो इंदिरा आवास का जो पैसा है, ये ठेके में बनवाते हैं। इन्हें बिल्डिंग सामग्री की पूर्ति कर दीजिए। मजदूरी का पैसा हमें दे दीजिए हम अपना घर बना लेंगे। जो बनाने में समर्थ नहीं हैं वो दूसरे से काम करवा लेगें। यदि जमीन पर पड़ी बालू कहीं संभालने लायक है तो उसे किसी ओर स्थान पर डाल दीजिए। इसमें मजदूरी लगेगी और उनकी जमीन काम के लायक बन जायेगी।

उन्हें राहत दे दी गयी है उन्हें एक क्विंटल अनाज दे दिया गया है उसका अर्थ है 100 किलोग्राम अनाज जो कि करीब एक हजार या बारह सौ रुपये के करीब है। यदि मेरी प्रतिदिन की मजदूरी 80 रुपये है तो इतनी राशि को तो मैं 15 दिन में ही कमा लूंगा लेकिन मेरी रोजी तो हमेशा के लिए ही चली गयी और आपने मुआवजे के रूप में 15 दिन का अनाज दे दिया। आखिर यह कैसा इंसाफ है ? जिसपर बात जरूर होनी चाहिए। सबको लगता है कि उन्होंने बारह सौ रुपये देकर बहुत बड़ा काम कर दिया है लेकिन उन लोगों की तो तीन महीने की मजदूरी चली गयी उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। उनका घर और जमीन बर्बाद हुयी उससे कोई मतलब ही नहीं।

पिछली बार हमारी कई राजनीतिज्ञों से बातचीत हुयी उनके अनुसार हमने लोगों को अनाज पहुंचाकर उन्हें निहाल कर दिया। इससे लोग इतने निहाल हुए आखिर इससे पहले किसी ने इतना अनाज नहीं पहुंचाया था। पहले 12–13 किग्रा मिल जाता था तो काफी हो जाता था। ये सही है कि पिछली बार नीतिश कुमार ने ऐसा जरूर किया था उन्होंने प्रभावित परिवारों को एक कुंतल अनाज पहुंचाया था। वे इस बार भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से बड़े कैंप लग रहे हैं और उनका मूल्यांकन हो रहा है उसे देखकर लगता है कि नीतिश कुमार ने अपनी जीत पक्की कर ली है। क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि मुआवजे की रकम तो उड़ा ले जाने के लिए होती है और यदि वह लोगों तक पहुंची है या लोगों में बंटी है तो इसका अर्थ है कि सरकार ने हमें कृतार्थ किया। लेकिन ये अहम् मुद्दा है कि उन लोगों को 12 सौ करोड़ का अनाज मिला और उनकी तीन महीने की मजदूरी चली गयी ये बात उनके दिमाग में नहीं गयी। उसके बाद कितनी जमीन में बालू पड़ा है इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। पानी के बारे में भी धीरे–धीरे ही पता लगेगा कि वो किस रास्ते में जा रहा है। अभी तो चारों तरफ पानी ही पानी है जिसकी सही दिशा का अंदाजा अक्टूबर के अंत तक ही लगाया जा सकता है। इस विषय में वाद–विवाद हो रहा है पूर्णिया के एक इंजीनियर निहला गोरा ने 1896 में अपना एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि 'कोषी' पश्चिम की ओर खिसक रही है और निश्चित है कि इस बार यह बहुत भयानक रूप से उत्तर की ओर जायेगी। लेकिन जैसे कैम्बल वायसराय थे उन्होंने कहा था कि कुछ भी बात कहने से पहले नाप–तौल लेना चाहिए। लेकिन इस बात के कुछ भी सबूत मौजूद नहीं हैं जिनसे ये पता चले कि कोषी धीरे–धीरे पश्चिम की ओर जा रही है। हो सकता है यह पश्चिम से पूर्व की ओर भी चली जाए। उन्होंने कहा था कि कोषी के बारे में यह बात पहले से ही कही जा रही थी कि उसका व्यवहार पुराने समय से ही ऐसा था कि वह किसी भी दिशा की ओर जा सकती है। इस साल सीलेमफोड़ की बात सही साबित हुयी, इस बार कोषी पूर्णिया में 120 कि. मी. पहुंची।

कोषी का क्या है वो तो अपना रास्ता बदलती रहती है। वह 1810 के आस–पास पूर्व में थी उसके बाद वह पश्चिम में आ गयी। 1808 में बने पूर्णिया के नक्शे में कोषी को सीधा दिखाया गया था। और वैसा ही इस साल उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर हुआ। जार्ज कैम्बल ने कहा था इस बात के कोई भी सबूत नहीं मिलते हैं कि वो किस ओर निकलेगी क्योंकि पहले के अनुमान में वो झूठे साबित हुए थे और सलीम फोर्ड की बात सच निकली। उस समय जो बात नहीं थी वो अब हो गयी है। नदी तो नियंत्रण करती थी और चारों तरफ घूमती थी। जब थी तब नेपाल की एक इंच जमीन भी नहीं कटी। 1731 में उसकी मैपिंग मिलती है। और नेपाल के जंगलों पर हमारे पूर्णिया और सहरसा के जंगलों पर अंग्रेजों की कुल्हाड़ियां नहीं बरसी थी। तब रेलवे लाइन भी चालू नहीं हुयी थी। पहले रेलवे लाइन में लोहा इस्तेमाल नहीं होता था पहले लकड़ी इस्तेमाल होती थी। जिस तरह से रेल लाइन रुक जाती थी वहां ड्राइवर साहब रेल रोक देते थे पेड़ काटते थे और फेंक देते थे। उसमें हमारे जंगल साफ हुये। बाकी बचा वो पटरियों में चले गये। स्लीपरस् में चले गये। एक तो रेलवे का बहुत बड़ा उद्योग चला। लेकिन कोषी तब भी धारा बदलती थी, जब रेलवे लाइन नहीं थी और सारे जंगल सलामत थे। तो यह कहना कि जंगलों को दोबारा से स्थापित किया जाए ठीक सा नहीं लगता। क्योंकि नेपाल में तो उन्होंने इसे काट डाला है। यदि हम एक–दूसरे को जिम्मेवारी सौंपे तो उससे उसका कोई लेना–देना नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा अभी हुआ है बल्कि ये तो काफी समय पहले से ही मौजूद था तभी तो वह घूम रही थी और उसके रास्ते तय नहीं थे। अब सवाल यह उठता है कि वो नदी वहां कब जायेगी। और अब भी यह होता है कि उसकी 15 धारायें हैं और उन 15 धाराओं में कौन सी मुख्य धारा कोषी में जायेगी पहले उसका एक पैर्टन था कि वो पश्चिम की तरफ जा रही है और दो साल बाद वह उसमें चली जायेगी और तीन–चार साल बाद वह किस ओर जायेगी, पांच साल बाद किसी और पैर्टन में जायेगी तो इसी प्रकार से चला आ रहा था। जब हमने बांध बनाये तब यह कहा कि

इस धारा को स्थिर कर देंगे। नदी की दिशा आदि पर लगाम लगा देंगे। हमने नदी की उस धारा को 'आवारा' कहकर पुकारा और उसको सशक्त कर ऊपर चढ़ा दिया। जो नदी पूरी तरह से पूरे इलाके में पानी फैलाती थी और पूरे इलाके में अपनी बात फैलाती थी उसको मजबूत किया उसके अन्दर 15 धारायें थी उसको 10 किमी. में बहा दिया। जब वो बही तो सारी मिट्टी वहां जमा होने लगी जो नदी पहले से ही स्थिर थी इधर–उधर घूमती थी उसका बेल्ट लेबल ऊंचा कर दिया लेकिन पहले तो उसका पैर्टन मालूम था अब तो उसका पैर्टन भी नहीं मालूम कि वो अगले साल कहां बहेगी।

दिनेश मिश्रा : हम लोग किसी आंदोलन की शुरूआत करेंगे या फिर उसके लिए कोई भूमिका तैयार करेंगे तो यह विचार उन लोगों के प्रति सही श्रद्धांजली नहीं होगा जिन्होंने इसे अब तक जिंदा रखा है। हम लोगों ने जो कुछ सीखा वो तो उन्हीं लोगों के जीवंत अनुभवों से सीखा है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आने वाले दस सालों में उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इन तीस–तीस हजार लोगों ने बड़ी–बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री को ही छोटा साबित कर दिया है, इन्होंने राजेन्द्र प्रसाद को काले झण्डे दिखाये। इस प्रकार वो सभी काम हो चुके हैं कोई भी काम बाकी नहीं बचा है। लेकिन हमारे गुरूजी परमेश्वर कुंर जी जो कि पिछले दो वर्ष पहले गुजर चुके हैं वो कहते थे कि 'आप ऐसी सरकार से नहीं लड़ सकते जिसने कोई काम करने के लिए अपना मन बना लिया हो' और उसके पास आंदोलन को दबाने की सारी शक्तियां मौजूद हों। जो बात ही करने को तैयार न हो उससे लड़ना बहुत कठिन है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा काम करना बहुत ही बड़ा काम है वह इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। इसमें लोगों से जितना हो सकता है वो उन्होंने किया, वे वाद–विवाद के माध्यम से जितना समझा सकते थे उतना उन्होंने समझाया। लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आदमी किसी ऊंची सीट पर पहुंच जाता है तो वो वैसा ही करता है जैसा कि सभी लोग करते हैं, ऐसे में तो ऐसा भी होता है कि हमारा अपना आदमी ही बदल जाता है। हमारे मंत्री थे 'गणेश प्रसाद यादव' वो कभी बहुत परिवर्तनकारी आदमी माने जाते थे, एक बार जब हमारी उनसे मुलाकात हुयी तो हमने उसने कहा कि आप जैसे लोगों के सत्ता में होते हुए भी इस तरह के काम कैसे हो जाते हैं ? आखिर इस परिवर्तन का कारण क्या है ?

हमने पूछा कि जब तक आप यहां हमारे साथ होते हैं तब तक तो अपनी बात कहते हैं। लेकिन सत्ता में होने के बाद आप उल्ट बात करते हैं तो आप ये बताइए कि आपको ऐसा मोहनी मंत्र किसने दिया है ? आप किसी भी योजना को हमारे सामने इस तरह से रखते हैं जैसे कि सोना ही बरसने वाला हो इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में आप लोग सोना बरसाना चाहते हैं और आपको भी लगता होगा कि अब सभी जगह पर सोना बरसायें नहीं तो कम से कम अपने चुनाव क्षेत्र में तो ऐसा कर ही दें। लेकिन जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि यह बेईमान आदमी है। यदि हम किसी एक स्थान पर कुछ करें और अन्य में कुछ न करें तो भी लोग कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से काम चलता रहता है। और जब पांच साल बाद निकलते हैं तो लगता है कि ये तो गलत हो गया, लेकिन तब यही गलती दूसरा आदमी करने को तैयार हो जाता है। इस तरह हम सब जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सब सही है।

हमारी रघुवंशी जी के राज्य मंत्री बनने से पहले ग्राम्य विकास पर बात हुयी। शायद उस समय वो ऊर्जा मंत्री बनने वाले थे। मिश्रा जी आप जो भी बात कर रहे हैं वो शब्दशः सही है और ऐसा भी नहीं है कि इस बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम हर चीज और बात को समझते हैं और इस बात को हम सार्वजनिक रूप से भी कहते हैं कि राजनीति एक दूसरे ही तरीके से चलती है वो आपके तरीके से कभी भी नहीं चल सकती। जब हम जीत कर जाते हैं तब हम अच्छे, बुरे, मालिक, मजदूर, अध्यापक विद्यार्थी सबके नुमाइंदे होते हैं। उस वक्त हम सिर्फ दलितों के मुलाजिम नहीं होते, हम सबके नुमाइंदे होते हैं। हमको सबके हितों का ध्यान रखना होता है। राजनीति इसी

तरह से चलती है। राजनीति करने के लिए गलत काम करना जरूरी होता है। मेरे पास रघुवंश जी की कैसेट है, एक बार मैंने महानंदा पर किताब लिखी थी और वहां पर रघुंवंश जी आये थे, उसमें कुलदीप नैयर जी भी आये थे। तो रघुवंश जी ने कहा कि जब तटबंध तोड़ना हो तो हमें बुलाइये। क्योंकि आपके ऊपर पुलिस कार्यवाही हो सकती है। पचास तरीके की बातें होंगी हम रहेगे तो हमको कोई नहीं छूऐगा। उन्होंने कहा कि हमने तटबंध तोड़ने का एक नया तरीका इज़ाद किया। पहले लोग फावड़ा, कुदाल, टोकरी लेकर उसको फीलीकली काटते थे। बाद में हमको लगा कि वो तो पांच हॉर्स पावर का मोनाब्लाक पम्प होता है। उसको ले आओ उसमें डीजल भर दो, उसका जो इनटेक जो बाहर जल जमाव होता है उसमें डाल दो और अंदर नदी वाला भाग जो कि बालू का बना हुआ है वो आउटलेट अडेन्मेन्ट वाला थोड़ी ही देर में मिट्टी काटना शुरू करता है और बाद में वो काट देता है। वो पंप पांच हॉर्स पावर का है उसको दो आदमी लेकर भाग जायेंगें जिसमें कि 125 रुपये से ज्यादा डीजल खर्च नहीं होगा। और जीवन का भी कोई खतरा नहीं है। यदि वो मशीनों की अपेक्षा शारीरिक रूप से ही वो करने का प्रयास करता है तो उसमें पैसा भी ज्यादा लगता है और मेहनत भी ज्यादा होती है।

यदि हम रघुवंशी जी से कहें कि किसी विशेष जगह पर तटबंध काटना है तो उस समय सत्ता का चरित्र दूसरा ही होगा। असम में चूना वाले मिट्टी के तेल के ड्रम जिसमें चूना भरा होता है उससे गड्ढा खोद देते हैं। और उसे तटबंध में दबा दिया जाता है, आजकल के मौसम में कहीं बारिश नहीं है, बाढ़ नहीं है, फरवरी मार्च के समय और बरसात के समय जब नदी का पानी बढ़ेगा तो चूने से रीएक्ट करेगा चूने से रिएक्ट करेगा तो विस्फोट होगा तो तटबंध अपने आप कट जायेगा कोई खतरा ही नहीं होगा फिर चाहे उसे कोई भी तोड़े। वर्तमान समय में तकनीकी भी विकसित हो रही है हो सकता है आगे नई तकनीक आने वाली है हो सकता है आने वाले समय में रिमोट का भी प्रयोग हो सकता है जिससे हो सकता है वो काम जल्दी ही काम हो जाए।

कुछ साल पहले 1993 में ऐसा ही हुआ कमला का मदेपुर बिहार खुर्द के पास का तटबंध कटा, सरकार के तरफ से वक्तव्य आया कि असमाजिक तत्वों ने काट दिया। कुछ लोगों ने वहां बाकायदा जलूस निकाला और धरना दिया। उन लोगों ने कहा कि यह असमाजिक तत्वों ने नहीं बल्कि हमने काटा। तब सरकार ने कहा कि वो तो टूट गया। इस पर कोई बहस नहीं करना चाहता। ऐसा तो होता रहता है इलाहबाद कोर्ट एक्सप्रेस हाईवै के बारे में ऐसा ही हो रहा है। इस बारे में हमारे पास एडवोकेट गुप्ता का फोन आया उन्होंने कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर सभी किताबें सौंप दी लेकिन जब जज साहब ने किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा कि इसमें निर्णायक बात नहीं लिखी कि संसोधन हो रहा है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वाद–विवाद का विषय है और सरकार जो कुछ भी कर रही है वो ठीक ही कर रही है। तो इस प्रकार कुछ भी नहीं हो पाता है तो इससे स्पष्ट है कि सत्ता ने अपना जो भी मन बना लिया उसे संभव बनाने के लिए वो हर संभव प्रयास में लगे रहते हैं।

विजय प्रताप: इसकी कोई रूपरेखा है ?

दिनेश मिश्रा : नहीं ! इस बारे में बहुत से लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं और वो कहते हैं कि हम लोग एक बार और लड़ेंगे।

विकल्प, विकल्प और विकल्प!

–हेमंत

बिहार में 50 साल से बाढ़–नियंत्रण की यात्रा जारी है। आकर्षक और इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीक से लैस लेकिन जैसे उसकी मंजिल ही खो गयी – अंधी गली की अन्तहीन यात्रा में तब्दील हो गयी! लेकिन त्रासदी यह कि चलना जारी है। उसी रास्ते पर जिसकी मंजिल का पता नहीं। जैसे चलते रहने के सिवा अब कोई विकल्प ही नहीं बचा।

क्या सचमुच बिहार में बाढ़ विभीषिका पर काबू पाने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है? सब कहते हैं–'है'। विज्ञान एवं टैक्नालॉजी के अब तक के अनुभव भी यही हैं, अनुभवजनित विज्ञान भी यही कहता है। लेकिन ट्रैजडी यह है कि प्रभुवर्ग की सत्ता–राजनीति एवं विकास की अवधारणा ने 'आधुनिक विज्ञान के अनुभव और अनुभव के लोकविज्ञान' को आमने–सामने खड़ा कर दिया। किंचित विरोधी मुद्रा में। इसलिए विकल्प में 'समग्र दृष्टि' का अभाव दिखता है और बाढ़–विभीषिका पर नियंत्रण की हर योजना एकांगी, अधूरी और विफल है।

बाढ़–विभीषिका पर काबू पाने के कई तरीके हैं। सबकी अपनी–अपनी सीमा हैं और एक–दूसरे से जुड़कर संभावनाओं के नये रास्ते भी खुलते हैं। उनमें तटबंध बनाने से लेकर हाईडैम बनाने और बाढ़ के साथ रहने की जीवन शैली विकसित करने तक के उपाय मौजूद हैं।

बाढ–विभीषिका पर काबू पाने के दो पहलू हैं – बाढ़ पर नियंत्रण और बाढ़ से मुकाबला।

1. एक उपाय यह है कि नदियां गहरी और चौड़ी कर दी जायें। नदियों को गहरा और चौड़ा करने के लिए बड़ी मशीनरी और काफी पूंजी चाहिए। अकसर यह उपाय इस सवाल पर भी अटकता है कि उड़ाही की मिट्टी को कहां ले जाया जाये?

2. तटबंध बनाना भी एक उपाय है, जो कि बिहार में अभी भी बनाये जा रहे हैं। इस विकल्प का नतीजा सामने है। तटबंध से पानी ही नहीं, मिट्टी भी बाहर फैलने से रूकती है। नदी गाद–मिट्टी से भरती जाती है। इसके कारण नदी में जरा सा पानी आता है कि नदी तटबंध से बाहर छलकने लगती है। नदी की पेंदी उपर और बाहर की जमीन का तल नीचे हो तो फिर जो पानी बाहर से नदी में आता है, वह बाहर ही रह जाता है। यानी तटबंध के दोनों तरफ पानी। जहां पहले एक नदी हुआ करती थी, वहां अब तीन नदियां बहती हैं। फिर एक ही उपाय बचता है कि तटबंध को और ऊंचा करो! बालू की दीवार कितनी ऊची की जा सकती है?

3. नदी की मुख्य धारा के साथ–साथ सहायक धारा को बांधा जाये। लेकिन मुख्य नदी और सहायक नदी के बीच तटबंध से घिरे क्षेत्र का क्या होगा? वही होगा जो बिहार के कई क्षेत्रों में हुआ। ऐसे क्षेत्र को लोग कहते हैं– मौत का कुआं!

4. पूरे देश की तमाम प्रमुख नदियों को जोड़ने की 'नदीजोड़ महायोजना' की बात की जा रही है। इसके परिणाम और सीमाओं पर बहस चल रही है। अन्य देशों के अनुभव के आधार पर उससे लाभ की तुलना में स्थायी घाटे का हिसाब सामने आ रहा है।

5. गांव के चारों ओर रिंग बांध बने। बिहार के कई क्षेत्र इस उपाय के परिणाम के साक्षी हैं। ऐसे सुरक्षित क्षेत्र का पानी बाहर निकालने और नदी में पहुंचाने के लिए पम्पों का

सहारा लेना पड़ता है। पम्पों से निकासी का अनुभव बिहार के उन क्षेत्रों के हर व्यक्ति को है। कडुआ और खीझ पैदा करने वाला अनुभव। दिनोंदिन पम्पों की संख्या बढ़ती है और ठप होनेवाले पम्पों की भी। रिंग बांध को और ऊपर उठाने की मजबूरी ढोते रहे, तो मुसीबत और बढ़ी।

6. एक उपाय यह भी है कि गांवों को ऊंचे टीलों पर बसाया जाये। बिहार में सामान्यतः यह उपाय अमल में लाया जाता है। लेकिन ऐसे गांव बाढ़ के वक्त पानी में द्वीपों की तरह तैरते नजर आते है। उन गांवों तक किस तरह की सड़क से पहुंचेंगे? पानी आता है और जोर मारता है तो टीलों को कटाव होता है। इसे कैसे रोका जाये?

7. दिल्ली में बैठे प्रभु अक्सर यह उपाय भी सुझाते हैं कि जिन इलाकों में बाढ़ आती है, वहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह बसाया जाए यह बिहार में संभव नहीं। बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में बसी आबादी का घनत्व राष्ट्रीय औसत का दुगुना है। 880 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर!

8. लोग बाढ़ के साथ जीना और रहना सीखें। बाढ़ से दुश्मनी के बजाय दोस्ती करना सीखें। इसके साथ यह चिन्तन भी जुड़ा है कि सभ्यता के विकास के दौर में इंसान नदी के पास गया। नदी इंसान के साथ नहीं गयी। इसलिए नदी की प्रकृति के अनुरूप इंसान की जीवन–शैली बने। खेती से जुड़ा लोकविज्ञान इसकी हिमायत करता है लेकिन पूंजी व सत्ता केंद्रित आधुनिक विज्ञान को यह मंजूर नहीं। इसमें उसे अपनी हार नजर आती है।

   इस समाधान की एक कड़ी यह है कि जहां अक्सर बाढ़ आती है, वहां के मकानों की डिजाइन में आमूल परिवर्तन किया जाये। नदी के किनारे पक्के मकान बने तो नुकसान होना ही है। नेपाल की तराई तथा उत्तर–पूर्वी राज्यों (मणिपुर आदि) में 'लकड़ी के मकानों' का परम्परागत शिल्प है। उससे बाढ़ से बचाव और कम से कम अनुसान की तकनीक विकसित की जा सकती है। पश्चिम बंगाल ने अपने बाढ़–क्षेत्र के लिए यह तकनीक अपनायी, जो कुछ हद तक कारगर साबित हुई। उसमें 12 फीट उंचे खंभों के ऊपर मकान या भवन बनाया जाता है निचले तल्ले में सिर्फ खंभे और पूरा भवन पहली मंजिल पर (आजकल शहरों में अपार्टमेंट इसी डिजाइन पर बनते हैं)। लेकिन इसके लिए आधुनिक विज्ञान को परंपरागत शिल्प से बहुत कुछ सीखना होगा और क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश और स्थानीय संसाधन आदि के अनुरूप प्रयोग में उतरना होगा। इसके लिए प्रभु वर्ग को बाजार में नहीं, बल्कि समाज मे बैठना होगा। विकास की तेज दौड़ में उसे इतनी फुर्सत है कहाँ।

9. तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 'फ्लड प्लेन जोनिंग' नाम का प्रस्ताव पेश किया था, जो बाढ़–विभीषिका पर नियंत्रण का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि वह बाढ़ से बचाव–राहत के उपायों से जुड़ा विकल्प था। उस पर सरकारों की कोई आम राय नहीं बनी, क्योंकि अधिसंख्य सत्ताधीश और पार्टियां उसे 'हारे को हरिनाम' जैसा विकल्प मानती हैं।

   उस विकल्प में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, उनको तीन भागों में विभाजित किया जाये। यह देखा और परखा जाये कि उन तीन भागों में किस क्षेत्र में कितने अन्तराल पर (5 से 50 वर्ष) किस स्तर की बाढ़ (सामान्य, बड़ी और खतरनाक) आती है। उसी विभाजन के आधार पर उस क्षेत्र में विकास की प्राथमिकताएं तय की जायें। जैसे, उद्योग, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, व्यावसायिक काम्पलेक्स आदि उस क्षेत्र में बनें, जहां पिछले सौ साल के अन्तराल में किसी खतरनाक बाढ़ का भय नहीं रहा। सरकारी कार्यालय, आवासीय क्षेत्र,

विश्वविद्यालय आदि के भवन उस क्षेत्र में बनें, जो पिछले कम से कम 25 साल में किसी भीषण बाढ़ के अनुभव से नहीं गुजरा। ऐसे क्षेत्र में उसी तरह के मकान–भवन बनें, जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया है।

जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां बाढ़ से बचाव व राहत के लिए पहले से स्थायी किस्म के इंतजाम (साफ पानी, शरण स्थल, भंडारण, नाव, दवाइयां आदि) किये जायें। 'फ्लड प्लेन जोनिंग' में यह उपाय भी जुड़ा हुआ है कि उत्तर बिहार की जनता को बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाला मजबूत तंत्र विकसित किया जाये। इसके लिए नेपाल में अधिक से अधिक 'वार्निंग' (चेतावनी देने वाले) स्टेशन हों।

10. राज्य सरकार के हर समाधान–चिंतन की धुरी यह है कि बिहार की बाढ़–विभीषिका राष्ट्रीय मुद्दा बने। उसकी रोकथाम के साथ–साथ बचाव–राहत की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार जैसे क्षेति की पूरी भरपाई और बचाव–राहत व पुनर्वास के पूरे खर्च का बोझ आदि। पिछडा बिहार अपने सीमित साधनों से बाढ़–प्रकोप का मुकाबला करने में असमर्थ है।

11. एक विकल्प की चर्चा पिछले 50–55 सालों से जारी है। वह है नेपाल क्षेत्र में 'हाई डैम' का निर्माण। अब तक उस पर जितनी चर्चा हुई है, वह 'महाभारत' की रचना से वृहद गाथा है। हाई डैम के उक्त सारे प्रस्ताव भारत–नेपाल के राजनीतिक संबंध से जुड़े हैं। हाई डैम से नदियों को बांधने की कल्पना आज भी दो सवालिया धाराओं के बीच फंसी है। एक है कि नेपाल में हाई डैम का निर्माण तकनीकी दृष्टि से कितना उचित है और दूसरा यह कि नेपाल–भारत के राजनीतिक संबंध में 'हाई डैम' की भूमिका क्या होगी? बराह क्षेत्र में कोषी पर प्रस्तावित हाई डैम में इतना पानी जमा होगा, जो कभी भी पूरे बिहार को करीब एक फुट गहरे पानी की झील में तब्दील कर सकता है। अगर कोई अनहोनी हो और डैम टूटे तो उत्तर बिहार में प्रलय आ जायेगा। दूसरी ओर प्राकृतिक प्रकोप जितना ही बड़ा और स्थायी खतरा राजनीतिक है। चीन और भारत को सामरिक दृष्टि से कमजोर करेगा और वह भी स्थायी तौर से। यह तथ्य भी सामने है कि 'हाई डैम' के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (नेपाल) जो हिमालय श्रंखला के कच्चे पहाड़ों वाला क्षेत्र है, भूकम्पीय क्षेत्र (सेस्मिक जोन) है।

12. बाढ़–विभीषिका को कम करने का एक उपाय है – 'कैचमेंट एरिया इम्प्रूवमेंट' यानी जलग्रहण क्षेत्रों की क्षमता में सुधार इसके लिए जरूरी है कि जल–ग्रहण क्षेत्र, खास कर नेपाल में भूमि संरक्षण एवं वनीकरण जैसी योजनाओं पर बड़े पैमाने पर अमल किया जाये। वहां बड़े पैमाने पर 'चेक डैम' बनाये जायें, ताकि बिहार में आने वाले पानी (बारिश का पानी) की रफ्तार घट जाये और अंतराल बढ़ जाये।

लेकिन 'हाई डैम' के लिए पिछले 50 सालों से 'हाय–हाय' करने वालों को भी यह समझ में नही आता कि 'कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट' के बिना 'हाई डैम' की सफलता संदिग्ध होगी। उस कार्य में वर्षों लगते हैं। उस कार्य के बिना हाई डैम का निर्माण भी मुश्किल है।

13. लोकविज्ञान कहता है कि बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तालाबों का निर्माण भी एक कारगर समाधान है। लेकिन तालाब अब तक बाढ़–नियंत्रण की मूल सोच का हिस्सा भी नहीं बन पाये हैं।

सामान्यतः तालाब वैसे इलाकों के लिए सर्वोत्तम विकल्प माने जाते हैं, जहां बरसात के बाद सतही जल का अभाव पैदा हो जाता है। लेकिन बिहार की परंपरागत 'तालाब–संस्कृति' का गौरतलब पहलू यह है कि यहां नदियों का जाल बिछा हुआ है –

वह भी सदानीरा नदियों का जाल–और उस जाल में हजारों तालाब हैं! 20वीं सदी के पूर्वाद्ध तक बिहार में तालाबों की संख्या 50 हजार से ज्यादा थी और उनमें अधिक से अधिक तालाब 'मानव–निर्मित' थे। जहां चप्पे–चप्पे में नदियों का पानी उपलब्ध हो, जहां हाथ से मिट्टी खोदते ही 'बल्ल–बल्ल' पानी की धार फूटे, वहां इतनी बड़ी संख्या में तालाब के 'निर्माण' की परंपरा क्यों चली?

उन कृत्रिम तालाबों और प्राकृतिक तालाबों के बीच का फर्क या संबंध सहित निर्माण स्थल का चयन, स्वरूप, अन्य स्रोतों से उनके जल–संबंध आदि की मौजूदा सामान्य जानकारियों व अतीत के अनुभवों का संकेत यह है कि 'तालाब' बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में होनेवाली तबाही–बरवादी कर अंकुश का भी प्रभावी माध्यम रहा है। तालाब को कुशन (जलाधिक्य को सोखने–समेटने की क्षमता; ताकि बाढ़ पर नियंत्रण संभव हो) और जमीन का किडनी (गुर्दा) कहा जाता रहा है। लेकिन बड़े जलाशय और बड़े बांधों की आधुनिक तकनीक के आकर्षण में गुम सत्ता–राजनीति को तालाब जैसे विकल्प विकास की धारा को उल्टा करने की मूर्खता के प्रमाण लगते हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में तालाब भी 'चेक डैम' का काम कर सकते हैं, यह सोच विकसित ही नहीं हुई।

14. फिलहाल गैरसरकारी स्तर पर यह बहस तेज करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण का मामला वस्तुतः भारत–नेपाल–बंगलादेश के 'संयुक्त जल प्रबंधन' का हिस्सा है। आज जल–प्रबंधन के मामले में अंतरराज्यीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विकसित करने और इसके लिए सर्वमान्य विधि–विधान बनाने के कई प्रयास चल रहे हैं। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ***विभिन्न देशों की जनता और सरकारों के बीच के मतभेद पाटकर परंपरा और प्रयोग को जोड़ने की कल्पना भी है।*** उसे पारिस्थितिक लोकतंत्र (इकॉलॉजिकल डेमोक्रेसी) ***के नाम से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही हैं यह बहस अधूरी और खंडित है क्योंकि इसमें राजनीतिक प्रभुओं की इच्छाशक्ति की कमी और जनता की सीधी भागीदारी का अभाव है। भारत, नेपाल और बंगलादेश की बीच जनता के स्तर पर तो 'संवाद' की स्थितियां भी न के बराबर बनी हैं।***

उक्त तमाम उपायों में कुछ जोड़ने और घटाने का सूत्र है बिहार में नदियों के किनारे, नदियों के साथ जीनेवाले करोड़ों लोगों का एक सत्य–आग्रह– 'हमें हमारी नदियां लौटा दो।' आधुनिक तकनीक हमसे हमारी नदियां छीन रही हैं। क्या हमारे राजनीतिक प्रभु ऐसी तकनीक विकसित करेंगे, जो हमारी नदियां हमें लौटा दे? यही अंतिम और सही विकल्प है। (जुलाई, 2004)

++++++++++++++++++++++++

बाढ़ सहजीवन सम्मेलन

विवाह भवन, खगड़िया, बिहार, 15–16 मार्च, 2008

–श्री कुमार कलानंद मणिः

वैज्ञानिक, तकनिशियनों को पढ़ाया गया है कि विज्ञान से बाढ़ नियंत्रण होगा, उस पढ़े हुए सिद्धान्त के आधार पर बाढ़ नियंत्रण की तकनीकी विकसित करते हैं। अनुभव का अभाव होता है। बाढ़ सहजीवन की कला पुरूखों से सीखा है। बाढ़ का संबंध भगवान, अल्ला, गॉड से नहीं है। खगड़िया, बाढ़ की राजधानी बनी है। बूढ़ी गंडक, बागमती, कोषी, गंगा जैसी नदियों की वरदान नगरी खगड़िया है। बाढ़ में अमानवीय जीवन जीने के बाद भी जीने की आशा है इससे बड़ी बात क्या होगी? बाढ़ की बर्बादी को भूलकर पुनः जीवन को संवारते हैं। गैलिलियों के अनुसार पृथ्वी गोल है। यदि उस भूगोल को स्वीकारते हैं तो बांध, तटबंध द्वारा नदी धारा को अवरूद्ध नहीं कर सकते।

आए दिन राजनेता बयान देते हैं या फिर अखबार में खबर छपती है कि नेपाल के पानी छोड़ने से बाढ़ प्रलयकारी बनी। नेपाल, बिहार की राजनीतिक बॉउण्ड्री है। वरदान प्राप्त बाढ़ क्षेत्र गर्व करें तथा बाढ़ को समस्या न मानें बाढ़ ही नहीं बल्कि जल व्यवस्थापन की समस्या है। 50 वें दशक में बांध, डैम, तटबंध का विरोध करनेवालों को दण्ड मिलता था। गैलिलियों की बात से तटबंध की भयावहता स्पष्ट होने लगी हैं। बाढ़ समस्या की खोज निराकरण की दिशा में हो, बाढ़ से कभी मुक्ति नहीं हो सकता है। बॉध के पहले की अपेक्षा बांध विस्तार के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का विस्तार हुआ। किसी भी धर्म के क्यों न हो वास्तविकता है कि आप जल प्लावित क्षेत्र के निवासी हैं। जल व्यवस्थापन ही आपका मार्ग है। जल संकट को कम करने के लिए जल स्रोत रचना का प्रबंधन हो। बाढ़ से निदान कैसे? जर्मनी निवासी किस्टन गार्डेन बताती है कि जर्मनी, निदरलैण्ड, हालैण्ड मे जल प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है। इन क्षेत्रों में मकान की तकनीक ऐसे है कि पानी स्तर फैलाव होने से मकान ऊपर उठता है तथा घटने से नीचे आता है। यहां भी बाढ़ सहजीवन के लिए योजना बनी होती, खर्च हुआ होता तो स्थिति अच्छी होती। अब अनुभव कहता है कि 'नदी मत बाँधों अविरल बहने दो', नदी जोड़ परियोजना की बात चल रही है। नदी बाँधने से आगे वाला राज्य, देश प्रभावित होगा। जैसे– नेपाल में बाँधने से बिहार, बिहार में बॉधने से बंगाल आदि। नदी में गाद न आए इसके लिए नेपाल में जंगल विस्तार करना होगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल हिमालय की यात्रा, संवाद स्थापित करनी होगी। तब बाढ़ को वरदान बना सकते हैं।

50 वर्षों में स्थिति बिगाड़ने की जिम्मेवारी विज्ञान, आधुनिक विकास के वकालतकर्ता की हैं जनोपयोगी स्थायी विकास की सबसे बड़ी रूकावट पैदा करनेवाले सरकारी तंत्र है। चुनौती का सामना करने के लिए बड़ा संगठन बनाना होगा । हम गांव के लोग अपनी योजना बनायेंगे। योजना ऐसी हो जो स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का सामना करनेवाली हो। शहरों के साथ–साथ गांव का विकास हुआ है छोटी नदी अवरूद्धित हुई है। 70 प्रतिशत किसानी व्यवस्था वालों देश में 50 शक्तिशाली लोग की तुलना में जनभिमुखी योजनाएं कम है। इण्डिया टुडे में 50 शक्तिशाली लोगों का नाम छपा। विज्ञान जानकारी का अपार स्रोत लाया है। अमेरिका में 62 हजार लोग नौकरी से हटाये गये बेरोजगार बन बैठे हैं।

संगठन के बिना परिवर्तन का मार्ग नहीं बनेगा। सड़क, रेल मार्ग बने किन्तु पानी में डुबोकर नहीं। इसके लिए हर नागरिक का प्रशिक्षण हो। 140 इंच वर्षा 15 मई से सितम्बर तक होती हैं

पानी व्यवस्था की जिम्मेवारी जनता के अनुसार हो, न कि सरकार के अनुसार बरसात की पहली पानी से कुआं तालाब भर जाता है तब गोवा के लोग जश्न मनाते हैं।
नारे लगाना, सरकार से भीख मांगना बंद कीजिए, सरकार आप पर टिकी है। आप सरकार पर नहीं, भारत सरकार की बजट पढ़िए, Economic & Political पत्रिका में आंकड़े छपते हैं, इस साल जनता सरकार को 23 करोड़ रूपये दिये टैक्स के नाम पर, सरकार टैक्स पर टिकी है। हर बात में सरकार तो आप गुलाम हो, भिखारी हो, अपनी पहल आरम्भ करो, बाढ़ सहजीवन को तीन रूपों में देखना चाहिए :–
बाढ़ के पूर्व : गोवा में जून से बरसात आरम्भ हो जाती है। अप्रैल के अंत से साढ़े पांच माह की बरसात की बुनियादी जरूरत सामग्री भण्डारण कर लेते हैं।
बाढ़ के समय : राहत के लिए दौड़ कब तक खुद को संभालों, संसाधन इकट्ठा करने का प्रशिक्षण हो, बाढ़ के समय बच्चों, महिलाओं बूढ़ों विकलांग को बचाने की व्यवस्था हो, एक लाख बाढ़ वाहिनी बने।
बाढ़ के बाद : ईद, मुहर्रम, मकरसंक्रांति की तिथि सरकार तय नहीं करती बल्कि जनता तय करती है, अतः अधिकार जनता के पास है। दीपावली, छठ के पीछे विज्ञान है दीपावली में घर एवं आसपास की सफाई, ईद में मिलना जुलना होता है तालाब, नदी को साफ कर छठ पर्व मनाते हैं इसके लिए कोई बजट सरकार नही देती, सम्मेलन से आध्यात्मिक प्रक्रिया आरम्भ हो, असफलता के बावजूद भी प्रयास जारी है जहाँ चाह वहाँ राह।
आध्यात्मिक, पारंपरिक, वर्तमान विज्ञान से रास्ता निकालें, राज्य स्तरीय संगठन, विचार प्रयोग, लड़ने की आशातीय क्षमता हो, मजबूती के लिए प्रशिक्षण हो, साझां मंच में आना एवं लाना होगा, साथ रहे, साथ चलें, समझ बने इसी विश्वास एवं इंसानियमत से बढ़े।
बाढ़ सहजीवन के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा, काम करना होगा, नया समाज और नया बिहार बनाना होगा, बाढ़ वरदान बनें इसका सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। धन्यवाद

खगड़िया घोषणा–पत्र

घोषणा पत्रः प्रो. प्रकाश, मनोज तिवारी, अमरनाथ, खूबलाल द्वारा घोषणा पत्र तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसपर सामूहिक विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

भारतीय नदी घाटी मंच (बिहार) के तत्वावधान में खगड़िया के विवाह भवन में 15 व 16 मार्च, 2008 को आयोजित बाढ़ सहजीवन सम्मेलन में हम सभी प्रतिभागी घोषणा करते हैं कि :–

1. ऐसी जीवन–शैली को अपनाने और ऐसे कौशल को विकसित करने का प्रयास करेंगे जिससे बाढ़ के कारण सामान्य जीवन अस्त–व्यस्त न हों
2. जल निकासी की उचित व्यवस्था और जलाशयों का जीर्णोद्धार व नए निर्माण के लिए गांव और पंचायत के स्तर पर जनमत गठन का काम करेंगे।
3. बाढ़ सहने योग्य आवास–व्यवस्था, फसल–चक्र व वृक्षारोपण के लिए जनमत गठन करेंगें
4. आश्रम स्थल, पेयजल, शौचनिवृत्ति, पशुचारा, श्मशान और नावों की समस्या हर बाढ़ में उत्पन्न हो जाती है। हर गांव में तालाब और उसके भीठ पर इनकी व्यवस्था की जा सकती है। तैराकी सीखने के लिए इनकी अतिशय आवश्यकता है। प्रत्येक गाँव में तालाब बनाने के लिए निजी व पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा।
5. बुनियादी जरूरतों की आवश्यक सामग्री का बाढ़ के पहले से संग्रह करेंगे। इसे पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए विशेष दलों का गठन करेंगे।

6. राहत लेना आत्महीनता का सूचक माना जाता है इसके बावजूद आकस्मिक विपत्ति का सामना करने के लिए राहत सामग्री लेना व देना पड़ता है राहत सामग्री का यथासमय, समुचित व पक्षपातविहीन वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे।
7. बाढ़ के बाद क्षति का आंकलन और दस्तावेजीकरण के आधार पर, लोकहित में भावी योजना का निर्माण करेंगे।
8. नदियों के अबाध प्रवाह व प्राकृतिक जल क्षेत्रों अर्थात चौर, मोइन आदि को बचाने के लिए तटबंधों, बराज व इस तरह की अन्य संरचनाओं के बारे में बहस चलाते हुए बाढ़ सहजीवन की जागरूकता का विकास करेंगे। इसके लिए आगामी बरसात के पहले समूचे प्रदेश में बाढ़ सहजीवन यात्राएं निकाली जाएगी।
9. बाढ़ सहजीवन के बारे में जनमत गठन और बाढ़ की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए विभिन्न सहधर्मी संगठनों और सरकारी एजेंसियों का साझा मंच का गठन किया जाएगा और आपसी समन्वय कायम किया जाएगा।
10. भारतीय नदी घाटी मंच के निर्णय के अनुसार 25 मई को नदी दिवस के रुप में मनाया जाएगा। राज्य भर में गांवों में स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

समूह चर्चा का समेकन : सदानं तिवारी, जानकी देवी, खदीजा खातुन, शंकुतला देवी, बूवलाल को मिलाकर समेकन टीम बनी, जो गंडक, गंगा, कोशी, झारखंड के चर्चा को निम्न रूप में समेकित करके प्रस्तुतीकरण कियेः

बाढ़ के पूर्व	बाढ़ के समय	बाढ़ के बाद
• बुनियादी जरूरत जैसे खाद्य सामग्री, प्रथामिक उपचार, ईधन, पेयजल, प्लास्टिक इत्यादि का भंडारण। • संसाधनों (भौतिक, मानवीय) की पहचान एवं सूची निर्माण, जैसे नाव, नावचालक ऊँचे स्थल, डॉक्टर, प्रसूति घर, चापाकल आदि। • तैराकी प्रशिक्षण • संरक्षा समिति का गठन एवं प्रशिक्षण • सूचनातंत्र का विकास	• प्राथमिकता के आधार पर ऊँचे स्थलों पर पहुँचना • सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं के राहत वितरण में सहयोग एवं समुचित वितरण पर निगरानी • लड़कियों, महिलाओं के लिए मानसिक, शारीरिक सुरक्षात्मक व्यवस्था • शिक्षण व्यवस्था	• जलीय खेती, ग्रामोंद्योग, ऊँचे नीव वाले मकानों का निर्माण करना • क्षति आंकलन एवं पूर्ति • महामारी रोकथाम के लिए डीडीटी प्रीवेटिव दवा वितरण • पुराने जलाशयों का जीर्णोद्धार एवं नये तालाबों का निर्माण • तटबंध, बांध, डैम विहीन तथा समुचित जल निकास वाली पुल–पुलिया युक्त नदी। • ग्रामसभा सशक्तिकरण • वृक्ष कटाई पर रोक एवं वृक्षारोपण • जल, जंगल, जमीन पर क्रियाशील समूह, व्यक्ति का सांझा मंच • नदी तल से बालू उठाई पर नियंत्रण • पुनर्वास व्यवस्था

बिहार सरकार
कोशी बॉध कटान न्यायिक जाँच आयोग

33, हार्डिग रोड, पटना-800001

आम सूचना

पटना
दिनांक.....दिसम्बर, 2008

(क) सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्यपाल, बिहार ने 18 अगस्त 2008 को पूर्वी कोषी बॉध के कटान के कारणों, दायित्व तथा भविष्य में पुनरावृति न हो, इस सम्पूर्ण प्रकरण, जो लोकमहत्व का विषय है, कि न्यायिक जॉच के लिए माननीय पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीष, न्यायमूर्ति श्री राजेष वालिया, की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जॉच आयोग का गठन किया है। आयोग तदनुसार तटबंध के कटान के कारणों तथा इस विभीषिका की पुनरावृति न हो, उनसे संबंधित मुद्दों पर जॉच करेगा।

(ख) आयोग के समक्ष निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :–

1. क्या किसी व्यक्ति, संस्था, सरकारी पदाधिकारी द्वारा पूर्वी एफलक्स बॉध के कटाव को अगस्त, 2008 में रोकने के संबंध में कोई लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण कोषी नदी की धारा बदली ? आयोग भविष्य में ऐसे आपदा को रोकने के सुधारात्मक उपायों पर भी विचार करेगा।

2. क्या मानसून ऋतु 2008 के प्रारम्भ होने के पूर्व कोषी तटबंध विषेषतया पूर्वी बॉध का क्षयनरोधी कार्य राज्य सरकार के संबंधित पदाधिकारियों द्वारा पूर्ण कर लिया गया था तथा क्या राज्य सरकार के क्षेत्रीय अभियन्ताओं की अनुषंसाओं को कोषी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर पूर्वी एफलक्स बॉध के कटाव को रोका जा सकता था ?

3. क्या बिहार सरकार द्वारा 1990 से 2005 तक ''स्पर'', बॉध, तटबंध तथा जल संचय क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्य किए गए थे जो 1963 में समर्पित था, विषेष रूप से जुलाई 1991 में जब कोषी बॉध के कटाव के बाद लोगों का आक्रोष प्रकट हुआ था?

4. कोषी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में वर्ष 1979 में घटित भू–स्खलन के कारण नदी की मोर्फोलोजी बदलने एवं नदी के पष्चिम से पूरब की तरफ मुड़ जाने से जो खतरा पूर्वी एफलेक्स बन्ड पर पड़ने लगा, जो उपग्रह चित्रों से स्पष्ट है, के मद्देनजर जो बाढ़ निरोधक कार्य किये जाने अनिवार्य थे, वे बाढ़ नियन्त्रण के लिये जिम्मेवार एजेन्सी द्वारा किये गये अथवा नहीं ?

5. क्या वर्ष 1978 में गठित उच्च स्तरीय कोषी कमेटी ने ''स्पर'' को यथावत सुरक्षित रखने,

''स्टड'' का निर्माण, ''एज कटिंग'' कार्य आदि के संबंध में कोई अनुषंसा की थी और क्या इन अनुषंसाओं को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गयी थी और बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया था तथा क्या कोषी उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की गयी अनुषंसाएं पूर्वी एफलक्स बॉध के कटाव को रोकने के लिए पर्याप्त थीं ?

6.

(1) क्या 1953 में केन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग द्वारा कोषी कार्य योजना का जीवनकाल मात्र 25 वर्षो के लिए, अस्थाई राहत प्रदान करने के उद्देष्य से, स्वीकृत किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री कंवर सेन, सी.डब्ल्यू.पी.सी. तथा डॉ. के.एल.राव, निदेषक (डैम्स), सी.डब्ल्यू.पी.सी. थे?

(2) क्या कोषी कार्य–योजना सी.डब्ल्यू.पी.सी. की अनुषंसाओं के अनुरूप लागू की गयी थी?

(3) क्या कोषी कार्य योजना का जीवनकाल 25 वर्षो के लिए ही सीमित था ? 25 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने की स्थिति में गाद नियंत्रण के कारगर उपाय कर इसका जीवनकाल विस्तारित किया जा सकता था ?

(4) क्या 1953 में बनायी गयी कार्य योजना कोषी पर डैम बनाने तथा इसकी कुछ सहायक नदियों पर चेक–डैम बनाने की अनुषंसा का क्रियान्वयन किया जाना था ?

7. क्या राज्य सरकार द्वारा गठित प्रथम और द्वितीय राज्य सिंचाई आयोग ने तटबंधों, बॉध एवं स्पर आदि को सुदृढ़ करने की कोई अनुषंसा की है और यदि हॉ तो राज्य सरकार के संबधित विभाग द्वारा कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गयी ?

एत्द द्वारा सर्वसाधारण को यह सूचना दी जाती है कि अगर कोई व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह/कोई संगठन या संस्थान या वे सभी, जो इस कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हों, वे उपर्युक्त विचारणीय बिन्दुओं पर, प्रमाणित दस्तावेजों के साथ, सचिव, कोषी बॉध कटान न्यायिक जॉच आयोग, 33, हार्डिग रोड, पटना–800001 को 7 फरवरी 2009 तक ई.मेल या निबंधित डाक से (सी. डी. तथा एक हार्ड कॉपी सहित) ज्ञापन भेज सकते हैं।

आयोग द्वारा निर्धारित प्राथमिक सुनवाई की तिथि, स्थान और समय की सूचना अलग से प्रकाषित की जाएगी। अन्य जानकारी आयोग के बेवसाईट ूणवेप.लवहण्इपीण्दपबण्पद पर उपलबध है।

आयोग के आदेष से

(सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
आयोग के सचिव

जल संसाधन विभाग बिहार सरकार में कोशी परियोजना के अंर्तगत भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मुों।

वैज्ञानिक एवं तकनीकीविद् मंच, बिहार
(लेख के कुछ अंश)

काला सोमवार : 18 अगस्त, 2008

कोशी बराज से करीब 12 किलोमीटर ऊपर नेपाल स्थित कोशी के पूर्वी वाहोत्थान बाँध में कुसहा में 18 अगस्त, 2008 को हुआ टूटान (कटान?): इस प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोशी बराज से होकर वाहोत्थान बाँध में ऐसा हादसा पहली बार, वह भी बिल्कुल सामान्य स्थिति में, **बिना बाढ़ और वर्षा के,** हुआ। बराज प्रमण्डल, वीरपुर एवं पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, वीरपुर के कार्य क्षेत्रान्तर्गत ही कुसहा में एफ्लक्स बाँध में कटान हुआ।

यह कड़वी सच्चाई है कि अखबारों को पढ़–पढ़कर कुसहा कटान की सच्चाई तक पहुँचना असंभव था, इसलिए मंच ने निर्णय लिया कि इसके कुछ अभियंता सदस्य सच्चाई को तटस्थ भाव से खुली आँखों देख आये और इसकी जानकारी मंच को दें। मंच ने यह निर्णय तो ले लिया, लेकिन अनेकानेक कारणों, जिनमें से प्रमुख कारण आर्थिक और व्यवस्थागत थे, से यात्रा की अंतिम तिथि का निर्धारण न हो पा रहा था और यह बारंबार आगे के लिए टलता जा रहा था। उहापोह की ऐसी ही स्थिति में मंच के सदस्य श्री विनय शर्मा एवं श्री गोरे लाल मनीषी, कार्यपालक अभियंता (सेवा–निवृत), जल संसाधन विभाग, बिहार से सूचना मिली कि श्री विजय कुमार, गाँधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय एवं श्री आनन्द मंडल, राष्ट्र सेवा दल एवं अन्य मित्रों द्वारा 10 अक्टूबर, 2008–20 अक्टूबर, 2008 की अवधि में आयोजित होने वाली नाव–यात्रा, **''तबाही की गवाही'',** में शामिल होने के लिए अभियंताओं को आमंत्रित किया गया है। नेकी और पूछ–पूछ। मंच ने गतिरोध टूटने के इस अवसर को हाथों हाथ लिया और अपने पाँच सदस्यों, सर्वश्री ई. महेन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियंता (सेवा–निवृत), ई. वीरेन्द्र कुमार सिंह, अधीक्षण अभियंता (सेवा–निवृत), ई. जयकृष्ण पंडित, कार्यपालक अभियंता (सेवा–निवृत), ई. गोरे लाल मनीषी, कार्यपालक अभियंता (सेवा–निवृत) और ई. विनय शर्मा, कार्यपालक अभियंता (सेवा–निवृत) को इसमें शामिल होने के लिए निदेशित कर दिया।

बहुत से प्रासंगिक तथ्यों की जानकारी भी हमें न हो सकी। बाढ़ से संबंधित कार्यों में संबंधित विभाग/सरकार द्वारा बरती जा रही अतिशय गोपनीयता भी इसका एक प्रमुख कारण है। मंच के एकाधिक सदस्यों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत माँगने पर भी उन्हें संबंधित प्रमाणित सूचनाएँ प्राप्त न हो सकी, इसलिए संभव है कि इन सूचनाओं के अभाव में भी प्रतिवेदन अपेक्षा से कुछ भिन्न हो। पूर्वाग्रह मुक्त हो हमे कहना है कि प्रतिवेदन जारी होने के बाद भी किसी भी पक्ष, या भुक्तभोगी या जानकार, से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर भी हम अपना प्रतिवेदन तत्परता पूर्वक सुधारने के लिए तैयार रहेगे।

स्थापनाः–

कटान सम्बन्धी घटनाक्रम : पर्दे के पीछे की सच्चाईयाँ –

- सर्वविदित है कि 18 अगस्त 2008 को भारतीय समयानुसार लगभग 13.58 बजे नेपाल के सुनसरी जिला भू–भाग के कुसहा गाँव के नजदीक कोशी पूर्वी एफ्लक्स बाँध कट गया और कोशी नदी **बिना बाढ़ और बिना वर्षा के ही** मानव–निर्मित सीमा से स्वतंत्र होकर बाहर आ गई। कदाचित विश्व का यह पहला अवसर है, जब कोई एफ्लक्स बाँध टूटा हो। मूल प्रश्न तो यह है कि 9,50,000 घन फीट प्रति सेकेण्ड (घनसेक) जल–प्रवाह के लिये रूपांकित एवं निर्मित यह एफ्लक्स बाँध **महज 1,00,000 घनसेक से भी कम** जल–प्रवाह में कैसे टूट गया? वह भी तब जब नदी का जल–स्तर, बाँध के भीतर के प्राकृतिक भू–स्तर (River side, N.S.L.) से नीचे ही था, **यानि नदी–जल का फैलाव एफ्लक्स बाँध के टो (जवम) तक भी नहीं था।** यहाँ यह भी स्मरणीय है कि हाल के वर्षों में लगभग 8,50,000 घनसेक जलश्राव को इसी एफ्लक्स बाँध ने बड़ी सहजता से झेला है।

- राज्य तथा देश के लोगों को उसी संध्या को विभिन्न खबरिया चैनेलों पर प्रसारित न्यूज बुलेटिनों से अकस्मात् इस कटान की खबर टूटान के रूप में मिली जबकि राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य भर के तटबन्धों को इसके पूर्व की तिथि, यानि **17 अगस्त, 2008 तक सुरक्षित होने का दावा किया जा रहा था।**

- **पानी का दबाव पूर्वी एफ्लक्स बाँध पर बना हुआ था।** 5 अगस्त, 2008 को बराज प्रमण्डल वीरपुर के क्षेत्राधिकारान्तर्गत 11.70 कि.मी. स्पर के नोज पर कटनिया लगा। तीन दिन बाद यानि 8 अगस्त, 2008 को उसी बराज प्रमण्डल के क्षेत्राधिकारान्तर्गत 10.70 कि.मी. स्पर पर भी कटनिया लगा। बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका–130(ख) और बिहार वित्त नियमावली के नियम 201 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित करने की अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के लिये और अपनी अक्षमता को छिपाने के लिये श्री सत्यनारायण प्रसाद, अधीक्षण अभियंता, बराज अंचल सह प्रभारी मुख्य अभियंता ने मुख्यालय, पटना, जल संसाधन विभाग को वितंतु से त्राहिमाम् संदेश

- श्री सुदेश राम, 5 जुलाई, 2008 तक पूर्वी तटबंध प्रमण्डल, कुसहा के कार्यपालक अभियंता थे और वही से अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति पाकर सिंचाई अंचल, सिवान में पदस्थापित हुए थे। श्री सुदेश राम अभियंता–प्रमुख श्री देवी रजक को विधिवत् लिखित सूचना प्राप्त कराते हुए उसी संध्या पटना से बस द्वारा वीरपुर के लिये प्रस्थान कर गये। **16 अगस्त को सवेरे करीब 9.00 बजे वे कुसहा कार्य स्थल पर पहुँच गये।** उन्होंने देखा कि 10.70 कि.मी. के स्पर से लेकर 12.90 कि.मी. के स्परों एवं उनके बीच के River Edge में कटाव हो रहा था। 12.90 कि.मी. स्पर और उसके ठीक पहले बराज प्रमण्डल के कार्यक्षेत्रान्तर्गत 12.50 कि.मी. स्पर तथा इन दोनों स्परों के बीच River Edge में हो रहा कटाव का उन्हें नियंत्रण करना था। 16 अगस्त की रात्रि में करीब 9.00 बजे वे कुसहा बाँध से Militay Camp होकर महेन्द्र राजमार्ग पकड़कर भंटाबाड़ी होते हुए वीरपुर आये। यह एक तथ्य है कि रात के 8:00 बजते–बजते सभी अभियंता वीरपुर वापस लौट आया करते थे और वीरपुर में ही उनका रात्रि–विश्राम हुआ करता था जिसका स्पष्ट मतलब है कि दिन में जिस मुस्तैदी एवं तीव्रता से काम हो रहा था उस तीव्रता एवं मुस्तैदी से रात में कार्य

नहीं होता था। 17 अगस्त, 2008 को करीब आठ–नौ बजे मुख्य अभियंता श्री सत्यनारायण प्रसाद अपनी गाड़ी पर श्री ज्योति प्रकाश, कार्यपालक अभियंता को साथ लेकर कुसहा के लिये चले। उन्हीं के साथ दूसरी गाड़ी से श्री सुदेश राम भी चले। दोनों अभियंता 12.50 कि.मी. स्पर, 12.90 कि.मी. स्पर तथा उनके बीच के River Edge को कटाव से बचाने में लगे रहे करीब 2.00 बजे अपराह्न में नदी की धारा एफ्लक्स बाँध के Toe से सट कर बहने लगी तथा नीचे पानी में बुलबुला उठने लगा जिसे तकनीकी भाषा में Boiling कहा जाता है। दोनों ही अभियंता लगभग हर पाँच–दस मिनट पर अपने–अपने मोबाईल से श्री देवी रजक, अभियंता–प्रमुख और अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनेटरिंग को स्थिति की सूचना देते हुए आवश्यक निर्देश की माँग करते रहे **यही NC Bed Bar बनाने का निर्देश अगर 5 अगस्त, 2008 को ही दिया गया होता तो यह कटान नहीं होता यानि NC Bed Bar बनाने का निर्देश देने के 12 दिनों का किया गया विलम्ब ही सारे अनर्थ की जड़ है।**

- घोर आश्चर्य की बात है कि उस टूटान (आगे से इस कटान की चर्चा हम भी टुटान के रूप में करेगें) के कारण अवश्यम्भावी जल–प्रलय की चेतावनी कोशी क्षेत्र की जनता को देने की जरूरत सरकार/जल संसाधन विभाग ने भी नहीं समझी। यही नहीं, **सच्चाई यह है कि कुसहा बाँध कटने की खबर को बदहवासी से चिल्ला–चिल्लाकर वीरपुर में लोगों को सूचना देते हुये सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की चेतावनी देने वाले दो युवकों को अनुमण्डलाधिकारी, वीरपुर ने अफवाह फैलाकर समाज में दहशत (Panic) पैदा करने का आरोप लगाते हुये गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।**

- कटान के लिये दोषी ठेकेदारों या अभियंताओं को तो जल संसाधन विभाग ने चिन्हित ही नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से विभाग के स्थानान्तरण पदस्थापन उद्योग की कलई खुलने का जोखिम था।

- इस आपदा को लाने के लिये जिम्मेवार अभियंताओं और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर चिन्हित कर उनके ऊपर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत फौजदारी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए।

- इसी प्रकार इस आपदा की स्थिति में अपेक्षित कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के लिये जिला प्रशासन से संबंधित लोगों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिये थी।

- यदि दोषी पदाधिकारियों और अभियंताओं पर यह कार्रवाई की जाती तो भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति की संभावना क्षीण होती, राहत एवं बचाव कार्य में घोटालों की सम्भावना कम होती और सबसे बड़ी बात कि पीड़ित जनता को कुछ सुकुन मिलता।

- (घोर आश्चर्य है कि सरकार ने दो जिला पदाधिकारियों, दो पुलिस अधीक्षकों, पाँच अनुमण्डल पदाधिकारियों और कुछेक प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को कर्त्तव्य में स्थानान्तरित तो किया परंतु पता नहीं किन कारणों से उनपर चूक/लापरवाही के आरोप में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने से परहेज रखा?)

- केन्द्रीय सरकार भी इस मामले उतनी ही लापरवाह और शिथिल पाई गई जितनी राज्य सरकार। **केन्द्र सरकार आम–तौर पर कोशी (और गंडक के पिपरा–पिपरासी) तटबंध के लिए गठित कोशी उच्चस्तरीय समिति में और संबंधित क्षेत्र के नेपाल में अवस्थित होने तथा ''नेपाल भाग में कोशी नदी के बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य का सारा व्यय केन्द्रीय योजनान्तर्गत लेने के कारण इसके लिए समान रूप से जिम्मेवार है''।**

- इसी तरह इस अप्रत्याशित मानव निर्मित आपदा के लिए राज्य की वर्तमान सरकार के साथ–साथ पिछली सरकार भी समान रूप से दोषी है।

कोशी परियोजना में भ्रष्टाचार की संरचना।

मंच नाव–यात्रा में शामिल अपने सदस्यों की इस राय से सहमत है कि सरकारी हलकों से बाहर के बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध जनों को बाढ़–प्रबंधन से संबंधित नियमों, जिनमें से मात्र कुछ का ही उल्लेख इस प्रतिवेदन में किया गया है, की जानकारी बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि इन बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जन की बात तो छोड़िये, भ्रष्टाचार में पिछड़कर बाढ़ प्रबंधन में पदस्थापन से वंचित अभियंतागण तक ये नियम और प्रावधान नहीं जानते, भले ही वे इसी जानकारी पर आधारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इसके जानकार होने के दावेदार हो गए हों। दूसरी ओर जो अभियंता भ्रष्टाचार की इस ''चूहा दौड़'' में सफल होकर बाढ़ प्रबंधन में अपना पदस्थापन कराने में सफल हो गए हैं, वे समय के तकाजे और परिभाषा के अनुसार व्यावहारिक हैं और वे **भलीभाँति जानते हैं कि कार्य कराने के दौरान नियमों का दामन थामना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि जब विभागीय शीर्ष ही नियमों का असुविधाजनक दामन छोड़ चुका होता है तो उसका इशारा आखिर क्या है?** दरअसल व्यावसायिकता (Professionalism) के प्रति प्रतिबद्धता छोड़ कर राजनैतिक नेतृत्व की तरह ही नियमों के बजाय नौकरशाही का शरणागत हो जाना ही अभियंताओं को श्रेष्यकर दीखता है। समाज का प्रबुद्ध वर्ग और आमजन तो पहले से इस ओर पीठ फेरे रहते हैं। नेपथ्य में चल रहे सत्ता के इस खेल से अनभिज्ञ ये अपने बीच उपस्थित क्षेत्रीय अभियंताओं को ही सारी बुराइयों की जड़ समझते आ रहे हैं **जबकि वास्तविक खेल उनसे कही दूर सचिवालय में खेला जा रहा है।**

1. पद स्थापन –स्थानांतरण उद्योग

- **मलाईदार पदों पर पदस्थापन के लिये बिहार का स्थानान्तरण पदस्थापन उद्योग कुख्यात है। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य की महत्ता एवं पदाधिकारी की दक्षता के आधार पर पदस्थापन की सोच ही नहीं है। संभावित कमाई के मद्देनजर अधिकतम बोली ही मलाईदार पदों पर पदस्थापन का एकमात्र आधार है। हाँ, इसमें 'जातीयता' या राजनैतिक पुश (Push) लग जाय तो मामला आसान हो जाता है। राजनीतिज्ञों की पैरवी भी मुफ्त में नहीं होती, राजनीति में पैसों के खेल से सब अवगत है। ऐसे माहौल में तकनीक और जनहित के लिए जगह ही कहां बचती हैं!** सामान्यतः तीन साल तक कार्य कोटि में पदस्थापित रहने के बाद अकार्य कोटि में पदस्थापन का नियम/प्रचलन है। परन्तु धन–बल से इसकी कभी परवाह नहीं की जाती। यही कारण है कि मुख्य सचिव श्री आर. जे.एम. पिल्लेई ने अक्टूबर, 2008 में अपने एक आदेश से 23 विभागों के जून, 2008 में किये गये स्थानान्तरण–आदेशों को समीक्षोपरांत रद्द कर दिया था। **जल संसाधन विभाग में बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल मलाईदार समझे जाते हैं।**

- सर्वविदित है कि सांसद या विधायक निधि से राजनीतिज्ञों को कमीशन दिये बिना किसी अभियंता को काम नहीं सौंपा जाता है। अभियंता इसके लिये कमीशन की पोटली लेकर राजनीतिज्ञों के चक्कर लगाते रहते हैं! ग्रामीण विकास विभाग, बिहार तो भ्रष्टाचार का

ट्रेनिंग सेन्टर ही है। ऐसे प्रायः सभी **सफल अभियंता** दस्तखत मास्टर होते हैं जो कार्य की मापी और गुणवत्ता की स्थल–जाँच किये बिना ही कमीशन लेकर मापी–पुस्तिका पर अपना दस्तखत कर देते हैं। **मुख्य अभियंता द्वारा किये जाने वाले सहायक अभियंताओं और कनीय अभियंताओं के स्थानान्तरण–पदस्थापन में भी यही खेल चलता है।** वीरपुर प्रक्षेत्र के कनीय अभियंताओं और सहायक अभियंताओं के सेवा इतिहास को देखा जाय तो विदित होगा कि कई कनीय अभियंता बीस–पच्चीस वर्षों से वीरपुर परिक्षेत्र में ही जमें है। यहाँ तक कि सहायक अभियंता में प्रोन्नति पाने के बाद भी उनका परिक्षेत्र नहीं बदला है।

2. सामान की खरीद संबधी मुद्दे

बोंल्ड़रों की खरीद

बोल्डर क्रेटिंग बनाम नाईलोन क्रेटिंग

- **बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डलों में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करना भी मलाईदार ही होता है क्योंकि इसके अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कभी संभव ही नहीं है।** 1मी.X1मी.X 1मी. के BA wire से 6''X 6'' के जाल से बनी पेटी में Boulder भरकर या नायलोन के धागे से बने 6''X6'' के जाल से 1मी.X1मी.X1मी. बक्से में प्लास्टिक से बने सीमेन्ट के खाली बोरे में बालू भरकर उसके मुँह की प्लास्टिक के धागे से सिलाई किये गये 25 बोरों को बाँध कर नदी के पानी में डाला जाता है, जिसे तकनीकी भाषा में क्रमशः Boulder Crating या Nylone Crating कहा जाता है। 1987 से पहले Boulder Crating का ही प्रयोग किया जाता था, किन्तु तत्कालीन मुख्य अभियंता, समस्तीपुर श्री रामनरेश सिंह ने इसपर रोक लगाते हुए Nylone Crating का आदेश दिया था जो काफी कारगर होने के साथ–साथ काफी Economical भी साबित हुआ। बोल्डर की घपलेबाजी करने वालों को इससे थोड़ी निराशा जरूर हुई। कालान्तर में कोशी प्रोजेक्ट में सीमित मात्रा में Boulder Crating की छूट दी गई, परन्तु इसमें मुख्य अभियंता के लिखित आदेश की शर्त जोड़ दी गई।

बोल्डर डम्पिंग व कम आपूर्ति दिखाने में अपवित्र गठजोड

- कोशी प्रोजेक्ट में Flood Fighting के लिये बराज स्थल पर पूरे वीरपुर जोन के लिये बराज प्रमण्डल द्वारा तथा विभिन्न Vulnerable स्थलों पर 30 जून से पहले ही संबंधित प्रमण्डलों द्वारा Boulder की आपूर्ति ले ली जाती है। 30 जून तक कटाव निरोधी कार्यों में खपत के बाद शेष बचे Boulder और Flood Fighting के लिए आपूर्ति लिये गये Boulder का भौतिक सत्यापन असंबद्ध प्रमण्डल के अभियंताओं से कराने का प्रावधान है, **जिसका अनुपालन नहीं किया जाता है।** बाढ़–अवधि में दूसरे प्रमण्डलों को वोल्डर की जरूरत पड़ने पर बराज स्थल पर रखे वोल्डरों को बराज प्रमण्डल से हस्तान्तरित लेना पड़ता है। **अगर आपूर्ति लेने वाले बराज प्रमण्डल और बाढ़ संघर्ष में बोल्डर की खपत करने वाले प्रमण्डल के अभियंताओं और ठेकेदारों में मिलीभगत हो जाये तथा उस खेल का एक अहम हिस्सा मुख्य अभियंता सहित मुख्यालय को पहुँचा दिया जाय जैसा कि आमतौर पर होता है तो Boulder Dumping के नाम पर यह खेल काफी कमाऊ हो जाता है। हाँ, कभी–कभी आपूर्ति लेने वाले कनीय अभियंता और खपत के लिये हस्तान्तरण लेने वाले कनीय**

अभियंता के बीच खींच–तान हो जाती है तो यह खेल बिगड़ भी सकता है। अगर एक ही प्रमण्डल में बोल्डर की आपूर्ति ली गई और खपत भी की गई तो खेल और भी आसान हो जाता है। Vulnerable स्थलों पर भी Boulder की Short Supply ली जाती है और Flood Fighting के नाम पर Boulder dumping से उस Short Supply को adjust किया जाता है। उस Adjustment के लिये भी Boulder Crating कराने का मुख्य अभियंता/मुख्यालय से आदेश पाने के लिये तिकड़म की जाती हैं ।

- वोल्डर की आपूर्ति होने के लिये संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा सम्पर्क कार्यालय विराटनगर को इकरारनामों में अंकित वोल्डर की मात्रा के लिये संवेदकों को Royalty जमा करने का आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया जाता है। सम्पर्क पदाधिकारी विराटनगर संवेदक को Royalty जमा करने का निर्देश निर्गत करते है। सम्पर्क कार्यालय के आदेश निर्गत करने के बाद ही संवेदक खोला (खदान) से वोल्डर निकाल सकता है। इस प्रकार 30 जून तक वास्तव में कितने Boulder की आपूर्ति ली गई इसका सत्यापन खोला (खदान) से Boulder निकालने के लिये सम्बन्धित कार्यपालक अभियंता द्वारा सम्पर्क पदाधिकारी विराटनगर, नेपाल को लिखे गये अनुशंसा पत्र एवं पुनः सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा संवेदकों को Royalty जमा करने के लिये दिये गये आदेश तथा संवेदक द्वारा Royalty जमा करने की रसीद, संबंधित ट्रकों के चालान आदि से जाना जा सकता है।

अन्य सामानों की खरीद

- इस प्रकार आगामी बाढ़–अवधि के लिये अपने कार्य–क्षेत्रान्तर्गत Flood Fighting में खपत होने वाली सामग्रियों – EC Bags, Nylon Crates, एवं B.A. wire – की आवश्यकता Indent के रूप में सभी कार्यपालक अभियंता पटना स्थित मुख्यालय को भेजा करते हैं। विभाग के निर्देशक क्रय भंडार एवं परिवहन इन आवश्यकताओं के आधार पर निविदा आमंत्रित करते है तथा न्यूनतम दर उद्घृत करने वाले संवेदकों को इन सामग्रियाँ सम्बन्धित प्रमण्डलों में 30 जून तक आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है। प्रायः ही कार्यपालक अभियंता बढ़ा–चढ़ाकर आवश्यकता से अधिक ब्यौरा (indent) भेजा करते है तथा वास्तविक आपूर्ति कम लेकर बहुत ज्यादा मात्रा में आपूर्ति लिये जाने का प्रतिवेदन दिया करते है। **क्षेत्रीय मुख्य अभियंता सहित उच्चाधिकारियों की मिलीभगत होने के कारण इससे ली गई आपूर्ति का भौतिक सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डलों से नहीं कराया जाता है। इस प्रकार वास्तविक एवं प्रतिवेदित मात्रा के अन्तर को Flood Fighting कार्य में झूठा प्रतिवेदन भेजकर Adjust किया जाता हैं। उधर मुख्यालय द्वारा उन सामग्रियों की आपूर्ति की निविदा के निस्तारण में अर्थपूर्ण कारणों से विलम्ब होता रहता है जिसका असली कारण कमीशनखोरी का चक्कर होता है।** निविदा–निस्तारण में अधिक समय गँवा दिये जाने से आपूर्ति लेने के लिये वास्तविक समय अत्यल्प बचता है **जिससे Short Supply लेने की प्रवृति को बढ़ावा मिलता है। सब अपने–अपने चक्कर में मस्त रहते हैं और लोकहित गौण हो जाता है।**

3. संपोषण या मेंटीनेंस की मद में वित्तीय अनुदान

- वस्तुतः आन्तरिक आपात–काल (Internal Emergency 1975) के पूर्व से ही सम्पोषण (Maintainance) मद के पैसे के बन्दरवाँट का सिलसिला चल गया था जो आज भी वे रोक–टोक जारी है। सम्पोषण का अर्थ ही बन्दरवाट हो गया है।

- हाँ, पूर्व मंत्री श्री जगदानन्द सिंह के कार्यकाल में एक ओर सम्पोषण मद में आवंटन की ही कटौती कर दी गयी थी। नतीजा यह हुआ कि tractors के चलने के कारण या/और rain cut के कारण नहर या तटबंध के बाँधों की स्थिति बिगड़ती ही चली गयी। तटबंध के दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिये जाने के कारण या स्वयं उग गये जंगलों के कारण तटबंधों पर निरीक्षण यान चलाना कठिन हो गया। तटबंध के किनारे उगे पेड़–पौधों के कारण भी तटबंध को जीपेबुल बनाये रखने के लिये विभागीय अभियंताओं ने अपेक्षित दिलचस्पी दिखाना छोड़ दिया।

4. क्षेत्रीय कार्यपालक अभियन्ताओं के अधिकारों में कटौती

- बिहार लोक निर्माण संहिता (P.W.D. Code) की उपकंडिका 130(ख) और बिहार वित्त नियमावली के नियम–201 की आपातकालिक दशाओं बाढ़ के कारण कोई टूट–तोड़ अथवा भूकम्प, बंबडर आग और भवन के ढह पड़ने के आसन्नमय आदि अनहोनी के अप्रत्याशित क्षणों में भी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता के मुस्तैदी और चुस्ती–फुर्ती के साथ बिना निविदा और बिना स्वीकृत प्राक्कलन के कार्य को युद्ध स्तर पर कराने का पर्याप्त अधिकार दिया गया है, लेकिन कार्यपालक अभियंता के लिये आवश्यक शर्त लगा दी गई है कि उसे उच्चाधिकारी का लिखित आदेश प्राप्त हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभाग के उच्चाधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/अभियंता प्रमुख द्वारा अब तक भी मामले में लिखित आदेश नहीं दिया गया है यानि कराये गये सारे बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कोड के अनुसार अवैध हैं, इनके आधार पर किये गये सभी भुगतान भी अवैध है। कोडल प्रावधानों के अनुसार एक बार उच्चाधिकारी से लिखित आदेश प्राप्त हो जाने पर कार्यपालक अभियंता किसी भी एजेन्सी से कार्य करा सकता है। चूँकि यह कार्य युद्ध–स्तर पर होना है अतः इसमें दर एवं लागत की कोई सीमा कोड में नहीं रखी गयी है। हाँ, कार्यपालक अभियंता को उच्चाधिकारी के लिखित आदेश का हवाला देते हुए महालेखाकार को लिखित रूप में यह सूचित कर देना होगा कि बिना स्वीकृत प्राक्कलन और बिना निविदा के उसके द्वारा कराये जाने वाले इस आपातकालीन कार्य की उसके अनुसार अनुमानित लागत कितनी होगी। कराये गये इस आपातकालीन कार्य का वास्तविक खर्च के आधार पर प्राक्कलन बनाकर बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम–294 (II)(V) में **कार्यपालक अभियंता को प्रदत शक्तियों के आधार पर उसकी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिये कार्यपालक अभियंता स्वयं ही सक्षम है।** कार्य के आरंभ होने के तीन महीने के अन्दर विभाग इस व्यय का नियमितीकरण कर देने के लिये संहिता के अनुसार विभाग बाध्य है इस प्रकार कार्यपालक अभियंता को ऐसे आपातकालीन कार्यों को कराने के बाद उसके भुगतान एवं नियमितीकरण के लिये किसी भी उच्चाधिकारी की राह ताकने की जरूरत नहीं रह जाती है।

- जब इन नियमों का अनुपालन किया जाने लगे तो उच्चाधिकारी अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ मोनेटरिंग अभियंता प्रमुख, सचिवालय आदि की कमाई का स्त्रोत ही सूख जायेगा। अतएव क्षेत्रीय अभियंताओं से वसूली के लिये विभाग ने प्रत्येक पखवारे की समाप्ति के तीन दिनों के अन्दर ही कनीय अभियंताओं, सहायक अभियंता और कार्यपालक अभियंता के हस्ताक्षर से बनाये गये प्रपत्र–24 को अनिवार्य रूप से अधीक्षण

अभियंता और मुख्य अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए मुख्यालय स्थित अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं मोनेटरिंग अंचल पटना को प्राप्त कराने देने का कड़ा नियम बना रखा है। अब जरा **कुसहा कटान के मामले में** सोंचे तो 15 अगस्त, 2008 के बाद **16 अगस्त से** सभी कनीय अभियंताओं, सहायक अभियंताओं के साथ–साथ कार्यपालक अभियंता को **बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराना छोड़कर प्रपत्र 24 बनाने में ही भिड़ जाना चाहिये था।** वैसी स्थिति में क्या होता, बाँध तो 18 अगस्त की बजाय 16 अगस्त को ही कट जाता। प्रपत्र–24 में संवेदकों के नामांकण की स्वीकृति एवं स्वीकृत प्राक्कलन के बारे में भी सूचना देनी है। इतने बड़े कार्य के लिये नामांकन की स्वीकृति मुख्यालय से मिलनी है जो प्रायः हर वर्ष फरवरी–मार्च में मिलती है। सनद रहे नामांकन की स्वीकृति के बाद ही एकरारनामा किये जाते है। एकरारनामा करने के बाद ही संवेदक से काम कराया जाता है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि नामांकन की स्वीकृति और काम करने के लिये एकरारनामा घटनोत्तर किया जाता है, जिसका कोई तार्किक/कानूनी माने नहीं निकलता। इसी प्रकार 16 अगस्त को ही वास्तविकता के आधार पर कार्य का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम पदाधिकारी, मुख्य अभियंता से उसकी तकनीकी स्वीकृति भी तीन दिनों में ही कर लेनी है। यानी अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता भी कार्यस्थल का निरीक्षण छोड़ दें।

5. मानक दरों की समस्या

- सबसे कमाल की बात तो यह है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य अनुचित दर पर ही कराने की अनिवार्यता है, जबकि ऐसी युद्ध–परक स्थिति में अनसूचित दर पर कार्य कराना किसी के लिये संभव ही नहीं है लेकिन जल संसाधन विभाग में यह सब बखूबी होता है। स्पष्ट है इसमें घपलेबाजी होती ही है।

- उल्लेखनीय है कि गैर मानसून अवधि यानि सामान्य कार्यकारी मौसम में भी अनुसूचित दर से 15 प्रतिशत उच्चतर दर पर कार्य कराया जाता है।

- तत्कालीन विभागीय सचिव श्री वी. जयशंकर ने तो गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य को अनुसूचित दर से 45 प्रतिशत उच्चतर दर पर मे. नागार्जुन कंस्ट्रक्शन से कार्य कराने की योजना बना ली थी, अकस्मात विभाग से स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनका मंसूबा अधूरा ही रह गया। बाद के विभागीय सचिवों ने श्री जयशंकर की इस योजना को ललचाई नजरों से आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालात ये है कि उनलोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने के कारण इस कार्य की प्राक्कलित राशि 290 करोड़ से बढ़कर अब 600 करोड़ हो गयी है।

6. सूचना के अधिकार का क्रियान्वन न होना

यही कारण है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कुसहा में कटान के पूर्व कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, कटान के बाद कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, कटान के बाद बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो के अन्तर्गत (Pilot Channel की खुदाई कार्य आदि से सम्बन्धित सूचनाएँ मांगी जाने पर विभाग के लोक सूचना अधिकारी ने आज तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी। इतना ही नहीं, राज्य सूचना आयोग से भी शिकायत किये जाने पर राज्य सूचना आयोग ने भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिये लोक सूचना पदाधिकारी दंडित करना तो दूर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई,

क्योंकि राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों के पद पर भी अफसरशाही को ही बिठा दिया गया है। ये सूचना आयुक्त भी इस पद पर नियुक्ति के लिये अपने को सरकार का आभारी मानते हैं। अतः सरकार की मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाना उनके लिये संभव नहीं।

इसका स्पष्ट निहितार्थ है कि कुसहा कटान के लिये बचाव के नाम पर कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, कटान के बाद कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्य और कुसहा कटान को बाँधने से संबंधित सभी कार्यों में जमकर घपलेबाजी की गयी/करने की योजना है।

निष्कर्ष यह है कि विभाग या सरकार को न नियम चला रहे हैं, न चुने हुए जनप्रतिनिधि बल्कि भ्रष्टाचार चला रहा है। 'क्या इसका मतलब यह लगाया जाए कि क्या हम ऐसी स्थिति में पहुँच गये है जहाँ सुधार की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची है? क्या नौकरशाही तंत्र में बदलाव नहीं लाया जा सकता?'

हमारे द्वारा प्रस्तावित कदम

फिलहाल हम इस नाव–यात्रा के आलोक में अपना ध्यान जल संसाधन विभाग के तंत्र तक सीमित रखते हुए तात्कालिक तौर पर निम्नलिखित सुझाव देते हैं :–

तकनीकी मुद्दे

- कोशी बराज का संधारण विधिवत पारदर्शितापूर्वक किया जाए, Undersluices को चालू हालत में रखा जाए और मॉडल टेस्टिंग के निष्कर्षों के आधार पर यह तय करने की प्रक्रिया पर दृढ़तापूर्वक अमल किया जाय कि कितने डिस्चार्ज पर कौन–कौन गेट कब–कब कितना–कितना खुला रखा जाए।
- बाढ़–सुरक्षा तटबंधों/नहर बाँधों का पक्कीकरण/ईंट सोलिंग किया जाए और इन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जाए।

क्षेत्रीय कार्यपालक अभियन्ता के अधिकार

- स्मरणीय है कि बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता सन् 1939 में बनी, जब सन् 1934 के भूकम्प की याद ताजा थी, इसलिए यह व्यवहारसंगत है और इसमें इमर्जेन्सी कार्य की उपयुक्त व्यवस्था (उदाहरण स्वरूप इसकी कंडिका–130(ख)) की गई, स्वतंत्रता–प्राप्ति के बाद इसे और भी जनाभिमुखी और विकेन्द्रीकृत करना था, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसका **अतिकेन्द्रीकरण** कर दिया, नतीजा सामने है।
- शक्ति का विकेन्द्रीकरण कर क्षेत्रीय अभियंताओं को और शक्तिशाली बनाया जाए। बिहार वित्त नियमावली के नियम–201, बिहार लोक निर्माण विभाग की कंडिका–291, 294, 130(क) एंव (ख) आदि पर सख्ती से अमल किया जाए।जल संसाधन विभाग के आदेश पत्रांक–911 पत्रांक–949 दिनांक–23.05.2002, आदि, जो कोडल प्रावधानों का अतिक्रमण–उल्लंघन करते हैं, को अविलम्ब रद्द किया जाए।

- अगर उन पर भ्रष्टाचार की आशंका हो, जो अस्वाभाविक नहीं है और जैसा कि विभागीय सचिव द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार भी किया गया है, तो उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखने का काम सचिवालय करे और बाढ़–सुरक्षा कार्यों पर क्षेत्रीय पदाधिकारी एकाग्र बने रहे,

- इसलिए रिपोर्टिंग आदि का अतिरिक्त भार उन पर न डाला जाए बल्कि सचिवालय स्वयं ऐसी स्थितियों में कार्यस्थल पर मौजूद रहे जिसका कि पूर्व का उदाहरण भी है।

- क्षेत्रीय अभियंताओं को क्षेत्र से बाहर मुख्य अभियंता, जिलाधिकारी और पटना मुख्यालय में होने वाली बैठकों में भाग लेने के आशय से क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश न किया जाए।

- बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में जुटे अभियंताओं को मोबाइल सेवा सहित सभी बुनियादी सेवाएँ, जैसे–निरीक्षण वाहन, मोबाइल, जेनरेटर आदि से लैश किया जाए, निजी वाहन वाले अभियंताओं (कनीय अभियंताओं सहित) पेट्रोल, मरम्मत आदि का व्यय भी सरकार वहन करे।

- बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के दौरान क्षेत्र में पदस्थापित अभियंताओं/कार्यरत मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।

पादर्शिता व जवाब देही

- आम तौर पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और खासकर इसकी धारा 4(1)(ख) राज्य में लागू रहने के बावजूद विभाग में प्रासंगिक अभिलेख वास्तव में गोपनीयता के पर्दे में छिपे रहते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और छिपाने के काम करते हैं। जरूरत है कि विभाग के हर अभिलेख को पारदर्शी बनाया जाए और उन तक सामान्य जिज्ञासु नागरिकों की सुगम और अबाध पहुँच सुनिश्चित की जाए।

- जब भी बाँधों और सिंचाई स्ट्रक्चर्स की महत्त्वपूर्ण टूटान हो, इसकी खुली जाँच हो, जिसमें असम्बद्ध (जरूरत एवं संभव हो तो विभागेतर) तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा की जाए और यह जाँच सम्पूर्ण रूप से भुक्तभोगी सामान्य नागरिकों की उपस्थिति में हो।

- इसी तरह टूटान की मरम्मत और उसकी देख–रेख भी कुसहा टूटान की तरह जिसमें धन–जन की भारी क्षति हुई हो उसमें कनीय अभियंता से लेकर अभियंता–प्रमुख तक और विभागीय सचिव एवं मंत्री का पूर्ववत् बना रहना और पूर्व में जो कभी उस क्षेत्र में पदस्थापित रह चुके हों, उनका इस मरम्मती से जुड़ जाना शंका पैदा करता है इसलिए यह प्रक्रिया हर्गिज नहीं दुहराई जाए।

- जल संसाधन विभाग के दण्डित/निलम्बित/आरोपित पदाधिकारियों (कनीय अभियंता से लेकर विभागीय सचिव तक) पर लगाये गये आरोप, उन्हें दिये गये दण्ड या विमुक्ति आदेश सार्वजनिक किये जाएं, जिससे उन्हें रास्ते पर लाने के लिए की गई पक्षपातपूर्ण कार्रवाईयों की बारीक जानकारियाँ सामान्य नागरिकों को मिल सके।

- नाजुक और संवेदनशील अभियंत्रण पदों के पदधारकों एवं उनके कार्यालयों की गतिविधियों को प्रभावित आमजनों के लिए पारदर्शी बनाये जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों में खुलापन लाया जाए और पारदर्शिता पूर्वक इनका मूल्यांकन किया जाए जिसमें भुक्तभोगी नागरिकों को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

- (Specified) कार्य विशेष के लिए विशेषज्ञता–आधारित कार्यों के लिए अपवादिक तौर सेवानिवृत मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख आदि की नियुक्ति सरकारी खर्चे पर की जाए और बाकी रूटीन कार्य के लिए उनकी नियुक्ति न कर विभागीय अभियंताओं से ही ये कार्य करवाये जाए।

- विभागेतर **सेवामुक्त अभियंताओं की नियुक्ति पारदर्शितापूर्वक की जाए।**

- विभागीय पदाधिकारियों/अभियंताओं को 'चालू प्रभार की प्रोन्नति' (अपने वर्तमान पद का वेतन पाते हुए यानि उसी वेतनमान में रहते हुए उच्चतर पद का दायित्व निभाना) देने पर तत्क्षण रोक लगाकर उन्हें नियमित प्रोन्नति (प्रोन्नत पद वेतनमान के साथ) दी गई स्थानीय प्रोन्नति दी जाए जिससे वे पदावनत होने का डर त्याग कर कार्यनैतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप ठुकराकर जनहितकारी निर्भीक निर्णय लेने का साहस दिखा सकें।

- अभियंताओं का A.D. List (Actual Distribution List) जारी करने को समाप्त की गई परंपरा फिर से शुरू की जाए और बिना अपवाद पर हर साल A.D. List जारी किया जाए!

- अभियंताओं को बारी–बारी से कार्य–अकार्य के अलावा सचिवालय में भी निरअपवाद रूप से पदस्थापित करने पर विचार किया जाए तथा जब भी उनका स्थानांतरण हो, यह उनके मुख्यालय से अनिवार्य रूप से बाहर हो तथा निर्धारित समय–सीमा से अधिक अपने मुख्यालय में न रह पायें इसका ख्याल रखा जाए।

तबाही की गवाही

(11 अक्टूबर से 21 अक्टूबरए 2009, कुसहा से कुर्शेला तक नाव यात्रा)

<u>यात्री दल</u>

श्री महेन्द्र प्रसाद : अवकाश प्राप्त मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, श्री वीरेन्द्र कुमार सिंहः अवकाश प्राप्त अधीक्षक अधीक्षक अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, विनय शर्माः अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, गोरेला मनीषीः अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, विहार सरकार, श्री जे.के. पंड़ितः अवकाश प्राप्त कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, श्री सत्यनारायण प्रसादः मंत्री, निमर्ली प्रखंड स्वराज सभा, राधोपुर, सुपौल, विश्वनाथ मिश्रः महिला आश्रम, मधुबनी, दुलार बाबू ठाकुरः शोधकर्ता, महात्मा गांधी अर्न्तराष्ट्रीय, हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, श्री जयः प्रेक्सिस, पटना, श्री सृजन : प्रक्सिस, दिल्ली विनायक : प्रक्सिस, दिल्ली, श्री लालेश्वर प्रसाद सिंहः मिथिला ग्राम विकास परिषद, मधुबनी, श्री मनोज कुमारः कोशी समाज, मधुबनी, श्री उमा शंकरः कोशी समाज , अनिया, मो, साबिरः कोशी समाज, दरभंगा, मो. इदरीस : दरभंगा, श्री अर्जुन मंडल : प्रमुख समाजवादी नेता, बलुआ बाजार, सुपौल, श्री आनन्द मंडल : मंडल कमीशन के अध्यक्ष, वी.पी मंडल के पोता मधेपुरा, डॉ. विजय कुमार : पूर्व विभागाध्यक्ष गांधी विचार विभाग, भागलपुर, विश्वविद्यालय, भागलपुर

<u>समन्वयक कार्यालयः–</u>

(1)– प्रैक्सिस, पहली मंजिल, मॉ शारदे कम्पलेक्स, पूर्वी बोरिंग कनेाल रोड, पटना– 8000011 दूरभाष–0612–2521983
(2)– डॉ. कामेश्वर गुप्ता, प्रोफेशनल्स अध्यक्ष, 411, आशियाना टावर, एक्जीवनिशन रोड, पटना–800001, बिहार। फोन+फैक्स :– 0612–2206355

<u>समन्वय सम्पर्क</u>– श्री रणजीव (09470871245), डॉ. विजय कुमार (09431875214),
डॉ. कामेश्वर गुप्ता (09955774027), श्री अमरनाथ ठाकुर (09431493682), श्री आनन्द मंडल (09431023086), श्री अनिन्दो बनर्जी(09431815473), अनिल पासवान (कुरसेला)

तबाही की गवाही यात्री दल एवं बाढ़ पीड़ितों का अनुभव

यात्री दल में शामिल सेवानिवृत 5 अभियंताओं जिन्होंने कोशी परियोजना में अपनी सेवाएं दी, उन्होंने बताया कि हमने 3 से 4 लाख क्युसेक पानी का बहाव देखा है एपलक्स बांध 9 लाख क्युसेक पानी धारण करने की क्षमता रखता है जिसके कारण इसकी देखभाल और मरम्मत पर काफी ध्यान दिया जाता है, और महज 1 लाख क्युसेक पानी से यह बांध टूट जाय यह सिर्फ लापरवाही का परिणाम है और इतिहास में खासकर चीन के हवांग–हो नदी अफ्लक्स बांध के टूटने के बाद यह दूसरी घटना है। इसे कोशी का प्रलय या कहर कहकर नहीं टाला जा सकता है। गनीमत है कि कोशी में पानी कम था और गंगा का पेट खाली था। कुरसेला में गाद होता तो शायद तबाही कम होती। अभियंताओं के दल ने यह बताया की बिहार सरकार के निर्दिष्ट फ्लड फाइटिंग का कार्य हर साल 30 अप्रैल तक किया जाना तय होता है और इसके बाद आपदा से निपटने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे बोडर, क्रेट आदी का प्रबंध पहले से होता है ताकि पुनः स्थति की गंभीरता को देखते हुए पहले से एकत्रित आवश्यक सामग्री के द्वारा प्रबंधन कार्य किया जा सके। 18 अगस्त को तटबंध टूटने के कारणों को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से फ्लड फाइटिंग का कार्य किया गया और इसके लिए पहले से किस तरह का प्रबंधन कार्य किया गया था। कोई भी बांध अचानक से नहीं टूट जाता है वरन् कई दिनों पहले से मिट्टी का कटाव आरंभ हेाता है जिसे निरंतर मोनिट्रिंग से पहचाना जा सकता है और तुरंत कार्यवाही की जाती है। कुसाहा टूटने से पहले निश्चित रूप से कटाव शुरू हो गया होगा और इसकी जानकारी वहां पर लगे अभियंताओं को होगी। यदि स्थानीय लोगों की माने तो बांध का कटाव एक माह पहले से ही आरंभ हो गया था। तबाही की गवाही यात्रा के दौरान यह पाया गया कि कोशी बांध टूटने के बाद नदी की स्वतंत्र धारा का निर्माण नहीं हो पाया है इस कारण आज 85 दिन बाद भी नदी की धारा 20 से 30 किलोमीटर की चढ़ाई में फैली है। बलुआ से चैनपुर के बीच कहीं–कहीं धारा कृषि की जमीन को 10–15 फीट गहरा करते हुए बह रही थी। ऐसा ही मंजर कई अन्य स्थानों में देखा गया जैसे कुमारखंड प्रखंड में पानी एवं बालु का फैलाव काफी था। 2007 वाली पुरानी धारा में वीरपुर बैराज तक और आगे कोपरिया तक 22 से 28 फीट सिलट भरा है। **अगली रबी की संभावना नगण्य, खेतों में बालू गिरने, गडÔा हो जाने की समस्या व्यापक स्तर पर देखी गयी।**

फसलों का काफी नुकसान

खेतों में अभी धान की फसल अपनी जवानी की ओर कदम बढ़ा ही रही थी कि बाढ़ के पानी ने इसे डूबो दिया। इसी तरह से जूट की फसल कटने को तैयार थी कि पानी ने अपने में समा लिया। कोशी का किसान कुछ समझ पाता इसी बीच सारा कुछ पलट गया। एकाएक सबकुछ खत्म हो जाएगा इसकी कल्पना भी किसी कोशीवासी ने नहीं की थी और देखते कोशी की जनता बर्बाद हो गयी। जल प्रलय से भयभीत है अगस्त 18, 2008 को पानी आया, अफरातफरी मची और देखते ही देखते कुसाहा के समीप बसा दुधगंज गांव ने नदी की शक्ल अख्तियार कर ली लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकले। परन्तु पशुधन को संभाल न सके और न ही घर में रखे अन्न, धन आदि को।

पशुधन की बर्बादी

गांव में पशुधन तो संजीवनी बूटी के समान है जो लोगों को जीवन प्रदान करता है इस पशुधन के सहारे लोग जीवन गुजारते हैं जिसकी काफी क्षति हुई है। लगभग 70 प्रतिशत पशु पानी की भेंट चढ़ चुके हैं, 30 प्रतिशत पशु बचे हैं वह चारे के अभाव में प्रतिदिन औने–पौने दामों में बेचे जा रहे हैं। लोगों ने यह बताया कि जब बाढ़ का पानी प्रवेश किया तो लोगों ने नाव से पार होने के लिए पैसे पास में न होने पर पशुओं को नाविक के हवाले कर दिया। पशु देने पर नाविक उन्हें नाव से पार कराता था। बिमारी की चपेट में आकर पशुओं की मरने की घटना भी काफी हुई और कुछ तो भूखे मरने को अभिशप्त है इनके पालनहार स्वयं जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं तो पशुओं का क्या होगा? फिर भी ये जीवट पशुपालक अपना धर्म नहीं त्याग रहे हैं और स्वयं की तरह इन पशुओं को भी जिंदा रखे हुए हैं।

दलित बस्तियों में सन्नाटा

तबाही की गवाहा यात्री दल जिन–जिन स्थानों से गुजरा उन स्थानों में बहुत से ऐसे टोले थे जहां कि पूरे टोले के लोग उस जगह को छोड़ चुके थे। उन टोलों के चारों और धार बह रही थी। बिना नाव के उन टोलों तक पहुचना मुश्किल था क्योंकि नदी की धार कहीं–कहीं 10 फीट से भी ज्यादा गहरे में बह रही थी। आस–पास के अन्य टोलों में रहने वाले लोगों से मिलकर यह जानने की कोशिश की गयी कि ये सभी लोग कहां गये। उन्होंने बताया कि ये सभी मुसहर के टोले हैं। बाढ़ के कहर की बात सुनते ही ये सारे लोग अपने घरों को छोड़ कर पलायन कर चुके हैं। चूकि इनका घर इलाके के निचले हिस्से में पड़ता है इसलिए पानी का बहाव उन टोलों की तरफ ज्यादा है। दलित बस्तियों में जब घूम–घूम कर देखा तो यह पाया कि कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें बिना मरम्मत किये हुए पुनः रहा जा सकता है। अधिकांश घर तो धारा के बहाव के कारण पूरी तरह से गिर गये थे। कई ऐसे भी टोले देखे गये तो तेज धार के कारण पूरे के पूरे कटने के कगार पर थे।

स्थानिय स्वशासन एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका

जिन पंचायतों से होकर तबाही की गवाही यात्रा गुजरी उन सभी पंचायतों के मुखियाओं से बातचीत के क्रम से मुख्य रूप से उनकी बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 लिस्ट को तैयार करना था। और यह भूमिका बाढ़ के काफी समय बाद की भूमिका देखी गयी। शुरूआती दौर में जैसे बचाव कार्य में, राहत कार्य के प्रबंधन में आदि उनकी नगन्य भूमिका देखी गयी। जब निर्वाचित प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने यह बताया कि राहत कार्य के प्रबंधन का कार्य सरकारी अधिकारियों ही कर रहे हैं। छातापुर के उप–मुखिया ने पूरी व्यवस्था से संबंधित यह बताया कि चुने गये

प्रतिनिधियों की भूमिका ली गयी होती तो अधिक से अधिक लोगों तक बचाव व राहत पहुंच पाते थे न ही लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा पाते थे। उन्होंने स्वयं के पंचायत का उदाहरण देते हुए बताया कि तबाही की गवाही यात्री दल को छातापुर के उप–मुखिया से बातचीत से यह पता चला कि उनके पंचायत तथा आसपास के पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद भी 15 दिनों तक यहां कोई बचाव दल नहीं पहुचा। सभी लोग 4 से 5 फीट पानी में 15 दिनों तक रहे। पानी की धारा इतनी तेज थी कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस जगह को छोड़कर कहीं सुरक्षित जगह पर जायें। 15 दिनों के बाद जब एक नाव आया तो उप–मुखिया उस नाव के सहारे बाहर निकल कर कुछ नाव की व्यवस्था कर लोगों तक नाव की सुविधा पहुंचाए। इन 15 दिनों तक सभी गांव की स्कूल के छत पर रहे और उप–मुखिया के तरफ से सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था की गयी जिसके सहारे लोगों ने 15 दिनों तक अपना समय काट लिया।

कुमारखंड प्रखंड के लोगों ने बताया कि नाव की उपलब्ध कराने में भी पक्षपात किया गया। इस प्रखंड के रामनगर गांव जहां 70 यादव, 45 मुसहर और कुछ मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं। इनका कहना था कि बगल की पंचायत जैसे विशुनपुर में 10 से भी ज्यादा नाव उपलब्ध कराया गया परंतु उनके गांव में 2 माह से अधिक बीत जाने के बाद एक भी नाव अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। कारण यह है कि उन पंचायत के लोग काफी दबंग है और सभी नाव उनके कब्जे में है। इस तरह की समस्या गरही एवं चुन्नी पंचायत के लोगों ने भी बतायी। उनके पास वाले पंचायत झखरगंज व घीवा पंचायतों में नाव उपलब्ध करायी गई। परन्तु उनके पंचायतों में सिर्फ एक नाव है वह भी बाहुबलियों के कब्जे में है। पीड़ितों का एक थौचाई हिस्सा नातेदारों–रिश्तेदारों के यहां शरण लिए हुए थे।

आधारभूत व्यवस्थाओं का अभाव

नाव की कमी एवं नाव डूबने से लोगों के मरने की घटना

दो माह बीत जाने के बाद भी लोगों के लिए राहत सामग्री लाने हेतु नाव की व्यवस्था कई जगहों पर नहीं हो पायी जिसके कारण ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या खड़ी रही थी। पहले तो बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए कोई नाव उपलब्ध नहीं हो पायी। और फिर जब राहत सामग्री लाने की बात आयी तो लोगों का सैलाब उमड पड़ता था। राहत सामग्री का विवरण काफी दूर, कम से कम

5 किमी की दूरी पर होता था। इन सामग्रियों को लाने में किसी की व्यक्तिगत नाव का सहारा लेना पड़ता था। नाव की संख्या में कमी के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग नाव पर सवार हो जाते थे जिससे नाव डूबने की काफी घटनाएं हुई और लोगों की जाने भी गयीं। लोगों ने बताया कि ठीक एक दिन पहले भीमपुर पंचायत के रानीपट्टी नें नाव डूबने से करीब 28 लोग डूब गये। राहत सामग्री लेने के लिए अधिक संख्या में सवार होने के कारण डूबने से लोगों के डूब कर मरने की घटना काफी बढ़ गयी थी।

अध्ययन–अध्यापन, स्वास्थ्य सेवा लगभग ठप्प

उन पंचायतों में शिक्षा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी देखी गई। और जिन गांवों या पंचायतों से होकर धारा गुजर रही थी उन पंचायत में रहने वाले बच्चे शिक्षा से वंचित थे और न ही स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कोई पहुंचा ही। वहां किसी प्रकार की वैकल्पिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो पायी थी। थुड्डी पंचायत के चैनपुर गांव के बच्चों का कहना है ि कवे लोग पिछले दो माह से शिक्षा से वंचित हैं। यहां पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोई शिक्षक ही पढ़ाने आता है। बच्चों और अभिभावकों को यह चिंता थी कि न जाने कब पानी का बहाव रुकेगा और धवस्थ हुए स्कूल भवनों का जिर्नोधार होगा और बच्चों की पढ़ाई आरंभ होगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका

कुसहा टूट जाने के दो माह के बाद लोगों को सार्वजनिक वितरण की दुकानों से राशन मिलना बंद हो गया। गरीबों की सहायता हेतु आपदा में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहत की पूरी व्यवस्था केवल प्रखंड या सरकारी स्कूलों से ही संचालित हो रही थी। साधन संपन्न लोग राहत सामग्री समय पर ले आते थे पर जो लोग नाव का किराया देने में असफल होते थे उन्हे या तो काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ता था और जब लोग राहत सामग्री लेने नहीं पहुंचते तो वे लोग उस सामग्री को बेच देते थे।

नाव की उपलब्धता नहीं कराये जाने पर बाढ़ प्रभावितों ने अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था की। दो–तीन बड़े–बड़े ड्राम को जोड़कर उसपर चचरी लगाकर आने–जाने की व्यवस्था की। कई मौकों पर तो लोगों ने पीपाया केले के थम्ब पर बैठकर नाव की तरह इस्तेमाल किया और अपने लिए आसपास के क्षेत्रों से आने जाने के लिए उन सभी व्यवस्थाओं का सहारा लिया।

राहत शिविर दूर–दराज में स्थापित होने के कारण लोगों को आने–जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। राहत सामग्री लाने के लिए जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत नाव दी वे भी किराया अधिक मांगते थे। लोगों ने बताया कि प्रति परिवार के हिसाब से 100 रू0 से लेकर 250 रू0 तक देने पड़ते थे। इतना ही नहीं राहत सामग्री के वितरण की तारीख की सही सूचना नहीं होने पर बाढ़ प्रभावित लोगों को एक सप्ताह तक राहत सामग्री वितरण केन्द्र पर रूकना पडता था। कुमारखंड के रामनगर गांव के लोगों ने बताया कि उन्हें राहत सामग्री और 2250 रू. लेने के लिए 15 दिनों तक वितरण केन्द्र पर रहना पड़ा। सरकारी नाविक 50 से 150 रूप्ये तक वसूलते हैं। तीन–तीन बार लोगों को जाना पड़ता है।

2250 रूपये एवं एक क्विंटल अनाज वितरण में भी हेराफेरी, तौल की कमी की शिकायत एवं वितरण में देरी

यात्रा के दौरान हर जगह लोग इस बात की शिकायत करते थे कि आनाज के वितरण में गड़बड़ी है। सरकार के द्वारा दिया जा रहा 1 क्विंटल आनाज का वनज 1 क्विंटल से कम है। थुडडी पंचायत के चैनपुर गांव के लोगों ने जब अनाज को लेकर दूसरे स्थान में वनज कराया तो उन्होंने पाया कि अनाज का वनज 70 किलों के आसपास था। किसी–किसी बोरे में यह 90 किलों अनाज ही था। कई ऐसे इकाके थे जहां लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी जहां सरकारी या गैर सरकारी कोई भी यंत्र पहुंचने में विफल रही है।

मध्याã भोजन योजना पूरी तरह से बंद

स्कूलों में मध्याहन भोजन का वितरण दो माह से बाद भी पूरी तरह ठप्प पड़ था। यात्रा के दौरान लोगों ने बताया कि मध्याहन भोजन का सारा चावल और सामग्री बाढ़ राहत के लिए दे दी गई है। स्कूलों में बच्चों को खिलाने की सामग्री देना अभी बंद कर दिया गया है। चूकि बाढ़ के समय महिलाओं और बृद्धों के अलावा बच्चों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। ऐसे समय में मध्याहन भोजन काफी मद्दगार साबित होती है। इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिशिचित करने की दिशा में कोई पहल नहीं देखी गयी।

चोरी–डकैती धड़ल्ले से, प्रशासन बौना

बाढ़ का पानी घरों में घुसते ही सरकार द्वारा लोगों को जान बचाकर ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की गई। इसके अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं थ। कुछ लोग जान की बाजी

लगाकर अपने घरों में डटे रहे, जिस कारण कुछ हद तक उनका समान बच सका। लेकिन घर छोड़कर जाने वाले लोगों के घर में कुछ भी नहीं बचा। टूटा ताला, खुला संदूक, पेटी आदि को देखकर किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर सकता है। प्रशासन पूरी तरह से बेचारा साबित हुआ और लोग लुटते रहे। सेना के जवानों ने लोगों की काफी मदद की। परन्तु काफी जगहों पर जमकर लाठियां भी बरसाई। हालांकी सहरूआ पंचायत झारखं डमें जब सेना का एक जवान लोगों को मारते–पीटते अकेले आगे बढ़ गया तो लोगों ने घेर कर उसकी जमकर पिटाई कर दी।

नहर और यातायात व्यवस्था छिन्न–भिन्न

सड़क काफी टूटी है। रेल की पटरियां भी कई जगहों पर टूट चुकी है जिससे रेल यातायात भी काफी प्रभावित हुआ। नहर नदी का रुप ले चुका है तथा तरीके से छिन्न–भिन्न हो चुका है। जिससे सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है।

ग्रामीणों के द्वारा की गई अस्थाई व्यवस्था

बाढ़ का पानी जैसे ही लोगों के घरों में प्रवेशकरना प्रारम्भ किया तो उसके पास सरकार का कोई भी अंग नहीं पहुंचा था और न ही कोई गैर सरकारी संगठन ही पहुंचा थां परन्तु बिहारी समाज ने एक बार फिर अपने बिहारीपन को दिखाया और एक दूसरे का जमकर तथा दिल खोलकर सहयोग किया समाज के लोगों ने बांस को काटकर टूटी हुई सड़क पर बड़ी–बड़ी चचरी बनाकर पुल बना डाला और अपना काम चलाया।

घोषणा पत्र

कोशी वासी

6 अक्टुबर 2009

सेवा में,

श्रीमान् नीतिश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार सरकार
न्यू सचिवालय, पटना ।
बिहार ।

विषय : कोषी वासियों के साथ कोषी परियोजना के कारण हुए अन्याय की गाथा तथा उसके समाधन की दिशा ;अति संक्षेप मेंद्ध

(d)

श्रीमान्

कोषी परियोजना 1960 के दशक में बनकर पूरी हो गई। सरकारी तंत्रा ;राजनेता, हाइड्रोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसीद्ध की दृष्टि में यह एक महती कार्य था और इससे कोषी वासियों को बाढ़ से सुरक्षा तथा आधुनिक विकास के अवसर प्राप्त हुए। लेकिन जमीन पर रह रहे कोषी वासियों की जीवनगाथा इससे विपरीत है। हम आपके समक्ष, कोषी परियेाजना के कारण, कोषी वासियों के साथ हुए अन्याय, उत्पीड़न तथा उनके मानव अधिकारों के हनन की गाथा को अति संक्षेप में, आपके चिंतन व विचार के लिए प्रस्तुत करना चाहतें हैं।

(क) कोशी परियेाजना के कारण बीरपुर से बिहपुर तक सुपौल, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, समस्तीपुर, मधेपुरा, भागलपुर, पुर्णिया, अररिया और कटिहार –11– जिलों में रहने वाली आबादी के अनेक ग्राम पंचायत व प्रखंड बालू जमाव, भूमिकटान तथा जल जमाव के शिकार हुए हैं। हमारे अनुमान के अनुसार लगभग 50 लाख आबादी पर इस परियोजना के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा हैं। उनकी जीविका के साध्न और अन्य चल – अचल संपति क्षीण हुई हैं या नष्ट हो गईं हैं। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाध्नों से भरपूर और उच्च सांस्कृतिक विरासत वाला यह इलाका आज देश का सबसे शोषित, उत्पीड़ित व गरीब इलाका हो गया हैं। बिहार में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इसी इलाके से हो रहा हैं। जिससे इस क्षेत्रा के पारिवारिक व सामाजिक जीवन पर दूरगामी दुष्परिणाम हो रहे हैं

(ख) पूर्वी एवं पश्चिमी तटबंध के भीतर पड़ने वाले 14 प्रखंडो के 380 गांव के निवासियों के साथ कोशी परियोजना के द्वारा ऐसा अन्याय हुआ है जिसकी शायद इतिहास में कोई दूसरी

मिसाल न हो। तटबंध बनाने के समय ही सरकार द्वारा यह माना गया था कि ये लोग बलि का बकरा बनाये जा रहे हैं। उस समय इनके साथ जो वायदे राजनेताओं एवं सरकारी तंत्रा ने किये उन वायदे को पांच दशको के बाद भी पूरा नहीं किया गया। दोनो तटबंधे के बीच की आबादी न्यूनतम प्रशासनिक व्यवस्था तथा मूलभूत सुविधओं से भी बंचित हैं। गांव में बसे भूमिहीन एवं छोटे–छोटे कारोबारी, जीविका से पूर्णतया वंचित हो गये हैं। गांव की जमीन में 11 से 21 पफीट बालू भर गया है भूमि कटान व अन्य कारणों से उनको बार–बार विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ता हैं। सरकारी विकास योजनाओं में उनको पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया है। और उनके अस्तित्व को लगभग नकार दिया गया है।

(ग) बिजली उत्पादन तथा नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था संबंधे कोसी परियोजना के लक्ष्य पूर्णतया विपफल हूए हैं। यह बात निर्विवाद तथा सर्व मान्य है। कोशी परियोजना का मूख्य उद्देश्य था कोशी वासियों को कोशी नदी की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना । पिछले पांच दशको से सरकारी तंत्रा द्वारा यह दावा किया गया है, कि तटबंधे के द्वारा कोशी क्षेत्रा बाढ़ से सुरक्षित हो गया । यह दावा पूरी तरह खोखला व झूठा हैं। पिछले पांच दशको में अनेक बार ये तटबंध जगह जगह पर टूटते रहे है। हर वर्ष बरसात के समय पूरे क्षेत्रा में तटबंधे के टूटने की तलवार कोशी वासियो पर लटकती रहती हैं। तटबंध किसी भी स्थान से टूट कर बहुत बहुत बड़े क्षेत्रा में जल प्रलय का कारण बन सकता हैं। उनके रखरखाव में करोड़ों रूपये का राजस्व खर्च होता हैं। उसके बावजूद तटबंध के बाहर की आबादी लगातार अनिश्चितता और भय का शिकार रहती हैं। कभी भी तटबंध टुटने से उनकी जीवन लीला समाप्त हो सकती हैं और चल अचल संपति नष्ट हो सकती हैं। सन् 1984 में नवहट्टा में पूर्वी तटबंध टूटा । इससे अपार एवं अभूतपूर्व जानमाल की क्षति हुई । सरकारी तंत्रा को इस टूट से अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए था । इससे एक नये सामाधन की ओर पहल शुरू होनी चाहिए थी । दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। 24 वर्ष बाद कुसहा में पूर्वी तटबंध टुट गया । इससे हुई बर्वादी का स्तर और भी बढ़ा हैं । अब कोशी वासियों की निगाह में सुरक्षा का मिथक पूरी तरह टूट चुका हैं । कोशी परियोजना पीड़ितों की निगाह में तटबंध उनके लिए वरदान नहीं अभिशाप है। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी आंकलनों में यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभरकर आया है कि कोशी परियोजना के कारण क्षेत्रा की जनता पर अप्रत्याशित दूष्प्रभाव पड़े हैं। परियोजना अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विपफल रही है। इससे स्पष्ट है कि कोशी क्षेत्रा में तटबंध बाढ़ व उससे जुड़ी हुई

समस्याओं का उपयुक्त और स्थाई हल नहीं हैं। ;संदर्भ – राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1980 की रिपोर्ट में दिनेश कुमार मिश्र द्वारा किये गये विभिन्न प्रकाशित अध्ययन द्ध

(घ) विचारणीय है कि जो परियोजना सरकारी तंत्रा द्वारा अथक प्रयासों और विशाल वित्तीय तकनीकि एवं मानवीय संसाध्नों द्वारा बनाई गई व चलाई जा रही हैं , वह कोषी वासियों के जीवन में अभिशाप क्यों और कैसे बन गई ? इस जिज्ञासा की तात्विक विवेचना अनेक पहलूओं से की जा सकती हैं। यह विषय विस्तार का है। लेकिन सभी पहलुओं से तात्विक मींमासाओं का एक ही मूल निष्कर्ष निकलता हैं । कोषी परियेाजना के रूप में बाढ़ नियंत्राण का जो तकनीकि हल तटबंधें के रूप में सरकारी तंत्रा ;हाइड्रोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, राजनेताओंद्ध द्वारा थोपा गया, उसके बारे में कोषी वासियों से कभी राय नहीं ली गई और न आज भी ली जा रही हैं। सरकारी तंत्रा के मन और कार्य प(ति में लोक पक्ष के अनुभव एवं ज्ञान का कोई स्थान नहीं हैं और उसके प्रति पूर्ण हेय दृष्टि है।

(ड़) पिछले पांच दशको में जब भी इस परियोजना के संबंध् में कोशी वासियों द्वारा विरोध् का पक्ष खड़ा किया गया, सरकारी तंत्रा ने उसको या तो क्रूरता से कुचल दिया या राजनैतिक व अन्य प्रलोभन देकर अपने साथ मिला लिया ।

(च) पिछले 2–3 दशको में सरकारी तंत्रा ने मजबूरन अपनी गलतियों पर पर्दा डालने हेतू बाढ़ नियंत्राण एवं जल प्रबंध्न के सभी पहलूओं पर जन भागीदारी का राग कागजों पर अलापना शुरू किया है। लेकिन सरकारी तंत्रा की इसके प्रति सत्य निष्ठा नहीं हैं । न ही सरकारी तंत्रा के पास जन भागीदारी को प्राप्त करने के लिए क्षमता और व्यवहार कुशलता है। निरंकुशता की पूर्ववत धरा में सरकारी तंत्रा निर्बाध् चल रहा है, और कोशी वासी इसपर लगाम लगाने में असमर्थ है। **आपका सरकारी तंत्रा पुरानी गलतियेां का समाधन नई गलतियों के द्वारा करना चाहता है।** तटबंधे को और उंचा करना, तटबंधें का सुदृढ़िकरण करना, तटबंधे पर बसे हुए विस्थापित और बेसहारा भूमिहीन परिवारो को ओर जबर्दस्ती करके हटाना, तटबंधें के अंदर नए तटबंध, सड़क व रेलवे पुल बनाना और बराह क्षेत्रा मे बाढ़ बनाने का दावा करना, इन नई गलतियों के कुछ उदाहरण हैं। इसके लिए सरकारी तंत्रा अपने विशाल वित्तिय संसाध्न का दुरुपयोग करने में कोई संकोच नहीं कर रहा है । इसके गंभीर मानवीय व पर्यावरणीय दुष्परिणाम सामने आये हैं और भविष्य मे आयेंगें । इसके प्रति हम सब को सजग व सावधन होने की आवश्यकता हैं।

;खद्ध

अपनी 5 दशकों की दारूण व्यथा और गाथा को हमने यथासंभव संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास किया है। हमें इसका पूरा अहसास है कि मात्रा आपकी सरकार इस अभिशाष के लिए दोषी नहीं हैं। बिहार का सरकारी तंत्रा भी आजाद भारत के सरकारी तंत्रा का हिस्सा है और पिछले 6 दशकों से अपनी निरंतरता में अबाध चल रहा है। इसके बावजूद कोशी वासी आपके शासन से अपेक्षा रखते है, कि आप सरकारी तंत्रा ;हाइड्रोक्रेसी व ब्युरोक्रेसीद्ध पर लगाम लगाने और इसको एक नई दिशा देने की पहल करनी की सत्य निष्ठा और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करेंगें। इसी अपेक्षा और आशा में अपनी दारून गाथा आपके सामने रखी है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि :–

(क) शीध्र कदम

1. <u>तटबंध के अंदर बसे गांवों के लिए</u>

i कोषी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध के बीच पफंसे 380 गांवो के निवासियों के साथ हुए अन्याय को आपकी सरकार सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने की घोषणा करे । पिछले 5 दशकों की सभी जान माल की हानि की क्षतिपूर्ती और मुआवजे की भरपाई निश्चित समय में की जाय। ;ध्यान रहे कि 1956 में भारत सरकार ने नेपाल में जिन लोगों की तटबंध के बीच भूमि का अध्ग्रिहण किया था उनको 1 लाख रूपया एकड़ की दर से मुआवजा उसी समय दे दिया था लेकिन अपने ही देश के लोगों से सौतेला व्यवहार करते हुए उनको इसका कोई मुआवजा नहीं दियाद्ध

ii दोनो तटबंधे के बीच के गांवो में देश के प्रचलित मानव मार्गदर्शिका के मुताविक स्वास्थ्य केंद्र, पशु स्वास्थ्य केंद्र, नरेगा, स्कूल, सड़क इत्यादि की व्यवस्था की जाय। पलायन, देह–व्यापार बालश्रम तथा महाजनी कारोबार पर अंकुश लगे । इस क्षेत्रा के लिए जनभागीदारी के साथ विकास की एक मास्टर प्लान बनाकर द्रुत गति से उनका क्रियान्वयन किया जाय। इन कार्यो के लिए एक अलग बजट की व्यवस्था हो और इसके क्रियान्वयन के लिए एक विशेष प्रशासनिक इकाई की स्थापना हो।

iii दोनों तटबंधें के सभी घाटों की बंदोबस्ती समाप्त कर जनता की नाव या सरकारी नाव चलवाने की व्यवस्था की जाए।

iv 1902 में हुए केडस्ट्रल सर्वे के बाद 1968 में जो सर्वे तटबंध के बीच के गावों में किया गया उसमें बहुत अनियमितताऐं हुई। नक्शा और खतियान बनाने के लिए, पुराने 1902 के सर्वे

को आधर मानकर, नया सर्वे करवाया जाऐ अन्यथा इस क्षेत्रा में भूमि संघर्ष को कोई नहीं रोक सकता।

2. **<u>पूरे काशी क्षेत्रा के लिए</u>**

i कोषी परियोजना पीड़ित गांवो में जीविका विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। बालू जमाव व जल जमाव क्षेत्राो में वैकल्पिक कृषि के विकास का समुचित प्रयास किया जाय। गांव गांव में खादी ग्रामोद्योग, खेती, पशुपालन, मत्सय पालन, खेती आधरित उद्योगों द्वारा रोजगार सृजन किया जाय। क्षेत्रा की जल संसाध्न और वनस्पति की संपदा का आधुनिक संदर्भो में समुचित उपयोग करने की व्यवस्था की जाय। पफसल बीमा, जीवन बीमा की कवरेज समस्त आबादी हेतू किया जाय।

ii तटबंध् के टूटने से होने वाली जानमाल की हानि से कोशी वासियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार की है। बाढ़ की पूर्व चेतावनी, बाढ़ के समय सुरक्षा के उपाय, तटबंधें की निगरानी की सभी व्यवस्थाओं के कुशल क्रियान्वन को शासन सुनिश्चित करे । इसके लिए आवश्यक जन सहयोग और जनभागीदारी की व्यवस्था और योजना बनाने के लिए जन संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं और पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करें। गांव, प्रखंड और जिले की विकास योजानाओं में इन सब पहलूओं का समावेश किया जाय।

(k) दीर्घ कदम

i कोषी वासियों की तरपफ से यह आवाज बार बार उठती रही है कि यदि 1731 से 1960 तक की क्षारण धराओं को पुनर्जीवित कर दिया जाय और कोषी को तटबंधे के बीच कैद न किया जाय, तो शायद यह तकनीकि हल कोषी क्षेत्रा में बाढ़ समस्या का उपयुक्त व स्थाई सामाधन हो सकता है। आपके शासन से अनुरोध है कि आपका सरकारी तंत्रा इस विकल्प का गंभीरता से अध्ययन करे और इसकी संभावित क्रियान्वयन के उफपर लोक पक्ष के तकनीकि विशेषज्ञो के साथ भी संवाद करें।

ii जलजमाव की समस्या ने कोषी क्षेत्रा में विकराल रूप धरण कर लिया है। कोशी की तटबंधें के बगल में 5–10 किमी. के क्षेत्रा में तथा राष्ट्रीय राज्यमार्गो तथा पुलों व पफरक्का बैरेज से पैदा हुए अवरोधें के कारण इसके अनेक रूप हैं जिनके अलग अलग हल की आवश्यकता है। गंगा फ्रलड कंट्रोल कमिशन को इसकी मास्टर प्लान तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार सरकार गंगा फ्रलड कंट्रोल कमीशन के साथ मिलकर इस दिशा में प्रभावी कदम उठाये और समयब(योजना तैयार करके क्रियान्वयन करें।

iii कोषी क्षेत्रा की विगत 5 दशकों में हुई भीषण बर्वादी को ध्यान में रखते हुए इसके पुनर्वास और पुनर्रचना की एक योजना बनाकर मार्शल प्लान की तर्ज पर केंद्र सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इसके लिए वित्तिय साध्न प्रयास करने का गंभीर प्रयास बिहार सरकार करे और इसके लिए बिहार की जनता को भी विश्वास में लें।

(ग)

आशा है, कि आप इस प्रतिवेदन पर अपनी दृष्टि से चिंतन और विचार करेंगें । अगर आप उपयुक्त समझेंगें तो भविष्य में कोषी क्षेत्रा की विभिन्न संस्थाओं और जन संगठनों को सीधी बातचीत हेतु आमंत्रित करेंगें।

हमें इस मौके का इंतजार रहेगा । इस बीच हम क्षेत्रा की जनता को इन सब पहलूओं पर जागरूक करने का अपना अभियान जारी रखेंगे और समय समय पर आपको सूचित करते रहेगें ।

⇒ डॉ. ओंकार मित्तल (दिल्ली) बिहार नदी नीति संवाद– फोन–91–9818110784

⇒ सत्यनारायण प्रसाद, निर्मली प्रखंड़ स्वराज्य सभा (सुपौल) फोन–91–9431669359

⇒ लक्ष्मेश्वर चौधरी–लोक विकास समीति (सहरसा) फोन–91–9835297757

⇒ ध्रुव कुमार– मानवाधिकार सक्रिय कर्मी (सहरसा) फोन–91–9771708638

⇒ रामदेव शर्मा–कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा (सहरसा) फोन–91–9430452411

⇒ रघुपति–बिहार नदी नीति संवाद, समता ग्राम सेवा संस्थान, (पटना) –फोन–91–9472242484

⇒ डॉ. विजय कुमार, गांधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय (भागलपुर) फोन–91–943185214

⇒ अनवर आजाद, दीनानाथ पटेल, विद्यानंद मिश्रा, गजेन्द्र प्रसाद यादव, नारायण प्रसाद यादव– कोशी पीड़ित संघर्ष मोर्चा (सहरसा) फोन–91–9430452411

⇒ त्रिभुवन नारायण सिंह– सर्वसेवासंघ, सहरसा

⇒ नीलम प्रकाश – महिला चेतना विकास मंड़ल, सहरसा

⇒ यमुना प्रसाद गुप्ता– सहरसा

⇒ दीपक कुमार सिंह– कोशी कल्याण समिति, सहरसा

⇒ अर्जुन मंड़ल – बलुआ बाजार,

⇒ हरिबल्लभ मुखिया– कोशी लोक मंच, सहरसा

⇒ राजकुमार – सतलोक सेवा आश्रम, मरौना, सुपौल

⇒ विजेंद्रशाह – सहरसा

कविता

बाढ़ : हालात और सियासत

धर्मेन्द्र कुसुम

1

कटाव से बची नहीं जगह
उनके रहने के वास्ते
मिट्टी से बनी हो या फूस की
झोपड़ी भी तो घर होता है।

2

बाढ़ में डूबने वाला घर
खुद उनको न होता तो
भोग सकते थे निश्चित वे
औरों पे तरस खाने का सुख।

3

बासी समझकर जो और जितना
अक्सर फेंक देते हैं लोग
प्रायः हर बाढ़पीड़ितों का पेट आज
निश्चित ही भरा जा सकता है उससे।

4

दरककर ध्वस्त हो जानेवालों में
शुमार है जमींदार का भी मकां
क्ब तक खैर मनायेगी बकरे की अम्मां
हो गया यह मुहावरा पुराना।

5

पानी की सतह के साथ–साथ
उठा रही थी वह अपना घाघरा
तमाशबीन मल रहे थे हाथ
काश! थोड़ी और बाढ़ आई होती।

6

तैरकर तो नहीं ही
उड़कर भी कहां पहुंचते
जब चारों तरफ हो लहराता
समन्दर ही समन्दर।

7

बह गये पीपल और बरगद
मंदिर–मस्जिद भी डूब गए
आएं देखने जरुर आप इसे
देखने लायक है लेकिन हसीन नहीं।

8

डूब गए खेत और खलिहान
बिला गयी गाय–भैसें भी
बेहतर हुआ केवल यह कि
मर गयी क्वांरी बेटिया भी।

9

खौफ खाते हैं वो
पानी में कदम रखते हुए
इसलिए ऊपर ही ऊपर
करते हैं हवाई सर्वेक्षण।

10

अच्छा ही हुआ कि डूबी नाव
और खत्म हुआ हीरामन का परिवार
वरना क्या खाता, ओढ़ता, बिछाता
रहने को भी कहां बचा था घर।

11

राज्य सत्ता ने कहा केन्द्र जिम्मेवार
केन्द्र ने कहा कसूरवार राज्य सरकार
बाढ़पीड़ित मान रहे दैवी प्रकोप
और, कोस रहे अपना–अपना भाग्य।

12

लोगों को अपनी जान बचाकर भी
किंचित भी नहीं मिल रही खुशी
उनके परिजनों का क्या हुआ
शिविर में सब हैं इसी से परेशान।

13

प्रसव के लिए छटपटाती मरी सुनीता
छुलारी उठ गयी प्रसव के बाद
दर्जनों को मिली डायरिया और सर्पदंश से मुक्ति
सचमुच चिकित्सक होते हैं भगवान का रूप।

14

धीमी कराहटें सुनी नहीं जाती
चीख भी निकलती है मद्धम
गले में दबकर रही जाती है सिसकियां
व्यर्थ गिड़गिड़ाने को जी नहीं करता।

15

खुशी नहीं है ईद की
फीका है दशहरा भी
सबकी आंखे हैं नम
मरघट हो या मजार।

16

नहीं बची बिल्ली और बकरी
सुबह बांग देनेवाला मुर्गा भी हुआ गुम
गाय, भैंस और घोड़े तो नहीं ही रहे
लेकिन, सर्वाधिक दुखद है कबूतर का न होना।

17

उसके चुप रहने का सबब

मन समझें उसकी कायरता
वह कभी भी चिल्लाकर
कर देगा सरकार को हतप्रभ।

18

लोग गिनते हैं उंगलियों पर अपनों को
एक, दो, तीन, पांच, सात, नौ
वो सारे जो मर गये बाढ़ में दह कर
सरकार उन्हें जोड़ती है मुआवजे के हिसाब से।

19

उजड़े हुए लोगों के आशियाँ में
हिफाजत के लिए एक के पास थी खंजर
दूसरे ने इसी वास्ते संभाल रखी थी त्रिशूल
मगर वो एक ही बिस्तर पे सोए साथ–साथ।

20

मुंडेर ही न रही तो कहां फुदकेगी गोरैया
और कहां से सुनायी देगी कौवे की कांव–कांव
कोयल ही कूकती यदि होती आम की डाली
अब तो मरघट में तब्दील हैं गांव के गांव।

21

चन्द्रकांत पाटिल की शहादत ने
मिटा दिया बिहारी–मराठी का फर्क
समझा दिया सबको मानवता का अर्थ
राज ठाकरे अब भी तो करो शर्म।

22

जिन पेड़ो पे टंगते थे सावन के झूले
जिसकी डालियों पर चहचहाती थी चिड़िया
भंवरों, तितलियों से भरी थी जो बगिया
गौतम गोस्वामी को पता होगा इनका हालमुकाम।

23

चीख, चिल्लाहट, बेबसी, भूख–प्यास
चिथड़ों में लिपटे, गंधाते, लाचार बाढ़ पीड़ित
सब मौजूद मिले यहां, और चाहिए ही था क्या
चैनलों को अपनी टी.आर.पी बढ़ाने के लिए।

24

दो गज भी सूखी जमीं नहीं थी मयस्सर
डूबे थे सारे धोबी घाट, फिजाएं भी नहीं थी अनुकूल
बावजूद सारे नेताओं के कुर्ते–पाजामे चकचक देख
जाना कि पहनने वाले की तरह ये कपड़े हैं अलग।

25

राहत शिविर, मुआवजा, चिकित्सा सुविधा, गृह निर्माण
वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार, ऋण, अनुदान
शब्दकोषों से चुन–चुनकर निकाले गये थे शब्द
बढ़ाते हैं बाढ़पीड़ितों का दर्द और हो जाते हैं अर्थहीन।

धर्मेन्द्र कुसुम
जहाज घाट रोड, आदमपुर
भागलपुर (बिहार)
मो. 9934891141